पंचम माला, खंड 59, अंक 13, गुरुवार, 25 मार्च, 1976/5 चैत्र, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LIX, No. 13, Thursday, March 25, 1976/Chaitra 5, 1898(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र / Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 59 में अंक 11 से 20 तक है / Vol. LIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13, गुरुवार, 25 मार्च, 1976/5 चैत्र, 1898 (शक)

No. 13, Thursday, March, 25, 1976 / Chaitra 5, 1898 (Saka)

विषय	*Subject*	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
*तारांकित प्रश्न संख्या 242, 243, 245, 247, 249 और 251 से 254	*Starred Questions Nos. 242, 243, 245, 247, 249 and 251 to 254 . .	1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 241, 244, 246, 248, 250 और 255 से 260	Starred Questions Nos. 241, 244, 246, 248, 250 and 255 to 260	17-21
अतारांकित प्रश्न संख्या 1286 से 1351	Unstarred Questions Nos. 1286 to 1351 .	21-51
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table . . .	51-53
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the sittings of the House	53-55
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
200वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Two Hundredth Report—presented .	55
1976-77 विपणन मौसम के लिए रबी खाद्यान्नों के मूल्य, वसूली और वितरण सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Price, Procurement and distribution policy of Rabi Cereals for 1976-77 Marketing Season . .	55-56
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde . .	55-56
गुजरात बजट, 1976-77 सामान्य चर्चा और अनुदानों की मांगें	Gujarat Budget, 1976-77—General Discussion and Demands for Grants—	56-76
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Haldar	59-60
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel . . .	60-61

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him .

विषय	Subject	PAGES
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan . . .	62-63
श्री डी० पी० जदेजा	Shri D.P. Jadeja .	63-65
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel . .	65-66
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai . .	66-67
श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार	Shri Baljibhai Parmar . .	67-68
डा० महिपतराय मेहता	Dr. Mahipatray Mehta . . .	68-70
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar . .	70-71
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	71-76
नियंत्रक–महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवाशर्त) संशोधन अध्यादेश 1976 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और नियंत्रक––महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्त) संशोधन विधेयक	Statutory Resolution re. Disapproval of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Amendment Ordinance, 1976 and Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव––	Motion to consider—	76-88
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee . . .	76-79
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O.V. Alagesan . . .	80-81
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . .	81-82
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani .	82
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan . .	83
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik . . .	83-84
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga .	84
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam	84-86
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	86
विधेयक के खण्ड 2 से 5 और 1 पारित करने का प्रस्ताव	Clauses 2 to 5 and 1 of the Bill	
	Motion to pass . .	87-88
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . . .	88
संघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण) विधेयक के सम्बन्ध में नियम 66 के परन्तुक को निलम्बित करने केबारे में प्रस्ताव	Motion Re. Suspension of Proviso to Rule 66 in relation to Departmentalisation of Union Accounts (Transfer of Personnel) Bill	88

विषय	*Subject*	PAGES
संघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण) अध्यादेश, 1976 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और संघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण), विधेयक	Statutory Resolution re. Disapproval of Departmentalisation of Union Accounts (Transfer of Personnel) Ordinance, 1976 and Departmentalisation of Union Accounts (Transfer of Personnel) Bill— . . .	88-94
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . .	88-90
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . .	90-91
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . . .	91
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . .	92
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan . . .	92
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	93
विधेयक के खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 of the Bill . . .	94
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	94
लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक और लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक के सम्बन्ध में नियम 66 के परन्तुक को निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव—	Motion re. Suspension of Proviso to Rule 66 in relation to Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess Bill and Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Bill—	95
लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक और लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक—	Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess Bill and Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Bill—	95
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	95-98
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta . . .	98
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R.N. Sharma . . .	98-99
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai . . .	99

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 25 मार्च, 1976 / 5 चैत्र, 1898 (शक)

Thursday, March 25, 1976/Chaitra 5, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बैलाडीला खानों का लौह अयस्क

*242. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडीला खानों के दो टन से कुछ कम लौह अयस्क से एक टन इस्पात का उत्पादन हो सकता है ;

(ख) बाजार में लौह अयस्क और इस्पात के मूल्य क्या हैं ; और

(ग) इस्पात का उत्पादन करने के बजाय लौह अयस्क का निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क). जी हां ।

(ख). लौह अयस्क और इस्पात के ग्रेड/माल की किस्म के आधार पर इनके मूल्यों में बहुत अन्तर है। मोटे तौर पर वर्तमान मूल्यों में अन्तर नीचे दिया गया है :--

(1) लौह अयस्क :--लौह अयस्क में लोहे की मात्रा डलों/चूरे आदि के आधार पर इस का जहाज तक निष्प्रभाव मूल्य लगभग 75 रुपये से 160 रुपये प्रति टन है।

(2) इस्पात :--संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा इस्पात के विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए निश्चित किये गये मूल्य रेल की पटरी के लिए 1033 रुपये प्रतिटन है जबकि ठण्डी बेलित चादरों का मूल्य 2559 रुपये प्रतिटन है ।

(ग). इस्पात के उत्पादन की देशीय क्षमता बढ़ाने के लिए इस्पात कारखाने लगाने पर अनिवार्यतः बहुत अधिक रुपया खर्च होता है। परिणाम-स्वरूप पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी एक मुख्य बाधा है जिससे हम इस्पात का उत्पादन करने की बजाय लौह अयस्क का निर्यात करते हैं। इस पर भी मात्रा तथा मूल्य दोनों की दृष्टि से हमारे कच्चे लोहे और इस्पात के निर्यात में वृद्धि का रुख है। फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में लौह अयस्क के विशाल भण्डार हैं और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की अत्यधिक आवश्यकता है लौह अयस्क का निर्यात करना आवश्यक है और देश के लिए लाभप्रद है ।

श्री के० प्रधानी : इस तथ्य को देखते हुए कि लौह अयस्क का विदेशों को निर्यात करने से हमारे देश को भारी हानि होती है क्या सरकार वर्तमान इस्पात संयंत्रों का विस्तार करने और विदेशी सहयोग अथवा विश्व बैंक की सहायता से नये इस्पात संयंत्र लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि निर्मित इस्पात का निर्यात किया जा सके ?

श्री चन्द्रजीत यादव : हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि लौह अयस्क का निर्यात बिल्कुल बन्द कर दें क्योंकि हमें उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा। लेकिन हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि इस्पात का ही निर्यात किया जाये। इस वर्ष अब तक हम 20 लाख टन इस्पात के, जिसका मूल्य 285 करोड़ रुपये बठता है, आर्डर बुक कर चुके हैं जबकि पिछले वर्ष केवल 18 करोड़ रुपये के आर्डर थे। इस्पात उद्योग के विस्तार हेतु हमने व्यापक योजना बनाई है । परन्तु फिर भी इस बात पर हमें निर्भर करना पड़ता है कि सरकार के पास संसाधन कितने हैं। इस वर्ष के बजट में भिलाई के विस्तार के लिए हमने काफी राशि निर्धारित की है। सरकार ने भारत के इस्पात प्राधिकरण से भी कहा है कि इस शताब्दी के अन्त तक हमारे देश की इस्पात सम्बन्धी जरूरतों का उचित और व्यापक अध्ययन करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। अतः स्पष्ट है कि सरकार इस मामले में पूर्णतया जागरूक है। लेकिन ऐसे स्तर पर पहुंचने से पूर्व हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। इस कार्य में लौह अयस्क का काफी महत्वपूर्ण योगदान है।

श्री के० प्रधानी : मंत्री जी के विवरण के अनुसार लौह अयस्क से हमें केवल 75 रु० से 160 रु० प्रति मीटरी टन प्राप्त होते हैं जबकि इस्पात के निर्यात से हमें 1033 से 2559 रु० प्रति टन तक मिल जाते हैं। इसलिए हमें लौह अयस्क के स्थान पर निर्मित इस्पात का निर्यात करना चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव : हम इस प्रकार दोनों की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि महोदय, आप को पता है कि एक इस्पात संयंत्र लगाने के लिए सकड़ों करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है ।

श्री जगन्नाथ राव : मुझे लौह अयस्क के निर्यात पर आपत्ति नहीं। लेकिन बैलाडीला में जसाकि मंत्री जी को ज्ञात है, लोहे के चूर्ण के विशाल भंडार जमा हो गये हैं। लौह अयस्क की पहाड़ियों से अयस्क निकाल लिया गया है और वहां लौह चूर्ण के ढेर लगे हैं। यदि उस से लोहे के डले बना कर बेचे जायें, तो हमें अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है। सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं सदस्य महोदय से पूर्णतया सहमत हूं। बेलाडीला में 70 लाख मीटरी टन लौह चूर्ण जमा हो गया है। सरकार ने 'मेकौन' से इस बारे में अध्ययन करके प्रति-

वेदन प्रस्तुत करने को कहा है ताकि यह पता चल सके कि क्या वहां डले बनाने का संयंत्र लगाया जा सकता है और उसके लिये उनकी क्या शर्तें होंगी।

अपने प्राथमिक प्रतिवेदन में इसने कई उपाय सुझाये हैं। इन पर विचार हो रहा है। कई पार्टियों से बातचीत चल रही है और अनुकूल स्थिति होने पर यह संभव हो सकेगा। लोहे के डले बनाने के संयंत्र की स्थापना संसाधनों पर भी निर्भर करती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर विवरण (ग) से है जो कच्चे लोहे के बारे में है।

क्या यह तथ्य है कि पश्चिम बंगाल में ढलाई कारखानों के मालिकों द्वारा कच्चे लोहे की बहुत मांग की जा रही है और कच्चे लोहे की कीमतों में भी वृद्धि हो गई है। लेकिन उनकी कठिनाई यह है कि अभी तक उन्हें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से माल सप्लाई किया जा रहा था। अब दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से कच्चे लोहे का निर्यात किया जाता है और पश्चिमी बंगाल के ढलाई कारखानों के मालिकों से कहा गया है कि वे अपनी सप्लाई बोकारो से प्राप्त करें। इस प्रकार बोकारो से कारखानो में माल लाने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ऐसी नीति क्यों अपनाती है जिससे ग्राहकों को कठिनाई हो ?

अध्यक्ष महोदय : कैसी नीति ? क्या कच्चे लोहे का निर्यात ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न यह है कि दुर्गापुर का इस्पात संयंत्र निकट है।

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रश्न का सम्बन्ध इस बात से नहीं है। इसका सम्बन्ध बैलाडीला से है। सभी इस्पात संयंत्रों की प्रबन्ध व्यवस्था हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड के अधीन है। यदि किसी विशेष ढलाई कारखाने को विशेष प्रकार के कच्चे लोहे की आवश्यकता है जो बोकारो में ही तैयार होता है तो बात अलग है। फिर भी मैं इस मामले की जांच करूंगा।

परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन

*243. **श्री राज देव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिवार नियोजन के बारे में ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार कर रही है जिनके राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए सिफारिश की जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या गृह-निर्माण के लिए ऋण, दिल्ली विकास प्राधिकरण के और सरकारी फ्लैटों के आवंटन और लघु उद्योग एकक स्थापित करने हेतु सहायता के लिए हकदार बनने के लिए परिवार को मुख्य निर्णायक पहलू माना जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क). भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेज करने के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में पहले ही अपने-आप कुछ उपायों को अपना लिया है।

(ख). दिल्ली प्रशासन में कुछ प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों को अपना लिया है जिसके अन्तर्गत छोटे परिवार वालों को इन मामलों में तरजीह दी जाएगी ?

Shri Rajdeo Singh : Sir, the Minister has stated in the first part of his reply that some proposals are being considered by the Government. May I know whether Government have taken any decision or will it take some more time ? He has also stated that some State Governments are also working in this direction. Will the hon. Minister reveal us certain details.

Dr. Karan Singh : So far as the Government's line of thinking is concerned, we are going to give it a final shape after a detailed discussion and I will make a statement on the population policy during the present Session of Parliament and Government's line of action will become quite clear.

So far as the State Governments are concerned, seven State Governments and the Delhi Administration have taken many steps. The State Governments are Maharashtra, U.P., Karnataka, M.P., Gujarat, Haryana, and Punjab. We do not propose to interfere in their work as it is very much in their prower to deal with the subject.

Shri Rajdeo Singh : Sir. May I know the incentives and disincentives introduced by the Delhi Administration to intensify the family planning Campaign ? I want to know if it is proper to compel the people by taking resort to law or by allurements ?

Dr. Karan Singh : He has asked two questions. So far as the Delhi Administration is concerned, I have got a press note consisting of 3 pages. Sir, with your permission I shall put it on the Table of the House. So far as the second question is concerned, I may say that the situation has become very serious and we can not depend on persuations alone.

Shri Ishwar Chowdhry : There should be compulsory family planning not only in Delhi, Bihar, M.P. or in certain other States but in the whole country. May I know if there is any proposal to bring forward a bill in this regard in the House, if so, by what time ?

Dr. Karan Singh : I have already said that I am going to give a statement which will clear the whole thing.

Smt. Sheila Kaul : Being social workers we know the practical difficulties. Ladies told us that they were ready for limiting their families but their husbands were not agree able to this thing. Will he throw some light on this aspcct.

Dr. Karan Singh : This suggestion is worth consideration.

1975-76 के दौरान इस्पात का उत्पादन

+

*245. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री एस० ए० मुरुगन्तम् :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 में इस्पात संयंत्रों में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस्पात संयंत्रों में स्टाक जमा हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी नियमित रूप से बिक्री के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) : वर्ष 1975–76 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का 57 लाख टन विक्रेय इस्पात का अनुमानित कुल उत्पादन अब तक का रिकार्ड उत्पादन होगा । इससे पहले सब से अधिक उत्पादन वर्ष 1974–75 में हुआ हुआ था जो 49 लाख टन था ।

(ग) जी, हां।

(ख) स्टाक को बेचने के लिए किए गए मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया है जिससे प्रक्रियात्मक विलम्ब में कमी की जा सके और उपभोक्ताओं को अधिक सुगमता से इस्पात उपलब्ध हो सके।

2. प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने की प्रथा समाप्त कर दी गई है।

3. लोहे और इस्पात तथा स्क्रैप की विभिन्न श्रेणियों के अन्ततः उपयोग पर से प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं।

4. उत्पादक-ग्राहक ठेका अधिकारियों की मार्फत आर्डर प्राप्त करने तथा स्टाकयार्डों की मार्फत माल सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है।

5. सरकार द्वारा 1973 में इस्पात की खपत में मितव्ययिता के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप नान फंकशनल भवनों के निर्माण पर अस्थायी तौर पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं।

6. अन्य देशों को लोहे तथा इस्पात सामग्री का निर्यात करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। फरवरी, 1976 के अन्त तक 6.33 लाख टन ऐसा माल निर्यात किया गया था जिसका मूल्य 91.67 लाख करोड़ रुपये था। 20.99 लाख टन लोहे और इस्पात सामग्री को निर्यात के लिए पक्के आर्डर बुक किये गये हैं जिनका अनुमानित मूल्य 285.17 करोड़ रुपये है।

वर्ष 1976–77 के बजट में अधिक योजना परिव्यय की व्यवस्था से भी इस्पात की अधिक खपत होने की सम्भावना है।

Shri B. S. Bhaura : It is heartening to note that you have taken certain measures for the disposal of accumulated stocks. May I know whether the measures adopted in regard to the internal consumption had any positive effect ?

Shri Chandrajit Yadav : These steps have been taken only recently. This year we are spending about 31 per cent more on planning, naturally. This will be conducive to the development activities. This year the Crop position is also very good and it is hoped that there will be a spurt in the constructional activities. The amount sanctioned in this budget will also help in initiating works in the public sector. This will also lead to higher Steel Consumption.

So far as exports are concerned you know this year we have received orders to the tune of 2 million tonnes. He hope this demand will increase in future.

Shri B. S. Bhaura : It is good that we have received orders for export to the tune of 2 million tonnes. May I know whether Government propose to take certain steps to find out prospects for export of steel to the newly independent countries where industrial development is taking place ? We should try to export more to these countries.

Shri Chandrajit Yadav : Efforts have been made in this direction. You will be happy to note that this year we are exporting iron to about 20 Countries. More and more demand has been made by the developing and Middle East Countries.

श्री हरि किशोर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इस्पात के अन्ततः उत्पादों की कीमत कम करने का क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमान, मैं आपका प्रश्न समझा नहीं ?

Shri Hari Singh : May I know the quantity of iron exported to Japan so far and whether it is correct that Japan :.....

Mr. Speaker : The question does not relate to exports. It is about production.

श्री बी० वी० नायक : कृपया आन्तिम पैरा पर आधारित इस प्रश्न की अनुमति दी जाये :

"वर्ष 1976–77 के लिये बजट में अधिक योजना परिव्यय से इस्पात की खपत भी अधिक होगी ।"

जब हम योजना परिव्यय और इस्पात और खान मंत्रालय के बजट पर विजाग, हास्पेट और सेलम में बनाई जा रही प्रस्तावित तीन नई फैक्टरियों के मुकाबले में नजर डालते हैं तो पता चलता है कि चालू वर्ष के दौरान बजट में एक नया पैसा नियत नहीं किया गया है। क्या में इन तीन परियोजनाओं को चालू न करने के कारण जान सकता हूं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैंने पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी है। यह कहना गलत है कि इन तीन परियोजनाओं को स्थगित रखा गया है। वास्तव में हम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के बिना इस्पात का उत्पादन नहीं कर सकते। हाल ही में दो इस्पात संयंत्रों अर्थात् विजाग और विजयनाग्रम के लिए डी० पी० आर० पूरी की गई। उन्हें 18 महीने लगेंगे। डी० पी० आर० पर विचार करने के बाद सरकार इन प्रश्नों पर विचार करेगी कि संसाधन क्या होंगे और किस-किस श्रेणी को इस्पात का उत्पादन किया जायेगा। इस स्टेज पर जितनी राशि की आवश्यकता थी सरकार ने वह उपलब्ध कराई है। सेलम में तीसरे इस्पात संयंत्र के बारे में डी० पी० आर० प्राप्त हो चुका है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। इस वर्ष के लिए धन उपलब्ध करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतः यह कहना गलत है कि ये इस्पात संयंत्र स्थगित कर दिये गये हैं। परन्तु बाद में यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि सरकार कब और कैसे मामले को शुरू करेगी ।

श्री बयालार रवि : भाग (ग) के उत्तर में मंत्री ने स्वीकार किया है कि स्टाक जमा हो गया है और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ कार्यवाही का भी सुझाव दिया कि स्टाक विभिन्न सेक्शनों द्वारा उठाया जायेगा। इसके साथ-साथ में जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अभाव के कारण अपनाई गई फुटकर नीति, जिसके द्वारा व्यक्ति विशेषों को फुटकर दुकानों के बजाय डिपो द्वारा बिक्री की गई, के फलस्वरूप इस्पात का स्टाक जमा हो गया क्योंकि प्राइवेट पार्टियां अपनाई गई नई नीति के कारण, माल नहीं उठा रही हैं। चूंकि 60 करोड़ रुपये का स्टाक जमा किया गया है और अब अभाव नहीं रहा है, अतः क्या इस नीति पर पुनर्विचार करने का विचार है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सही नहीं है। वास्तव में नई वितरण प्रणाली से स्थिति में सुधार हुआ है। लगे हुए कुछ प्रतिबन्ध हटाये गये हैं। आन्तरिक मांग न होने के कारण यह स्टाक जमा हो गया है ।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हू कि यह चिन्ता का विषय नहीं है क्योंकि इस वर्ष हमने 800,000 टन अधिक इस्पात का उत्पादन किया है। जमाखोरी और चोरबाजारी के विरुद्ध उठाये गये कदम भी सहायक सिद्ध हुए हैं क्योंकि जमाखोर अब तक स्टाक जमा नहीं करते। अतः उपलब्धता सुगम हो गई है। समय समय पर प्राइवेट पार्टियों या अन्य एसोसिएशनों द्वारा प्राप्त

सुझावों को ध्यान में रखा जाता है और तदनुसार निर्णय लिये जाते हैं और इस्पात व्यापारियों और ग्राहकों की सहायता के लिये उनका पुनरीक्षण भी किया जाता है।

National Transportation Policy

*247. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether any National Transportation Policy is proposed to be framed ;

(b) if so, by what time and whether a copy thereof will be laid on the Table ; and

(c) if so, when ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) (ख) और (ग) समन्वय की कोई अलग पद्धति नहीं है सिवाय इस अर्थ में कि परिवहन नीति और समन्वय समिति (1966) ने सिफारिश की कि भारत जैसे देश में विभिन्न परिवहन सेवाओं के समन्वय की समस्याओं का समाधान मुख्यत: योजनाओं के अधीन धन लगाने की नीतियों के माध्यम से किया जा सकता है। भारत सरकार ने परिवहन समन्वय के दृष्टिकोण को स्वीकार किया है, और कई वर्षों में, समिति द्वारा अभिशासित नीतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे समन्वय की मांग की है।

पांचवीं योजना में मुख्य जोर परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास के लिए समन्वित तथा पद्धतिबद्ध पक्ष पर दिया गया है ताकि यह पद्धति समस्त रूप से जहां तक संभव है एक दूसरे के पूरक, अनुसमर्थक और अन्तर आश्रित समझी जा सके।

रेल और सड़क परिवहन के बीच समन्वय परिवहन विकास परिषद् जिसमें रेलवे के और नौवहन तथा परिवहन के मंत्री प्रतिनिधि हैं, के माध्यम से प्राप्त करना।

जहां तक यात्री यातायात का सम्बन्ध है परिवहन के इन साधनों के बीच भी राज्य सड़क परिवहन निगमों के पूंजी ढांचे में केन्द्रीय सरकार के भाग लेने से समन्वय प्राप्त कराना है। इन निगमों में रेलवे को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। रेलवे अपनी क्षेत्रीय सलाहकारी संस्थाओं में राज्य परिवहन उपक्रमों को भी प्रतिनिधित्व देने के लिए सहमत हो गया है।

जहां तक रेल-सड़क समन्वय और परिवहन के अन्य प्रकार के समन्वय का प्रश्न है, आवश्यकतानुसार अन्तर्विभागीय परामर्श और विचार-विमर्श किया जाता है ताकि कम से कम लागत में देश के हित में समेकित ढंग से सम्पूर्ण परिवहन पद्धति के विकास में वृद्धि की जा सके।

राष्ट्रीय परिवहन नीति निर्माण सम्बन्धी मामले, जिनमें, प्राक्कलन समिति द्वारा परिवहन समन्वय पर अपनी 75वीं रिपोर्ट में यथा अभिशासित अपने विकास के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्यों और विभिन्न परिवहन साधनों की भूमिका निर्धारित की गई है, की जांच की जा रही है। अन्य परिवहन साधनों के लिए उत्तरदायी उन एजेंसियों के साथ विचारविमर्श करना भी आवश्यक है जिनका नौवहन और परिवहन मंत्रालय के साथ सम्बन्ध नहीं है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि निर्णय कब तक किया जायेगा।

परन्तु सिफारिश की जांच का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

राष्ट्रीय परिवहन नीति विवरण को सभा पटल पर रखे जाने के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायेगा।

Shri M.C. Daga : Will the Minister please state the progress made so far in this regard ?

Shri Dalbir Singh : This is a policy matter. It is correct that this matter has been under consideration since 1950 and we have got coordination needed from time to time after 1950. The policy followed so far was meant for achieving coordination and the manner in which coordination is achieved is detailed in the statement. Future action proposed to be taken in future is under consideration and it will be laid on the Table when finalised.

Shri M.C. Daga : Please state what are difficulties being faced in preparing a national transport policy ?

Shri Dalbir Singh : There is no difficulty. Difficulty is this that this question does not concern only one ministry. Several ministries such as Ministries of Railways, Civil Aviation, Shipping and Transport and Planning Commission are concerned with it. It is necessary to consult all of them and it has been done so. Their comments are under examination and whatever shape it takes will be presented before the House.

Shri Naval Kishore Sinha : Whether Government will take into account the fact while framing the transport policy that instead of constructing bridges costing 20, 25, 30 crores of rupees on big rivers like Ganga, rail-cum road bridges be constructed there so that rail bridge need not be constructed there after a few days and the country will not have to invest more ? Whether Government propose to declare those roads as national highways, which link these bridges with country's border ?

Shri Dalbir Singh : All these things are taken into account during coordination.

Shri B. S. Bhaura : You say that the question of laying national transport policy is being considered step by step. Whether it is not a fact that main obstacles in the national trasport policy are the big transporters having links at each place and do not allow formation of this policy ? If so, what are Government's views in regard to formation of an indepedent policy by eliminating the big transporters. which should be in the interest of the country ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri G. S. Dhillon) : It is a question of National transport policy and nobody has interfered in it so far. Some suggestions are certainly received. It is a very simple thing that there should be coordination between the Railways and Ministry of Shipping and Transport. In some cases shipping is cheap and direct due to which road transport resorts to other matters. There must be Coordination through investment policy and transport authority. We are considering to enact a Transport coordination Act as has been done by many countries particulary U.S.A. Act enacted by U.S.A. is very comprehensive. Whatever policy we form will be presented before the House.

20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को शामिल करना

*249. **श्री वसंत साठे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को प्रभावी ढंग से शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र सुनिश्चित करने और उपयुक्त व्यवस्था तथा संगठनात्मक ढांचा बनाने हेतु एक कार्यकारी दल गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

खेतिहर श्रमिकों सम्बन्धी एक स्थायी समिति मई, 1973 में गठित की गई थी ताकि वह खेतिहर श्रमिकों से सम्बन्धित स्थिति के रुझानों का मूल्यांकन करे तथा उपलब्ध आंकड़ों की पुनरीक्षा करे और खतिहर श्रमिकों के बारे में आर्थिक आसूचना के एकत्रीकरण के लिए समुचित अध्ययनों और सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में सुझाव दे। खेतिहर श्रमिकों की दशाओं को सुधारने के लिए जो प्रशासनिक और विधायी कदम उठाये जाने चाहिएं, यह उनके बारे में सरकार को सलाह देती है। खेतिहर श्रमिकों को संगठित करना इस समिति के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य रहा है।

इस समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसरण में राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने ग्रामों में कई श्रम शिविर आयोजित किए हैं। इन शिविरों का प्रयोजन खेतिहर श्रमिकों को ग्रामीण विकास सम्बन्धी सरकार के कार्यक्रमों, भूमि-जोतों, शेयरक्रापिंग, रैयतदारी, न्यूनतम मजदूरियों सम्बन्धी वर्तमान कानूनों तथा बन्धक श्रमिक प्रणाली सम्बन्धी कानूनों के बारे में अवगत करना है। इन शिविरों का असाधारण प्रभाव हुआ है और भूमिहीन श्रमिकों के बीच बहुत जोश पैदा हो गया है। यह देखा गया है कि 20-सूत्री कार्यक्रम ने उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की लालसा उत्पन्न कर दी है।

जुलाई, 1975 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि न्यूनतम मजदूरियाँ निर्धारित करने के लिए प्रत्येक राज्य को उचित मापदण्ड विकसित करने चाहिएं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व आवश्यक रूप से राज्यों के श्रम विभागों का है। 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा ने न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन की आवश्यकता के महत्व को बढ़ा दिया है। मार्च, 1976 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने सुझाव दिया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ कड़े दण्डनीय विधान होने चाहिएं।

ग्रामीण विकास विभाग के अधीन ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी एक अध्ययन दल गठित किया गया है। यह दल प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को एक वर्ष में 250 दिनों के लिए रोजगार देने के लिए उपायों का सुझाव देगा।

बन्धक श्रमिक पद्धति का उन्मूलन सम्बन्धी विधान 25-10-75 से लागू हुआ। मुक्त किए गए बन्धक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्यों को विस्तृत मार्गदर्शन दिए गए हैं। राज्य, मुक्त किए गए बन्धक श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। योजना का स्वरूप स्पष्टत: क्षेत्र की स्रोत-सम्पन्नताओं पर निर्भर होगा। मुक्त किए गए बन्धक श्रमिकों को कृषि, पशु-पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन या अन्य प्रकार के ग्रामीण उद्योगों में लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान 20-3-1976 से 26-3-1976 तक बिहार में पलामू जिले में एकमात्र रूप से मुक्त किए गए बन्धक श्रमिकों के लिए एक शिविर संचालित कर रहा है।

इसलिए 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ग्रामीण श्रमिकों को प्रभावी रूप से शामिल करने के लिए आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक कार्रवाइयां की जा रही हैं।

श्री वसंत साठ : सभा पटल पर रखे गये विवरण को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा साधन है—जैसे कि 1973 में गठित की गयी कृषि श्रमिकों सम्बन्धी स्थायी समिति या राष्ट्रीय श्रम संस्थान जिसने समूचे देश में कई एक कैम्प लगाये हैं, जिसके द्वारा सरकार देश में कुल कृषि श्रमिकों विशेषकर भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बारेमें आंकड़े बता सकती है। क्योंकि सभी कृषि श्रमिक भूमिहीन नहीं है, कुछ के पास थोड़ी बहुत भूमि हो सकती है? क्या सरकार राज्यवार, ब्यौरा दे सकती है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि वे कौन से साधन है जिनके द्वारा समेकित ग्रामीण विकास के लिये प्रस्तावित नीति को ध्यान में रखते हुए कृषि उद्योगों में वैकल्पिक रोजगार दिया जा सकता है?. क्या आप के पास कृषि श्रमिकों सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा बनायी गयी ऐसी कोई योजना है; और यदि हां, तो क्या हमें राज्यवार ब्यौरा देगें और योजना की मुख्य रूपरेखा बतायेंगे?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कृषि श्रमिकों सम्बन्धी स्थायी समिति श्रम मंत्रालय को कुछ अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में, जो श्रम मंत्रालय आरम्भ करता है और श्रम मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले कुछ अध्ययनों के बारे में परामर्श देने वाला एक विशेषज्ञ निकाय है इस समस्या को सुलझाने के लिये इसमें प्रोफेसर और अन्य विशेषज्ञ होते हैं। माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में मुझे यह बताना है कि इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि छोड़े गये बंधुवा मजदूरों का किस प्रकार पुनर्वास किया जायेगा और बेरोजगार कृषि श्रमिकों को किस प्रकार रोजगार दिया जायेगा। बताया गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पशु पालन, मत्स्य पालन, रेशम के कीड़े पालन और अन्य प्रकार के ग्रामीण कार्यक्रमों की योजना बनायी गयी है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार खोजने और अल्प रोजगार की समस्याओं का समाधान करना है। यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री बसत साठे : मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा है। प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भूमिहीन श्रमिकों को भूमि देना है, में भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को प्रभावी रूप से शामिल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं? क्या आप के पास कोई आंकड़े है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के संदर्भ में हम न्यूनतम मजूरी तथा बंधुआ श्रमिकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देश में लगभग 4 करोड़ 80 लाख श्रमिक हैं। मैं आपको अनुमानित आंकड़े दे रहा हूं। इस बारे में बंधुआ श्रमिक विधान पहले ही लाया जा चुका है और सदन में इस पर चर्चा भी हो चुकी है। बंधुआ श्रमिक विधान में पुनर्वास तथा सतर्कता के लिए व्यवस्था की गई है तथा व्यापक क्रियान्वयन समाज विज्ञान तथा एक अनवरत प्रक्रिया है।

श्री वसंत साठे : मंत्री महोदय ने क्या जानकारी दी है? प्रश्न पूछने का क्या लाभ है? सरकार जानकारी ही नहीं देती है। श्रम सम्बन्धी स्थायी समिति किस लिए बनाई गई है? यह संस्थान वर्ष 1973 से कार्य कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : गत रविवार को मैंने पालामऊ जिले में राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित कैम्प में भाग लिया था। यह एक बहुत अच्छा कैम्प है और सराहनीय कार्य कर रहा है।

श्री वसत साठे : यह सब तो उत्तर में बताया जा चुका है। क्या मंत्री महोदय जानकारी एकत्र करके सदन को सूचित करेंगे?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य ने विशिष्ट जानकारी मांगी है । मैं यह जानकारी दे सकता हूं । यदि यह ग्रामीण श्रमिक 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित आदि की तरह सामान्य प्रश्न है, तो मेरा उत्तर यह है कि इस प्रश्न पर वाद विवाद या चर्चा की जा सकती है ।

श्री वसंत साठे : मंत्री महोदय ने कहा है कि 20-सूत्री कार्यक्रम में एक मुख्य सूत्र कृषिश्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी को सुनिश्चित करना है । क्या इस बारे में सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध हैं ? विभिन्न राज्यों में न्यूनतम वेतन क्या हैं और किन राज्यों में न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हमारे पास पर्याप्त आंकड़े हैं । मैं माननीय सदस्य को आंकड़े दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप आंकड़े दे सकते हैं अथवा जानकारी एकत्र करके सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इसमें कोई कठिनाई नहीं है । मैं सदस्य को आंकड़े भेज सकता हूं अथवा सभा पटल पर रख सकता हूं । मैंने सदन में कई बार प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के और विशेषकर श्रम विभाग के कई मंत्रियों ने यह प्रश्न उठाया है कि व्यवस्था के अभाव में वे ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को क्रियान्वित करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं ? क्या यह भी सच है कि विभिन्न विधान सभाओं द्वारा पास किए गए न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत नियत की गई मजूरी के बारे में कृषि श्रमिकों को बैंकों अथवा समाचारपत्रों या जन संस्थाओं अथवा विकास खंड अधिकारियों के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी गई और विशेषकर पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्रमि मंत्रियों के सम्मेलन में श्रम मंत्री इस बात पर सहमत हुए थे कि प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजूरी की दर में परिवर्तन होना चाहिए । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सभी राज्यों में न्यूनतम मजूरी दर बढ़ा दी गई है । लेकिन इसे लागू करने में कठिनाई पेश आ रही है । अधिनियम में संशोधन करने, प्रवर्तन अधिकारियों की संस्था में वृद्धि करने, कुछ अधिकारियों को प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्य करने, प्रक्रियात्मक विलम्बों में सुधार करने जैसे कई सुझाव दिए गए हैं । ये सुझाव विचाराधीन हैं ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : श्रम मंत्रियों ने न्यूनतम मजूरी लागू करने के कार्य में आने वाली किन कठिनाइयों का उल्लेख किया ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : ये कठिनाईयां सजा प्रक्रियात्मक विलम्ब आदि के बारे में हैं । इन पहलूओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जा रही है ।

Shri Bibhuti Mishra : I think that Members of both the sides do not know much about the problems of agricultural labour because they do not come from villages. The Hon. Minister may be knowing it, I am not sure. Agricultural labours have to work with the farmers and assist them in the field. May I know whether any calculation has been made by the Government as to how much is spent by the farmer per acre, what he gains and how much he can afford to give to agricultural labour? There is no bonded labour in my district. May I know whether before doing anything for the welfare of agricultural labour, the Governmet do not think it proper to appoint a Committee to go into the relations between the farmers and the agricultual labour and to find out ways and means for their welfare. The position of agricultural labour is different from that of industrial labour.

श्री रघुनाथ रेड्डी : प्रश्न न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में हैं इसे उत्पादन या अन्य समस्याओं जैसे कीमत आदि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है ।

Shri Sarjoo Pandey : For agricultural labour Minimum wages and other Acts are being formulated. The question regarding their implementation also arises. For their implementation their opinion should also be taken. May I know whether any organisation will be constituted which will facilitate in the implementation of 20-point economic programme and laws regarding distribution of land. May I know whether Government have issued such orders regarding assimilation of agricultural organisations in all the districts so that the irregularities being committed in the implementation of the programme should be done away with ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया था तथा न्यूनतम मजूरी अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख किया गया था। न्यूनतम मजूरी अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति तभी हो सकती है जब कृषि श्रमिक इसमें सहयोग दें। मजदूर संघ गतिविधियों के बिना, इस अधिनियम को क्रियान्वित करना कठिन है। यही कारण है कि हम कैम्पों का आयोजन कर रहे हैं और अध्यक्ष महोदय ने भी ऐसे कैम्प में भाग लिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा कैम्प था।

श्री रघुनाथ रेड्डी : धन्यवाद।

उद्योगों में जबरन छुट्टी, तालाबन्दी, छंटनी और कारखानों को बन्द करने पर रोक

*251. **श्री सुधीर मुकर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भी जबरन छुट्टी, तालाबन्दी, छंटनी और कारखानों के बन्द होने पर रोक नहीं लग सकी है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976, 5 मार्च, 1976 से लागू हुआ है। केन्द्रीय कार्य क्षेत्र में उस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघनों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। ये संशोधन तालाबन्दियों पर लागू नहीं होते।

श्री सुधीर मुकर्जी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि हाल में बर्ड एण्ड कम्पनी की युनियन नार्थ जूट मिल में तालाबन्दी हो गई है और कई कारखानों में भी तालाबन्दी हो रही है। पश्चिम बंगाल विधान सभा में श्रम मंत्री ने तालाबन्दी, जबरी छुट्टी, छंटनी, कारखाना बंद होने आदि के जो आंकड़े दिए हैं उससे चिन्ता उत्पन्न हो गई है। इनको रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मुझे किसी विशिष्ट तालाबन्दी के बारे में जानकारी नहीं है। जहां तक जबरी छुट्टी, छंटनी तथा कारखाना बंद होने का प्रश्न है, हाल में सदन ने इस बारे में एक विधेयक पास किया है और इसके उपबन्ध बहुत स्पष्ट हैं। राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार उचित कार्यवाही करेंगी। जहां तक केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामले का सम्बन्ध है, अभी तक एक मामला आया है और आवेदन पत्र उपयुक्त प्राधिकरण के पास है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय यह जानते हैं कि कानपुर में दो कपड़ा मिलें तथा एक पटसन मिल और सवाई माधोपुर में एक सीमेंट कारखाना बन्द पड़े हैं तथा लगभग 10,000 कर्मचारी मारे मारे फिर रहे हैं। क्या इन कारखानों में पुनः काम चालू करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकार माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मामले पर विचार कर रही है और माननीय सदस्य यह बात जानते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं हर वर्ष ऐसा सुनता आ रहा हूं। मेरे विचार में श्रम मंत्री भी उतने ही चिंतित हैं। वाणिज्य मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए था। 10,000 कर्मचारियों को सहारा देने के लिए कोई आश्वासन या उत्तर आवश्य दिया जाना चाहिए। कर्मचारी बेचारे भूखे मर रहे हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य ने कई बार यह प्रश्न उठाया है ; इसमें कोई सन्देह की बात नहीं। जहां तक मुझे पता है वाणिज्य मंत्रालय इस मामले पर कार्यवाही कर रहा है ; राज्य सरकार भी कार्यवाही कर रही है। सरकार इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। विशिष्ट कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है।

श्री सी० सी० दण्डपाणि : तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कोयम्बटूर जिले के वस्त्र उद्योग में जबरी छुट्टी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तमिलनाडु का प्रशासन अब केन्द्रीय सरकार के हाथों में हैं। क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत है और क्या वह इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? दूसरे तमिलनाडु में सरकार ने यह सूचना जारी की है कि जबरी छुट्टी घोषित लेने से पूर्व उद्योगपतियों को तमिलनाडु सरकार से अनुमति लेनी होगी। क्या सरकार की नीति उद्योगों की तालाबन्दी के लिए अनुमति देने की है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : हो सकता है मेरी बात सही नहीं हो। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद तमिलनाडु में मानव घंटे बेकार नहीं गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। तमिलनाडु की वर्तमान सरकार ने एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें कहा गया है कि तालाबन्दी एवं जबरी छुट्टी करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेनी होगी क्या यह तथ्य है।

अध्यक्ष महोदय : किसने वक्तव्य दिया है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : स्थिति यह है कि मिल मालिकों को तालाबन्दी एवं जबरी छुटटी करने से पूर्व सरकार को सूचना देनी होगी। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है ?

श्री त्रिदिब चौधरी : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम के अधीन छटनी जबरी छुट्टी आदि के बारे में कार्यवाही करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। परन्तु कुछ दिन पूर्व मंत्री महोदय ने राज्य-सभा में यह वक्तव्य दिया था कि आपात स्थिति की घोषणा के बाद 4 लाख लोगों की जबरी छुट्टी की गई है। छटनी सम्बन्धी आंकड़े नहीं दिए गए। क्या राज्य सरकार का विशेष ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सदन द्वारा अधिनियम पास करने का उद्देश्य पूरा हो सके ? अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यह बताने से कोई लाभ नहीं है कि यह काम राज्य सरकार का है और केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकती और राज्य विधान मंडलों को इस पर ध्यान देना होगा। देश आपातकालीन स्थिति से गुजर रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अधिनियम का क्रियान्वयन सही प्रकार से हो।

श्री रघुनाथ रेड्डी : राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है और उन्हें यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा गया है और कुछ राज्य सरकारों

ने नियम प्रकाशित किए हैं। कुछ अरसे बाद नियम लागू हो जाएंगे। जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, नियम तथा अधिनियम 5 मार्च से लागू हो गए थे।

Shri Ram Singh Bhai: The Act has been amended and the amendment clearly says that the miles which have been closed down before the enforcement of the Act their owners will have to take the permission of the Government within 15 days of the implementation of the Act and in case they fail to take the permission, Government will take over those mills and prosecute mill owners. May I know what action has been taken in this regard ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह विधान कारखानों को सरकार द्वारा अपने कब्जे में लेने से सम्बन्धित नहीं है। इसमें तो यह कहा गया है कि अगर उपयुक्त प्राधिकरण की इजाजत के बिना किसी व्यक्ति की प्रबन्धकों द्वारा जबरी छुट्टी की जाती है तो यह समझा जाएगा कि कानून के अनुसार उसकी जबरी छुट्टी नहीं की गई है। उसे नौकरी में ही समझा जाएगा और वह पूरे वेतन का अधिकारी होगा।

Loss to Mughal Lines Shipping Company

*252. **Shri Hari Singh**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the work of Mughal Lines Shipping Company has been at a standstill for the last three years resulting in heavy financial loss to the company ; and

(b) the fresh steps taken by Government to make good the loss ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरी सिंह : क्या यह सच है कि विदेशी नौवहन कम्पनियां भारतीय नौवहन कम्पनियों के अन्तर्गत आती हैं और जब भारतीय जहाजों को माल नहीं मिलता . . .

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्यापक प्रश्न है।

Shri Hari Singh: The foreign Ships are causing harm to the Indian lines by operating their ships.

अध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रश्न का मूल प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध है ? मेरे विचार से तो दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं।

Shri Hari Singh: Then I ask another question. May I know the income earned by Mughal Lines during the last three years ? Is it a fact that it decreased every year ; if so, the reason therefor ?

Dr. G. S. Dhillon: For the Kind information of hon. Member, I submit that till 1974-75 Mughal Lines earned profit. In 1972-73, 1973-74, 1974-75 it earned profit of Rs. 14 lakhs 66 thousands, 79 lakhs 90 thousands and 72 lakhs 40 thousands respectively. But due to International and National slump, it is going on loss. Most of the losses incurred due to overseas Passenger Service and Kon Kan Passenger Service. But whatever profit is earned by the liner service, offset the losses.

श्री एस० आर० दामाणी : गत तीन वर्ष नौवहन उद्योग के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुगल लाइन्स को होने वाले घाटे के क्या कारण हैं जबकि अन्य कम्पनियां लाभ कमा रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया है कि कम्पनियों को घाटा हुआ है।

श्री एस० आर० दामाणी : ऐसा तो इस वर्ष हुआ है। मैं गत तीन वर्षों की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पक्का उत्तर 'नहीं' में दे दिया है।

लीमा और पेरिस सम्मेलनों में लिये गये नयी आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी निर्णय की क्रियान्विति

*253. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गुट-निरपेक्ष और विकासशील देशों के लीमा और पेरिस सम्मेलनों में लिये गये नयी आर्थिक व्यवस्था संबंधी निर्णय की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सभी देशों के बीच पारस्परिक सहयोग और अन्योन्याश्रय पर आधारित एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का निर्णय 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के छठे विशेष अधिवेशन में लिया गया था। इसके बाद देशों के आर्थिक अधिकार और कर्त्तव्यों का घोषणापत्र स्वीकार किया गया। 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सातवें विशेष अधिवेशन में विकास की समस्याओं और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर समेकित एवं विस्तृत ढंग से विचार किया गया और इस विषय पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अधिवेशन में गुट निरपेक्ष देशों के लीमा सम्मेलन के निर्णयों को भी ध्यान में रखा गया। यह सम्मेलन परस्पर सद्भाव और रचनात्मक सहयोग की भावना से हुआ। नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की दिशा में यह एक स्वागत योग्य अगला कदम था। तब से छठे और सातवें विशेष सम्मेलनों के निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु ठोस उपाय निर्धारित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में तथा बाहर भी, इसमें पेरिस सम्मेलन शामिल है, विस्तृत बातचीत चल रही है।

2. नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्णय ने हाल के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट से सर्वाधिक प्रभावित देशों की कठिनाइयों को कम करने के एक विशेष कार्यक्रम पर विशेष बल दिया ताकि उन्हें वर्तमान शेष अदायगियों की कठिनाइयों से मुक्ति पाने में तथा आर्थिक विकास में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

श्री भोगेन्द्र झा : इस मामले में गुट निरपेक्ष देशों की स्थिति को सुधारने के लिए भारत द्वारा की गई पहल सराहनीय है और हम ने यह नारा ठीक ही दिया है कि "सहायता नहीं अपितु व्यापार चाहिये"। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि लीमा तथा अन्य स्थानों पर यह निर्णय किया गया था कि विकासशील देशों द्वारा औद्योगिक विकसित देशों को निर्यात किये गये कच्चे सामान के मूल्य, उनके द्वारा उसी सामान से बनाये गये सामान के अनुसार ही होने चाहियें और क्या सभी विकसित देशों या अलग-अलग विकासशील देशों तथा भारत के बीच कोई इस प्रकार का समझौता हो गया है, और विशेष रूप से ब्रिटेन, अमरीका तथा अन्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित पूंजीवादी देशों के साथ मूल्यों के बारे में कोई इस प्रकार का समझौता हुआ है और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह तो आप जानते ही हैं कि ऊर्जा के साथ-साथ विकासशील तथा औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के बीच बातचीत करने वाले मामलों में कच्चे सामान सम्बन्धी बातचीत का मामला भी काफी महत्त्वपूर्ण है और विशेष रूप से पेरिस सम्मेलन के निर्णयों के उपरान्त एक विशेष आयोग की स्थापना की गई है जिस में औद्योगिकृत तथा विकासशील

देशों के प्रतिनिधि बैठकर इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। यह मामले बहुत ही पेचीदा हैं। इस मामले के बारे में भी यह कहना बहुत कठिन है कि सभी विकासशील देशों के हित समान हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि इसके बारे में बातचीत करते समय हमें अधिक सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बातचीत आरम्भ हो गई है परन्तु मेरा विश्वास है कि उसके कुछ ठोस परिणाम सामने आने में अभी कुछ समय लगेगा। परन्तु इस विशेष मामले में सम्पूर्ण समुदाय ने रुचि ली है और इस पर विचार किया जा रहा है। ब्रिटेन तथा अमरीका को भी इस आयोग में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रश्न का केवल ब्रिटेन तथा अमरीका से संबंध नहीं अपितु सम्पूर्ण पश्चिमी औद्योगीकृत विकसित देशों से सम्बद्ध है। इससे किसी एक देश को अलग करने का कोई लाभ नहीं होगा यद्यपि हम विश्लेषण करने तथा राजनीतिक दृष्टि से निश्चय ही ऐसा कर सकते हैं परन्तु अन्ततः वह सभी एक गुट होकर कार्य करते हैं क्योंकि उन सब के हित समान हैं। अतः हमें भी इस मामले पर एक गुट होकर विचार करना पड़ेगा।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्हीं मामलों पर अपने हितों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये ही हमने संयुक्त भारत-अमरीका आयोग की स्थापना की है। और क्या.....

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अधिक सम्बद्ध प्रश्न नहीं है। संयुक्त आयोग मुख्यतः दो तरफा बातचीत के लिए ही होता है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किया है कि पश्चिम के अधिक विकसित पूंजीवादी देश और अमरीका हमारे कच्चे सामान को स्वीकार कर लें और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसका उत्तर हां ही मैं देता हूं। औद्योगीकृत देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना ही हमारी नीति का मुख्य आधार है परन्तु इसके बारे में यदि आप विस्तृत ब्यौरा चाहें तो आपको वाणिज्य मंत्री से प्रश्न पूछना पड़ेगा क्योंकि यह विषय मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : अमरीका के विदेश मंत्री श्री हैनरी किसिंगर द्वारा दी गई इस छिठौनी धमकी को दृष्टिगत रखते हुये कि संयुक्त राष्ट्र के फोरम में अमरीका का विरोध करने वाले देशों की आर्थिक सहायता बन्द कर दी जायेगी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमने अपने पड़ौसी तथा गुट निरपेक्ष फोरम से लाभ उठाने वाले अन्य देशों के साथ एकतरफा तथा दोतरफा समझौता करने की दिशा में कोई कदम उठाया गया है जिससे कि हमारी स्थिति सुदृढ़ हो जाये और हमें इन अवांछनीय उपभोक्ताओं की उदारता पर निर्भर न रहना पड़े ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : लीमा सम्मेलन में मुख्य रूप से इसी बात पर बल दिया गया था कि गुट-निरपेक्ष देशों को आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिये। गुट-निरपेक्ष देशों की आत्म-निर्भरता आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से स्थायित्व प्राप्त करने के उनके प्रयत्नों तथा उनमें आपसी सहयोग बढ़ाने की भावना पर भी अधिक बल देना पड़ेगा क्योंकि अन्य देश या उनके विदेश मंत्री जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ; अतः उनसे तो हमें ऐसी ही आशा थी, और वह उसी के अनुरूप कह रहे हैं। मैं समझता हूं हमें निश्चय ही अपने ही मार्ग पर चलते जाना चाहिये।

उद्योग-व्यापार, कर्मचारियों के आदान-प्रदान के बारे में सोवियत संघ के साथ करार

*254. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग-व्यापार कर्मचारियों के आदान-प्रदान के बारे में सोवियत संघ के साथ हाल ही में एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन का काम पूरा किया जाना

*241. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गोपालपुर में पत्तन के निर्माण का कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पत्तन का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख). गोपालपुर के छोटे पत्तन की विकास की योजना पर केन्द्रीय सरकार जांच कर रही है ।

Statement by Dr. Kissinger threatening third world Countries over Aid Issue

*244 **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Dr. Henry Kissinger had held out a threat to third world countries that economic aid would be stopped to those opposing the U.S. in the U.N.; and

(b) whether Government of India have protested against this statement ?

The Minister of External Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) & (b). In a speech before the Boston World Affairs Council on 11th March, the U.S. Secretary of State referred to the Non-aligned countries at the United Nations as a "confrontationist coalition" and stated that progress towards an equitable world economic system would depend on a spirit of mutual respect, realism and practical co-operation. He added that "extortions will not work and will not be supinely accepted."

In our view this is a negative assessment. Right from its inception, the Non-aligned Movement has played a positive and a dynamic role in the changing world situation. With growing unity and solidarity, the Non-aligned countries have emerged as a significant force and have made an effective impact at the United Nations and other international forms in evolving and strengthening the spirit of constructive cooperation rather than confrontation. This was fully reflected during the 7th Special Session of the United Nations which adopted on a unanimous basis steps to be taken by the international community to bring about the establishment of an international economic order based on equality and justice.

जनशक्ति आयोजना के बारे में भारत और बहरीन के बीच बातचीत

*246. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनशक्ति आयोजना के बारे में हाल ही में भारत और बहरीन के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) बातचीत सामान्य तथा औपचारिक ढंग की थी । इसका उद्देश्य परस्पर हित के संबंधित क्षेत्रों में आगन्तुकों को सूचना देना था और बातचीत के कोई निष्कर्ष नहीं निकले ।

केरल में स्थापित की जाने वाली इस्पात परियोजनाएं

*248. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केरल में स्थापित की जाने वाली कुछ इस्पात परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य के कब आरम्भ होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख). जी, नहीं । केरल में सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने की स्थापना करने के बारे में योजना आयोग ने किसी प्रस्ताव की मंजूरी नहीं दी है । हम ने भी ऐसा कोई प्रस्ताव योजना आयोग को नहीं भेजा है । फिर भी संयुक्त क्षेत्र में (केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ) स्टील कम्पलेक्स लि०, केरल, के नाम से एक इकाई को प्रतिवर्ष 50,000 टन पिघला हुआ इस्पात तैयार करने के लिये एक विद्युत् भट्टी लगाने के लिये मार्च, 1972 में लाइसेंस दिया गया था । यह कारखाना अगस्त 1973 से उत्पादन कर रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के लिए चल-औषधालय

*250. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों में चल-औषधालयों की व्यवस्था करेगी ; और

(ख) क्या इस के लिये राज्यों को कोई सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गांवों में इलाज की सुविधायें बेहतर बनाने के लिये यह विचार किया जा रहा है कि सभी मैडिकल कालेजों और उनसे सम्बद्ध अस्पतालों से कहा जायें कि वे 2-3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्भालें ।

(ख) इसके लिये राज्यों को कोई खास सहायता नहीं दी गई है। इस योजना को उनके ग्राम क्रियाकलापों के एक अंग के रूप में चलाया जायेगा।

कोलम्बो में तटस्थ राष्ट्रों का प्रस्तावित सम्मेलन

*255. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त में कोलम्बो में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन करने की योजना बनाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस में देशों का प्रतिनिधित्व किस स्तर के अधिकारियों द्वारा होगा; और

(ग) उस में किन मुख्य विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) गुट निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों का यह पांचवां शिखर सम्मेलन है इसलिये यह उम्मीद की जाती है कि इस में भाग लेने वाले सभी देशों का प्रतिनिधित्व वहां के राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष करेंगे।

(ग) कोलम्बो के शिखर सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार विमर्श होने की सम्भावना है, वे नीचे लिखे अनुसार हैं :

(1) अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति तथा गुट निरपेक्षता की भूमिका पर सामान्य विचार तथा मूल्यांकन,

(2) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति तथा विकास की समस्याओं पर विचार,

(3) गुट निरपेक्ष देशों के बीच आर्थिक एकता और सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार,

(4) गुट निरपेक्ष देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग और तालमेल बढ़ाने के उपायों पर विचार।

प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर इस्पात उपलब्ध होना

*256. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर इस्पात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने अपने इस्पात कारखानों में संचालन लागत में कमी करने के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : मूल्य वृद्धि के विभिन्न कारणों, जिन पर इस्पात कारखानों का कोई बस नहीं है, के बावजूद उत्पादन लागत में कमी लाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में कई कदम उठाये गये हैं। इन में क्षमता का बेहतर उपयोग खपत के मानकों में सुधार, तैयार उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि, बेहतर रोकड़ व्यवस्था और इस्पात के वितरण की बेहतर व्यवस्था शामिल हैं।

Extension of Provident Fund facility to employees in shops and establishments

***257. Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the provident fund facility is not available to employees in shops and establishments ; and

(b) whether Government propose to extend this facility to them keeping in view their large number and low salary ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) The Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 applies *inter alia* to Trading and Commercial Establishments engaged in the purchase, sale or storage of any goods and employing 20 or more persons, with effect from 30th April, 1962. The coverage is however subject to completion of infancy periods of 3/5 years in respect of establishments employing 50/20 or more persons respectively.

(b) Does not arise.

बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन लक्ष्य में कमी

*258. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकत्र हुए इस्पात के भंडार के निपटान की दृष्टि से बिक्री योग्य इस्पात के 1976-77 के उत्पादन लक्ष्य में कमी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, नहीं। इस के विपरीत आशा है कि वर्ष 1976-77 में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन 64.6 लाख टन होगा जब कि वर्ष 1975-76 में उत्पादन 57 लाख टन हुआ था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हृदय रोगियों के लिए जीवन रक्षा यंत्र (लाइफ सेविंग एड)

*259. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल के दौरे के शिकार लोगों के लिये जीवन रक्षा यंत्र की सुविधा प्रदान करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). देश के अधिकांश प्रमुख अस्पतालों में आपातिक आधार पर हृदय रोगों के इलाज के उपकरण और सुविधायें उपलब्ध हैं। दिल्ली में एक गश्ती हृदय रोग उपचार एकक (मोबाइल कोरोनरी केअर यूनिट) भी उपलब्ध है।

चाय बागानों में महिलाओं को समान मजूरी न दिया जाना

*260. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में चाय बागानों में महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिये समान मजदूरी संबंधी अध्यादेश जारी होने के पश्चात् भी समान मजूरी नहीं दी जाती ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल के चाय बागान में मजदूरियां त्रिपक्षीय समझौते द्वारा निर्धारित की

गई है और समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 के उपबन्धों का कार्यान्वयन करवाने के लिये प्रबन्धकों के साथ विचार विमर्श चल रहा है।

Water Seepage in Bihar Mines

1286. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the **Minister of Labour** be pleased to state :

(a) whether there is a likelihood of water seepage in mines in Bihar ;

(b) if so, the name of those mines ; and

(c) the action being taken to check it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) : Normal seepage of water in mines does not endanger human lives. It is only excessive or unusual seepage that might endanger safety.

Action has been taken to stop work in certain workings of the following coalmines in Bihar where such danger of inundation was apprehended ;

1. New Dugda Colliery.
2. Barora Colliery.
3. Selected Dhori Colliery.
4. Sudamdih Incline Mine.

तमिलनाडु में एक औद्योगिक सर्वोच्च निकाय की स्थापना

1287. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में शीघ्र ही एक औद्योगिक सर्वोच्च निकाय की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) तमिलनाडु सरकार ने 11 मार्च, 1976 को एक राज्य श्रम शिखर निकाय स्थापित किया है।

(ख) तमिलनाडु के राज्यपाल के सलाहकार, कर्मचारियों और नियोजकों के बारह बारह प्रतिनिधियों तथा तीन सरकारी सदस्यों को मिलाकर बनाए गए इस त्रिपक्षीय निकाय के चेयरमैन हैं।

Fall of Birth Rate in Madhya Pradesh

1288. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the percentage of fall in the birth rate in Madhya Pradesh as a result of family planning during the last three years ; and

(b) how it compares with the targets fixed ?

Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) In terms of the births averted as a result of the Family Planning Programme, it is estimated that the birth rate wouln have dropped by about 3·9% in Madhya Pradesh during the last three years (ending 1974 75).

(b) the reduction in birth rate was below expectation as the State could achieve only 58·3% of its performance targets in terms of acceptors fixed for the last three years.

एक उद्योग में एक मजदूर संघ

1289. **श्री मधु दंडवते :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों से 'एक उद्योग के लिए एक मजदूर संघ' बनाने के प्रस्ताव पर उसके मत, जो सम्बद्ध उद्योग के श्रमिकों की गुप्त मतदान से जानी गई इच्छाओं पर आधारित हों, जाने हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दुर्गापुर में इनगाट इस्पात का उत्पादन

1290. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने इनगाट इस्पात-उत्पादन के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस बात को देखते हुए कि उसकी क्षमता का पूर्ण रूप से तथा प्रभावी ढंग से उपयोग हो रहा है क्या सरकार का विचार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आगे विस्तार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) हाल के महीनों में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में इस्पात पिण्ड के उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । अप्रैल, 1975 से फरवरी, 1976 की अवधि में इस्पात पिण्ड का मासिक उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

मास	इस्पात पिण्ड का उत्पादन (हजार टन)	निर्धारित क्षमता का प्रतिशत उत्पादन
अप्रैल, 75 . . .	70.2	52.6
मई, 75 . . .	64.9	48.6
जून, 75 . . .	61.8	46.3
जुलाई, 75 . . .	80.0	60
अगस्त, 75 . . .	85.4	64
सितम्बर, 75 . .	83.3	62.4
अक्तूबर, 75 . .	82.2	61.6
नवम्बर, 75 . . .	87.8	65.8
दिसम्बर, 75 . .	103.2	77.4
जनवरी, 76 . . .	94.1	70.5
फरवरी, 76 . . .	90.1	67.5

(ग) और (घ) सामान्यतया इस्पात कारखानों में क्षमता का उपयोग उस समय इष्टतम माना जाता है जब काफी समय तक क्षमता के उपयोग का स्तर 90 प्रतिशत तक रहे। जब कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन में सुधार एक अच्छी बात है परिचालन का इष्टतमस्तर अभी प्राप्त किया जाना है। इस कारखाने के विस्तार पर यथा समय विचार किया जाएगा।

परिवार नियोजन कार्य में गैर-सरकारी डाक्टरों आदि की नियुक्ति

1291. **श्री श्याम सुन्दर पहापात्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में परिवार नियोजन आन्दोलन को तेज करने के लिए मानदेय के आधार पर गैर सरकारी डाक्टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला नेताओं को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) परिवार नियोजन के बारे में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कितनी परिवार नियोजन शिक्षा सोसाइटियां हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) वर्तमान पैटर्न के अन्तर्गत प्रेरणादायक कार्य और सेवा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने की पहले से ही व्यवस्था की गई है ।

गैर-सरकारी डाक्टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला नेताओं को मानदेय के आधार पर नियुक्त करने की कोई भी नई योजना बनाने का विचार नहीं है ।

(ख) सरकार को किसी भी तथाकथित परिवार नियोजन शिक्षा सोसाइटी का पता नही है । फिर भी परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए देश में अनेक स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं और वे शिक्षा एवं प्रेरणा कार्यों में जुटे हुए हैं ।

मलेरिया से मरे व्यक्ति

1292. **श्री नुरुल हुडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हमारे देश में राज्य-वार मलेरिया से कितने व्यक्ति मरे तथा कितनों को यहरोग हुआ ; और

(ख) क्या सरकार हमारे देश में तेजी से बढ़ती मच्छरों की संख्या को रोकने के लिए उपाय कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-10533/76]

(ख) और (ग) देश में मलेरिया की स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय बरत रही है :—

(i) मलेरिया एककों को पुनर्गठित किया जा रहा है ।

(ii) फील्ड स्टाफ के काम का निरीक्षण तेज कर दिया गया है ।

(iii) राज्यों को अधिक मात्रा में विभिन्न कीटनाशी और मलेरिया-रोधी दवाइयां भेजी जा रही हैं ।

(iv) जहां वैक्टर में डी० डी० टी० को हजम करने की शक्ति आ गई है उन एककों को दूसरी कीटनाशी दवाइयां दी जा रही हैं ।

(v) शहरी क्षेत्रों में लार्वा रोधी कार्यों को तेज किया जा रहा है ।

(vi) जिन क्षेत्रों में यह रोग निरन्तर फैला रहता है उनमें विशेष अन्वेषण कार्य किये जा रहे हैं ।

(vii) प्लाज्मोडियम फाल्सिपैरम में क्लोरोक्वीन को हजम करने की कितनी शक्ति पैदा हो गई है इसे समझने के लिए और इसके विरुद्ध कौन सी दवा गुणकारी हो सकती है इसका निर्धारण करने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं । इस स्थिति को रोकने के लिए जरूरतमन्द एककों को क्विनीन की गोलियां/एम्पूल्स दी जा रही हैं ।

डाक लेखा को लेखा परीक्षा विभाग से पृथक करना

1293. **श्री दयालार रवि :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक लेखा को लेखा परीक्षा विभाग से पृथक करने का निर्णय लिया है; और

(ख) क्या सरकार उक्त लेखा कार्य को डाकघर और रेल डाक सेवा अकाउन्टेंटों/असिस्टैंट अकाउन्टेंटों को सौंपेगी ।

संचार मंत्री (डा० शकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । भारतीय लेखा परीक्षा विभाग से लिया गया डाक लेखा का काम लेखा परीक्षा विभाग से आए कर्मचारियों को सौंप दिया जाएगा । मौजूदा कर्मचारी अर्थात् डाकघर और रेल डाक सेवा लेखाकार/सहायक लेखाकार इस समय जो काम कर रहे हैं, वह करते रहेंगे ।

औद्योगिक एककों का वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए विशेषज्ञ निकाय

1294. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के लिए कपड़ा सम्बन्धी राष्ट्रीय औद्योगिक द्विपक्षीय समिति ने औद्योगिक एककों की वित्तीय स्थिति को जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) एक विशेषज्ञ समिति जिसमें कपड़ा उद्योग में श्रमिक संघों और मिल मालिकों के चार-चार प्रतिनिधि तथा चार सरकार के नामित व्यक्ति सम्मिलित हैं, वाणिज्य मंत्रालय, बैंक कार्य विभाग, राजस्व और बीमा विभाग और रिजर्व बैंक आफ इंडिया से एक-एक, की 26 फरवरी, 1976 को घोषणा की गई थी जिसे उद्योग के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली समस्याओं की जांच करनी थी और अपनी नियुक्ति की तारीख से एक महीने के भीतर उचित उपचारी उपायों की सिफारिश करनी थी। इसकी पहली बैठक 6 अप्रैल, 1976 के लिए निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की मिलों में भविष्य निधि की राशि में नियोक्ता-योगदान बन्द किया जाना

1295. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल नेशनल टैक्सेटाइल कारपोरेशन की मिलों में सरकारी आदेशों के अन्तर्गत भविष्य निधि की राशि में नियोक्ताओं का योगदान जनवरी, 1976 से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय भविष्य निधि आयुक्त से परामर्श करके तथा उसकी मंजूरी से ऐसा किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मसालों, डिब्बा बन्द भोजन तथा खाद्य तेलों में मिलावट

1296. **श्री रानेन सेन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाले, डिब्बा बन्द भोजन तथा खाद्य तेलो में अपमिश्रण के बहुत से मामलों में जांच नहीं हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मसालों, डिब्बा बन्द भोजनों और खाद्य तेलों में मिलावट बड़े पैमाने पर हो रही है और उसकी जांच नहीं की जा रही है।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षकों द्वारा इन खाद्य पदार्थों के नमूने नियमित रूप से लिए जाते हैं और जहां कहीं नमूने मिलावटी पाये जाते हैं उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है। फल उत्पाद आदेश के अन्तर्गत डिब्बा बन्द फलों और सब्जी की आगे भी जांच की जा सकती है।

इरोमपानम-केलमसेरो सड़क का कार्य

1297. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उनके मन्त्रालय से अनुरोध किया है कि वह इरोमपानम-केलमसेरो मार्ग पर काम करना शुरू कर दें और पांचवीं योजना में इसकी क्रियान्विति हेतु इसे सी० आर० एफ़० (स्पेशल) रिजर्व फ़ण्ड में सम्मिलित कर लें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि केरल सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि (विशेष) आरक्षण से सड़क को वित्त पोषित करने का प्रस्ताव नहीं किया है, तथापि उन्होंने इसे पांचवीं योजना के दौरान "विशेष क्षेत्रीय विकास योजनाएं और केन्द्रीय मन्त्रालयो की आवश्यकताओं" के कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार को जून, 1974 में सूचित किया गया कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के मन्त्रालयों द्वारा प्रायोजित सड़क परियोजनाओ के लिए था और यह कि इस प्रोग्राम में से किसी कार्य के लिए वित्तीय सहायता पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है, जब तक सड़क परिवहन परियोजना को भारत सरकार का कोई मन्त्रालय प्रायोजित न करे।

चौथा अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून सम्मेलन

1298. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 9–14 जनवरी, 1976 को सेन जुआन में हुए चौथे अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून सम्मेलन में चिली के भूतपूर्व विदेश मन्त्री द्वारा रखा गया प्रलेख प्रधान मन्त्री को प्राप्त हो गया है जिससे ज्ञात होता है कि चिली में हस्तक्षेप करने के लिए आई० टी० आई० उपराष्ट्रपति मेरियन तथा राष्ट्रपति निक्सन किस प्रकार सांठ-गांठ कर रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उस सम्मेलन में विकासशील देशों को ऐसी गतिविधियों की चेतावनी दी गई थी; और

(घ) हमारे लोकतन्त्र तथा प्रभुसत्ता को ऐसे खतरों के प्रति सावधान रखने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिष्णपाल दास) : (क) और (ग) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों से सम्बद्ध अभिसमय के मसौदे पर विचार-विमर्श के सन्दर्भ में चौथे अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्मेलन ने किसी प्रभुसत्तात्मक राज्य के मामलों में किसी भी प्रकार की कार्रवाई के जरिये, जिससे उसकी अर्थ-व्यवस्था नष्ट होती हो, बाहरी हस्तक्षेप का विशेष हवाला दिया था।

(ख) और (घ) भारत सरकार ने अन्य देश के आन्तरिक मामलों में किसी अन्य देश अथवा संगठन द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप का बराबर विरोध किया है; वह देश की प्रभुसत्ता, लोकतन्त्र और स्थिरता को ऐसे किसी भी खतरे या धमकी से बचाने के लिए सभी उचित उपाय बरत रही है।

रानीगंज झरिया कोयला बैल्ट में दुर्घटना

1299. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चासनाला खान दुर्घटना के पश्चात् रानीगंज झरिया कोयला बल्ट में कोयला खानों में कितनी दुर्घटनायें हुईं तथा किस-किस स्थान में हुईं; और

(ख) चासनाला दुर्घटना के बाद इन दुर्घटनाओं में प्रत्येक खान में कितने-कितने व्यक्ति मरे और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मन्त्रालय के अत्यधिक सजग रहने पर भी ये दुर्घटनायें किन कारणों से घटीं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) चासनाला की घटना के बाद रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों में कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०—10534/76]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

1300. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खानों में मनाए गए उत्पादन एवं सुरक्षा पखवाड़े के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुईं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खानों में दो से चौदह फ़रवरी, 1976 तक उन द्वारा मनाए गए उत्पादन एवं सुरक्षा पखवारे के दौरान तीन घातक और तेरह गम्भीर दुर्घटनाएं हुईं जिनके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा सोलह अन्य व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आईं।

गाँवों में दैनिक डाक वितरण की सुविधाएं

1301. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहु-राज्य सर्किलों के मामले में (राज्य-वार) कितने तथा कितने प्रशिक्षित ग्रामों में दैनिक डाक वितरण की सुविधा दी गई है;

(ख) सर्किलवार (बहु-राज्य सर्किलों के मामले में राज्य-वार) कितने तथा कितने प्रतिशत ग्रामों में (एक) सप्ताह में तीन बार (दो) सप्ताह में दो बार (तीन) सप्ताह में एक बार और (चार) सप्ताह से अधिक अवधि में एक बार डाक वितरित होती है; और

(ग) जिन गांवों में प्रतिदिन डाक वितरित नहीं होती उनके डाक वितरण की सुविधाओं में धीरे-धीरे सुधार करने के क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) वांछित सूचना सभा-पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी०--10535/76]

(ग) देहाती इलाकों में डाक सुविधाओं में गति लाने और वितरण में सुधार लाने के लिए विभाग ने एक ऐसा सम्मिलित अभियान चलाया है जिसके अन्तर्गत हरकारा मार्गों को डाक मोटर मार्गों में बदल दिया गया है और डाक वितरण के प्रबन्ध आदि को उपयुक्त रूप से पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम की चालू हालत में बसें

1302. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1976 को दिल्ली परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसें थीं; और

(ख) पूरी तरह चालू हालत में कितनी बसें हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी और बसें उपलब्ध करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) 1-3-76 को, दिल्ली परिवहन निगम के पास 2036 बसों का बेड़ा था, जिसमें से 1555 सही हालत में चलने लायक थीं। निगम ने 1975-76 के दौरान 400 बसों का आर्डर दिया। इसमें से 180 बसें पहले ही प्राप्त हो गयी हैं। शेष 220 बसो में से अधिक को भी वर्ष की समाप्ति से पहले प्राप्त होने की सम्भावना है।

पश्चिम बंगाल में लघु इस्पात संयंत्र

1303. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में बर्दवान जिले में लघु इस्पात सन्यन्त्र स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लघु इस्पात सन्यन्त्र में उत्पादन कब से आरम्भ हो जाएगा।

इस्पात और खान मत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में बर्दवान जिले में इस्पात पिण्ड, छड़ें, गोल छड़ें और संरचनात्मक तैयार करने के लिये एक विद्युत् भट्टी एवं वेलन लघु इकाई की स्थापना के लिए हाल में एक आशय-पत्र दिया गया है। यह पश्चिम बंगाल सरकार की संयुक्त क्षेत्र की परियोजना होगी।

1975 में कोयला खान दुर्घटनाएं

1304. **श्री सोमानाथ चटर्जी**: क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में देश में कुल कितनी कोयला खान दुर्घटनाएं (चासनाला खान दुर्घटना के अतिरिक्त) हुईं;

(ख) इनमें से कितनी दुर्घटनाएं गम्भीर दुर्घटनाएं थीं; और

(ग) इन दुर्घटनाओं में कुल कितनी मौतें हुईं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) 1975 के दौरान कोयला खानों में 222 घातक दुर्घटनाएं (चासनाला कोलियरी में दुर्घटना को छोड़कर) और 2044 (अनंतिम) गम्भीर दुर्घटनाएं हुईं। अन्तर्ग्रस्त आहतों की संख्या को दुर्घटना की गम्भीरता के सूचक के रूप में लेते हुए, 16 घातक दुर्घटनाएं हुई थीं जिनमें तीन या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए।

सोवियत संघ के विदेश मंत्री का दौरा

1305. **श्री सरजू पांडे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) सोवियत उप विदेश मंत्री, श्री एन० पो० फिर्यूबिन ने 27 फरवरी से 5 मार्च 1976 तक भारत की यात्रा की। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने विदेश सचिव से बातचीत की और वे प्रधान मंत्री विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय में नीति नियोजन समिति के अध्यक्ष से मिले।

श्री फिर्यूबिन की यह यात्रा नियमित सम्पर्क और परामर्श करने की उस मैत्रीपूर्ण परम्परा में थी जिस के अन्तर्गत समय समय पर भारत और सोवियत संघ द्विपक्षीय मामलों तथा आपसी हित के अन्य मसलों पर परस्पर विचार विनिमय करते हैं।

कोयला खानों में भर्ती पर रोक

1306. **श्री रोबिन सेन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्भावित आप्लावन के कारण कितनी कोयला खानों में व्यक्तियों की भर्ती पर रोक लगी थी ;

(ख) ऐसी कोयला खानों के नाम क्या है ; और

(ग) प्रभावित व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) बाढ़ के आशंका किये गये खतरे के बारे में जारी किये गये खान सुरक्षा महानिदेशक के आदेश के परिणाम-स्वरूप निम्नलिखित कोयला खानों में व्यक्तियों के नियोजन पर प्रभाव पड़ा है :–

(1) न्यू दुग्दा कोलयरी।

(2) बारोरा कोलियरी।

(3) सेलेक्टेड ढोरी।

(4) चोरा कोलियरी।

(5) चांदामेंट्टा कोलियरी।

(6) अम्बारा कोलियरी।

(7) मोहन कोलियरी।

(8) न्यूटन चिकली 'ए' कोलियरी।

(9) सुदामडिह इन्क्लाइन माइन।

(10) सैंक्टोरिया कोलियरी।

(11) सेंट्रल सतग्राम कोलियरी।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रबन्धक ने प्रभावित व्यक्तियों में से किसी की भी छंटनी नहीं की है।

दक्षिण कनारा जिले के टेलीफोन एक्सचेंज

1307. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा जिले में इस समय काम कर रहे टेलिफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) निकट भविष्य में कितने एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 1-2-1976 को दक्षिण कनारा जिले में 41 एक्सचेंज काम कर रहे थे। इन की कुल क्षमता 10,175 लाइनों की थी और 8025 टेलिफोन कनेक्शन काम कर रहे थे और प्रतीक्षा सूची में 793 आवेदकों के नाम दर्ज थे। इन एक्सचेंजों में से 5 ऐक्सचेंज मैनुअल हैं और बाकी आटोमेटिक है।

(ख) तारीख 2-2-1976 से 15-3-1976 के बीच दो एक्सचेंज और खोल दिये गये हैं। इन के अतिरिक्त निकट भविष्य में नीचे लिखे स्थानों पर नये एक्सचेंज खोलने का भी प्रस्ताव है :-

(1) सुब्रह्मण्य
(2) बडगानुर
(3) अदयानाडका
(4) कन्याना
(5) परांजे
(6) मारवन्ते
(7) मन्दराती

डियागो गार्शिया की गतिविधियों के बारे में भारत-अमरीका संयुक्त आयोगों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत

1308. **श्री एस० एम० बनर्जी** :
श्री डी० के० पंडा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि एक नये करार के अंतर्गत अमरीका और ब्रिटेन ने हिन्द महासागर में डियागो गार्शिया द्वीप क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों और नीतियों पर एक दूसरे से विचार विमर्श करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत-अमरीका संयुक्त आयोग और इस के उप आयोगों की चल रही बैठकों में भाग लेते हुए इस बात का उल्लेख किया है ; और

(ग) इस संबंध में अमरीकी प्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) दोनों देशों के बीच विज्ञान तथा तकनीकी विज्ञान, शिक्षा एवं संस्कृति और आर्थिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये भारत-अमरीका संयुक्त आयोग और उस के उप आयोग स्थापित किये गये हैं। दियागो गार्शिया में अमरीकी अड्डों का प्रश्न उस के विचार-क्षेत्र में नहीं आता और वह प्रश्न आयोग तथा उस के उप आयोगों की बैठक में नहीं उठाया गया। लेकिन भारत सरकार के दियागो गार्शिया पर विचार समुचित अवसरों पर अमरीका को पहुंचा दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स द्वारा अपनाई गई कथित श्रम विरोधी नीतियाँ

1309. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स के कर्मचारी संघ से एक अथवा इस से अधिक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें इस संगठन के उद्योगपतियों की श्रम विरोधी नीतियों के विरुद्ध शिकायत की गई है ;

(ख) अब तक इस बारे में चैम्बर को बाध्य करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिस से वह दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम और रिक्त पदों की अधिसूचना संबंधी अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक दायित्वों का निर्वाह करें; और

(ग) उपरोक्त संगठन ने श्रम आयुक्त के पास अपने स्थायी आदेश कब दिये है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार इस से अवगत नहीं है।

बिना टिकट बस यात्रा

1310. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट बस यात्रा करने पर जुर्माना निर्धारित करने के लिये केन्द्र द्वारा मोटर गाड़ी अधिनियम तथा सडक परिवहन निगम अधिनियम का संशोधन करने का विचार है ;

(ख) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के बसों में टिकट के बिना यात्रा करने के अपराध के लिये और अधिक कड़ी सजा की व्यवस्था करने के लिये मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939

में विशेष प्रावधान को शामिल करने के सुझाव पर इस समय राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ग) 20 राज्यों में से आधे से अधिक राज्य, जिन्होंने अब तक उत्तर भेज दिया है, को सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने इस प्रयोजन के लिये अलग स्थानीय अधिनियमों को पहले ही अधिनियमित कर दिया है।

वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में से राज्यों को धन का आवंटन

1311. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75, 1975–76 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में से विभिन्न राज्य सरकारों को, राज्यवार, कितने धन का आवंटन किया गया है ; और

(ख) वर्ष 1976–77 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में से उड़ीसा को कितने धन का आवंटन किया जाएगा।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1974–75 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को किया गया राज्यवार आवंटन और 1974–75 के दौरान अब तक निर्धारित राशि संलग्न विवरण [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10536/76] में दी गयी है। पश्चादुक्त राशि ऐसे समायोजनों के अधीन है, जो मार्च 1976 के अंत तक राज्यों से प्राप्त होने वाली अन्तिम मांगों के आधार पर होगी।

(ख) 1976–77 में केन्द्रीय सड़क निधि से उड़ीसा और अन्य राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि, संसद द्वारा 1976–77 के बजट स्वीकृत किए जाने के बाद जानी जा सकती है।

हृदय रोग के रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं

1312. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में हृदय रोग से मरने वाले रोगियों की संख्या कुछ उन्नत देशों की तुलना में क्या है तथा सरकार ने देश के नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हृदय रोग के रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : हृदय रोग रजिस्टर नहीं किये जाते। अतः उनसे कितने लोग मरे इसके कोई सही आंकड़े नहीं हैं जिनसे विश्व के कुछ उन्नत देशों के साथ उनकी तुलना की जा सके। हृदय रोगों के इलाज की सुविधाएं मेडिकल कालेज अस्पतालों, अन्य बड़े अस्पतालों तथा अधिकांश जिला अस्पतालों में उपलब्ध हैं। जहां कहीं सम्भव हो इन सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है।

पाकिस्तान में न्यूक्लियर डिप्रोसेसिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए फ्रांस और कनाडा के साथ समझौता

1313. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री रामसहाय पाँडे :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में प्रक्लियर डिप्रोसेसिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए फ्रांस और कनाडा के साथ पाकिस्तान के प्रस्तावित समझौतों के बारे में सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को देखा है ;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) परमाणु हथियारों का उत्पादन करके उपमहाद्वीप में शांति को खतरे में डालने के पाकिस्तानी प्रयास का मुकाबला करने हेतु क्या प्रयत्न किये गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिश्वि पाल दास) : (क). सरकार ने पाकिस्तान में पुर्नसंसाधन संयंत्र की स्थापना के लिए पाकिस्तान और फ्रांस के बीच हुए करार के बारे में अखबारों में खबरें देखी हैं ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने हमेशा ही परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किये जाने की हिमाकत की है और नाभिकीय अस्त्रों के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किये जाने का विरोध किया है । सरकार ने हमेशा ही नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न किया है और इस दिशा में उठाये गए कदमों का समर्थन किया है ।

Manufacturing of spurious drugs in Mahdya Pradesh

1314. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Health and Family planning** be pleased to state :

(a) whether in Indore and other cities of Madhya Pradesh some firms manufacturing spurious drugs have been unearthed ; and

(b) if so, their number and the action taken against so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a). Yes.

(b). Five firms were detected. Prosecutions have been launched against four of the firms.

Central assistance to M.P. for National Highways

†**1315. Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount of central assistance sought by the Madhya Pradesh State Government for national highways during 1973-74 , 1974-75 and 1975-76 (up to December, 1975) and the actual amount allocated therefor ;

(b) whether Government are aware that the programme of the State Government has been upset because of continuous decrease in the amount of central assistance ; and

(c) whether sufficient central assistance will be given during 1976-77 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh) : (a). Constitutionally National Highways are a Central subject and the entire expenditure thereon is borne by the Central Government as a direct expenditure. No central assistance is therefore given to the State Government as such. Final payments for the development of National Highways are made within the overall allocation, subject to admissibility on scrutiny and availability of funds in the light of actual progress. The table below indicates the requirement and allotment of funds at the final allotment stage during 1973-74 and 1974-75.

Rs. in lakhs

Year	Funds asked for	Funds allotted
1973-74	451·48	340·00
1974-75	406·96	409·80

During the 1975-76, the State Government have requested for the allotment of a sum of Rs. 414·22 lakhs·

A sum of Rs. 313·58 lakhs was allotted upto December, 1975. Release of balance would depend upon the admissibility of final requirements. received, and the overall position of funds available for National Highways during 1975-76.

(b) and (c). With the comparatively smaller allocations, resulting from the current financial stringency, the programme of development of National Highways in almost all the States, including Madhya Pradesh has no doubt slowed down to some extent. However, constant efforts are being made to have the allocations increased. The budget grant for 1976-77 is, however, yet to be voted by the Parliament and funds to the extent possible from out of the provision voted by Parliament will be provided for development of National Highways in Madhya Pradesh depending upon its requirements *vis-a-vis*. requirements of other States, their admissibility and the pace of progress.

Outstanding E.P.F. Against Companies in Madhya Pradesh

1316. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of companies in Madhya Pradesh who have not deposited their arrears of employees' provident fund ; and

(b) the arrears outstanding against each company and the action being taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) & (b). Based on the information furnished by the Provident Fund Authorities a statement giving the names of establishments (which are in arrears of Rs. 1 lakh and above), amount due and action taken against them is attached [Placed in library *See* No. LT-10537/76]

ग्रामों की डाक की दैनिक निकासी

1317. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे ग्रामों की सर्किल वार (बहु राज्य सर्किलों के मामले में राज्यवार) संख्या तथा उनकी प्रतिशतता क्या है जिनमें उनके क्षेत्राधिकार वाले के लेटर बाक्सों से डाक की दैनिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है ; और

(ख) जिन ग्रामों में लेटर बाक्स न होने के कारण उस समय उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है उनमें पत्र डालने और वहां से पत्र निकालने की बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क). विभाग ने जो मानदन्ड निर्धारित कर रखे है, उनके अनुसार जहां औचित्य सिद्ध होता है, लेटर बक्सों की व्यवस्था कर दी जाती है। वांछित सूचना अनुबन्ध में दे दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०–10538/76]

(ख). गांवों से पत्रों की निकासी के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं देने के संबंध में लगातार प्रयत्न किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लेटर बक्सों की व्यवस्था की जा रही है। गांवों में पत्रों की रोजाना डिलीवरी में बढोतरी हो जाने से, वे वितरण एजेंट जो प्रेषण के लिए पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं, ज्यादा संख्या में यह काम कर रहे हैं।

'रिकार्डिड' वितरण प्रणाली आरम्भ करना

1318. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी कार्यालयों में 'रिकार्डिड' वितरण प्रणाली आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रेषक को क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा इस प्रणाली में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क). डाकघरों में रिकार्डिड वितरण सेवा आम जनता और सरकारी कार्यालयों के लिए 1–1–1973 को चालू की गई थी।

(ख). इस सेवा के अन्तर्गत सभी डाक वस्तुएं रिकार्ड में दर्ज कर स्वीकार की जाती हैं और उनका वितरण पाने वाले से रसीद लेकर किया जाता है। यदि प्रेषक वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वितरण डाकघर अतिरिक्त शुल्क की अदायगी पर "प्रेषक को सूचना" भी भेज देता है। इस सेवा में क्या प्रगति हुई है, इसका अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है।

मुग़ल लाइंस के जहाजों की संख्या

1319. **श्री हरी सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुग़ल लाइन्स शिपिंग कम्पनी के जहाजों की कुल संख्या दिसम्बर, 1975 के अन्त में क्या थी ; और

(ख) उनमें से कितने जहाज़ माल ढुलाई के लिए और कितने जहाज यात्री यातायात के लिए प्रयोग में लाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० बी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख). 31 दिसम्बर, 1975 को मुग़ल लाइन्स लिमिटेड के जहाजों की कुल संख्या 18 थी। इनमें से 12 माल जहाज़ और 6 यात्री जहाज़ हैं। छः यात्री जहाज माल की सीमित मात्रा भी ले जा सकते हैं।

कपड़ा उद्योग के लिए विशेषज्ञ समिति (पेनल) की नियुक्ति

1320. **श्री बसंत साठे :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के कपड़ा उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के गठन, निर्देश-पदों और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि आदि के बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). कपड़ा उद्योग संबंधी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति (निजी क्षेत्र) ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जो 26 फरवरी, 1976 को घोषित की गई है, जिसमें श्रमिक संघों तथा मिल मालिकों के चार-चार प्रतिनिधि तथा चार सरकार के नामित व्यक्ति—वाणिज्य मंत्रालय, बैंक कार्य विभाग, राजस्व और बीमा विभाग और रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से एक-एक, शामिल हैं, जोकि उद्योग के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली सभी समस्याओं की जांच करेंगी और अपनी नियुक्ति की तारीख से एक महीने के भीतर उचित उपचारी उपायों की सिफारिश करेगी तथापित, इसकी पहली बैठक 6 अप्रैल, 1976 के लिए निर्धारित की गई है ।

भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार

1321. **श्री वन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाना वर्ष 1981 तक 40 लाख मीटरी टन अधिष्ठापित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के लिये कदम उठाये है; और

(ग) सरकार को भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता का 25 लाख टन से 40 लाख टन इस्पात पिण्ड तक विस्तार करने के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विस्तार कार्य के दिसम्बर, 1981 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ख). जी, हां ।

(ग). कारखाने के प्रबन्धकों तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने बताया है कि भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार कार्य की अनुमानित लागत 969 करोड़ रूपए होगी ।

Breach in Maner Danapur Section of National Highway No. 30

+

1322. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether during the last devastating floods the National Highway No 30 passing through Patna District in Bihar breached at seven places between Maner and Danapur which has not been repaired so far ;

(b) whether this highway is in a damaged condition at Nasariganj in Danapur for several months as a result of which there is difficulty in the traffic movement ; and

(c) if so, the reasons for delay in repairing the above road?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh) : (a) to (c). The breaches in the Patna-Danapur-Maner Section of National Highway No. 30 have since been closed and the road restored to traffic. The riding quality, however, is yet to be brought to the pre-flood condition and for this resurfacing work will start shortly. The traffic movement otherwise is normal.

चिकित्सकों द्वारा विदेशी औषध कम्पनियों की दवाओं का नुक्सा लिखना

1323. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सक प्राय: ऐसी दवाएं नुस्खों पर लिखते हैं जो भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा बनाई जाती हैं क्योंकि अन्य निर्माण एककों द्वारा बनाई औषधियों की तुलना में अधिक लाभप्रद होती हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई विस्तृत जांच की है कि भारतीय एकक विदेशी कम्पनियों की तुलनीय स्थिति क्यों नहीं प्राप्त कर सकते और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या कोई ऐसा अखिल भारतीय संगठन है जो इस बात की जांच करता है कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा बनाई गई औषधियां इसके द्वारा नियत मानक के अनुरूप हों और इन मानकों का पालन न करने पर गत तीन वर्षों में कितनी कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चिकित्सा प्राय: नुस्खे पर दवाइयां लिखते समय विदेशी कम्पनियों की दवाइयों को तरजीह देते हैं जबकि वैसी ही दवाइयां दूसरी कम्पनियों की भी हैं।

(ख) ऐसी कोई जांच नहीं की गई है।

(ग) केन्द्र में औषधि मानक नियंत्रण संगठन तथा विभिन्न राज्यों में औषधि नियंत्रण संगठन इस बात पर नजर रखते हैं कि बनाई गई औषधियां निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

घटिया किस्म की औषधियों से सम्बन्धित मुकदमों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे गए हैं। फिर भी, इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों ने पिछले तीन वर्षों में मानकों के अनुरूप न पाई जाने वाली औषधियों के सम्बन्ध में जो मुकदमें किए हैं वे इस प्रकार हैं :—

1.	हरियाणा	एक मुकदमा चलाया गया था।
2.	केरल	तीन मुकदमे चलाए गए थे और एक मामले में दोष सिद्ध हो गया।
3.	मध्य प्रदेश	आठ मुकदमे चलाए गए थे।
4.	कर्नाटक	दो मुकदमे चलाए गए थे।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड का उत्पादन लक्ष्य

1324. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिक उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किये है , और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 1974–75 और 1975–76 के दौरान उत्पादन के लिए निर्धारित प्रमुख मदों के उत्पादन के लक्ष्य नीचे दिखाए गए हैं :

	उत्पादन की मदें	1974–75 के लिए लक्ष्य	1975–76 के लिये लक्ष्य
(1)	टेलीप्रिंटर (अदद)	5,500	6,100
(2)	टेलीप्रिंटरों के अतिरिक्त पुर्जे (मूल्य लाख रुपयों में)	50	70
(3)	बिजली के टाइपराइटर (अदद)	200	400

फ्रांस तथा पश्चिम जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को "न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांटों" का निर्यात

1325. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस तथा पश्चिम जर्मनी ने अमरीका का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है और उनका इरादा पाकिस्तान को तथा अन्य संभावित क्रेता राष्ट्रो को, इस तथ्य के बावजूद कि इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है, "न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लान्ट" निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास): (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अमरीका ने ऐसा कोई अनुरोध किया है और फ्रांस तथा जर्मन संघीय गणराज्य ने उसे अस्वीकार कर दिया है । लेकिन यह सच है कि फ्रांस ने पाकिस्तान के साथ और जर्मन संघीय गणराज्य ने ब्राजील के साथ उन देशों में पुनः उपयोगीकरण संयंत्रों के बनाने की सहमति दी है ।

(ख) भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा का शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के उपयोग का बराबर समर्थन किया है और वह परमाणु अस्त्र बनाने में उसका उपयोग करने के विरुद्ध है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 के सुधार हेतु धन का आवंटन

1326. **श्री के० प्रधानी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाट क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43, जो जयपोर से सलूर तक है, के सुधार के लिए कोई धनराशि आवंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ग) क्या पहले आवंटित की गई किसी धनराशि का उपयोग किया जाना है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। 1975–76 में 15.10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है।

(ग) और (घ) संभवतया माननीय सदस्य का आशय उस अप्रयुक्त बकाया राशि, यदि कोई है, से है, तो समय समय पर प्रश्नगत सड़क के लिए की गई आवंटित राशि में से सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास पड़ी है। परन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में राज्यों के पास पड़ी कोई भी अप्रयुक्त राशि का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्रीय विषय है, इन मार्गों के विकास और रख-रखाव पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि सीधे केन्द्रीय नकद बकाये में जमा होती है चाहे वह राशि नियतन राशि से अधिक हो चाहे कम। यदि कम हो तो बकाया राशि, यदि रह जाय तो वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त हो जाती है।

भिलाई इस्पात-संयंत्र का विस्तार

1327. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ़ इंडिया लिमिटेड के निदेशक बोर्ड ने हाल ही में भिलाई इस्पात संयंत्र की वार्षिक क्षमता बढ़ा कर चालीस लाख टन करने और ऊष्म सह संयंत्र लगाने हेतु अगले वित्त वर्ष में 115 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस्पात संयंत्र की इस समय अधिष्ठापित (बिल्टइन) क्षमता कितनी है और क्या यह क्षमता प्राप्त कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो वह कब प्राप्त कर ली गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद)। (क) जी, हां। भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार तथा ऊष्म-सह कारखाने की स्थापना के लिए वर्ष 1976–77 के बजट में 117.99 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव किया गया था।

(ख) भिलाई इस्पात कारखाने की विक्रेय इस्पात की निर्धारित वार्षिक क्षमता 19,65,000 टन है जो 163,700 टन प्रति मास के बराबर बैठती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान मासिक निर्धारित क्षमता प्राप्त कर ली गई है। अगस्त 1975, सितम्बर, 1975, दिसम्बर, 75 और जनवरी, 1976 में उत्पादन निर्धारित क्षमता से अधिक हुआ है। चालू वर्ष में 18,20,000 टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन होने की संभावना है जो निर्धारित वार्षिक क्षमता का 93 प्रतिशत होगा।

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड में उत्पादन

1328. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज ओर इंडिया लि० ने वर्ष 1975 की अन्तिम तिमाही में 2,21,401 टन के लक्ष्य के स्थान पर 2,28,048 टन उत्पादन किया ;

(ख) क्या ज्येल निर्यात किये जाने और देश के उपभोक्ताओं को अधिक सप्लाई किये जाने के कारण 84 लाख रुपये का कुल मुनाफ़ा हुआ ;

(ग) क्या देश में उपलब्ध अन्य ग्रेड के अयस्क की अपेक्षा भिलाई ग्रेड अयस्क घटिया किस्म का है ; और

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भिलाई 'ग्रेड' अयस्क की मांग उत्साहजनक है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) जी , हां ।

(ख) अभी लेखो को अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) व्यापार के लिए मैंगनीज अयस्क को तीन श्रेणियों में बांटा गया है : उच्च श्रेणी (मैंगनीज की मात्रा 46 प्रतिशत अथवा उससे अधिक) मध्यम श्रेणी (मैंगनीज की मात्रा 38 प्रतिशत से 46 प्रतिशत) और निम्न श्रेणी (मैंगनीज की मात्रा 28 प्रतिशत से 35 प्रतिशत) भिलाई ग्रेड अयस्क जिसमें मैंगनीज की मात्रा 30 से 35 प्रतिशत और फ़ासफ़ोरस 0.25 प्रतिशत है सामान्यत: निम्न श्रेणी अयस्क की कोटि में आता है ।

(घ) निर्यात बाजार में भी भिलाई ग्रेड अयस्क की कुछ मांग है ।

अत्यधिक साफ इस्पात के लिए "इलेक्ट्रोफ्लक्स" शोधन प्रक्रिया

1329. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आर्यन एण्ड स्टील कम्पनी ने अत्यधिक साफ़ इस्पात के उत्पादन के लिये 'इलेक्ट्रो-फ़लक्स' शोधन प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त कर ली है;

(ख) क्या अत्यधिक साफ़ इस्पात बनाने के लिए देश में ही विकसित वाणिज्यिक स्तर का एक संयंत्र वर्ष 1973 में वायुयान उद्योग, बिजली की मशीनरी के लिये अपेक्षित तथा रक्षा सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं के लिये अपेक्षित प्रति वर्ष 7000 टन उत्पादन करने हेतु स्थापित किया गया था जिससे बहुत अधिक विदेशी मुद्रा को बचत हुई, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र की कोई इस्पात मिल भी इतना बढ़िया इस्पात बनाने की स्थिति में है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) टिस्को मे इलेक्ट्रोफ्लक्स शोधन प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त नहीं की है। (जिसको इलेक्ट्रो स्लैग रिफ़ाइनिंग--ई०एस०आर० के नाम से भी जाना जाता है) ई एस आर प्रक्रिया को 1930 के दशक में अमरीका में पेटेन्ट किया गया था और उसके पश्चात् सोवियत रूस, यू० के०, पश्चिमी जर्मनी आदि में इसका बड़े पैमाने पर विकास किया गया ।

(ख) टिस्को ने अपने अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मई, 1974 में लगभग 7000 टन वार्षिक क्षमता का एक प्रायोगिक संयंत्र लगाया था। इस कारखाने में वाणिज्यिक स्तर पर अत्यधिक साफ़ इस्पात के उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए कई परीक्षण किये गये हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। यद्यपि इस समय देश में इस प्रकार के अत्यधिक साफ़ किस्म के विशेष इस्पात (जिसकी कुछ विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे विमानन, अन्तरिक्ष तथा प्रतिरक्षा कार्यों में आवश्यकता होती है) की मांग बहुत कम है तथापि टिस्को के ई० एस० आर० यूनिट द्वारा इस मांग की केवल आंशिक पूर्ति ही हो सकती है।

मेसर्स फ़र्थ इंडिया स्टील कं० लि० यू०के० से आयात करके इतनी ही क्षमता का एक ई० एस० आर० कारखाना लगा रहे हैं। जब इन कारखानों से विशेष इस्पात का वाणिज्यिक उत्पादन होने लगेगा उस समय इस प्रकार के विशेष इस्पात का आयात न करने से कुछ विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी।

(ग) इस समय इस किस्म के अत्यधिक साफ़ इस्पात का सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी इस्पात कारखानों में उत्पादन नहीं किया जा सकता है। फिर भी हिन्दुस्तान स्टील लि० / भारतीय इस्पात प्राधिकरण का अनुसंधान तथा विकास संगठन दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने द्वारा उत्पादित हाई स्पीड टूल स्टील तथा राउरकेला इस्पात कारखाने द्वारा उत्पादित आरमर प्लेट स्टील के लिए ई० एस० आर० प्रक्रिया विकसित करने हेतु प्रयोग करने के लिये योजना बना रहा है। इस कार्य में टिस्को में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया जायेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बीमारी लाभ दरों की वृद्धि

1330. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीमारी लाभ दरों में वृद्धि की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा संशोधन अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिए लाभ की दरें निम्न प्रकार बढ़ा दी गई हैं :—

ऐसे कर्मचारियों का समूह जिनकी औसत दैनिक मजदूरियां निम्न प्रकार हैं :—	मानक दैनिक लाभ दर रुपयों में	
	पुरानी दरें	नई दरें
1 रु० से कम	.45	1.00
1 रुपया और उससे अधिक परन्तु 1.50 रुपये से कम	.65	1.00
1.50 रुपये और उससे अधिक परन्तु 2.00 रुपये से कम	.90	1.00
12 रुपये और उससे अधिक परन्तु 25 रुपये से कम	5.00	7.00
16 रुपये और उससे अधिक 19.25 रुपये तक .	8.50	10.00

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पहली अप्रैल, 1976 से विस्तृत बीमारी लाभ की दर की 25 प्रतिशत तक वृद्धि अनुमोदित कर दी है।

भारतीय डाक्टरों का अमरीका प्रवास

1331. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे देश से अर्हता-प्राप्त डाक्टरों के अमरीका को प्रवास के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने डाक्टरों ने प्रवास किया ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

किदवई भवन, नई दिल्ली, में संरचना संबंधी दोष

1332. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ स्थित केवल 10 वर्ष पुराने किदवई भवन में, जिसमें संचार मंत्रालय का कार्यालय है, संरचना सम्बन्धी गम्भीर दोष पाए गए हैं जिसके कारण उसमें बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता होगी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त दोषपूर्ण निर्माण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (डॉ० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1974–75 में किदवई भवन के कुछ खम्भों और कड़ियों में दरारें पड़ने का पता चला था । ये दरारें अधिकांशतः बाहर की तरफ़ थीं । प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि इस समय जो दरारें दिखाई दे रही हैं, उनसे भवन के ढ़ांचे के लिए कोई खतरा नहीं है ।

उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है । किन कारणों और किन भूलों, यदि कोई हो, के फ़लस्वरूप ऐसा हुआ यह जानने के लिए तथा आगे उपचारात्मक, उपाय निश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

संचार व्यवस्था के विकास और विस्तार के लिए समेकित कार्यक्रम

1333. **श्री वसन्त साठे** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संचार व्यवस्था का विकास और विस्तार करने के लिए सरकार ने समेकित कार्यक्रम के रूप में द्रुत डाक सेवा, अविलम्ब सेवा, पिन कोड प्रणाली, एस-टी-डी जैसी विशेष योजनाएं तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1976-77 और पांचवीं योजना के बाद के वर्षों में इन योजनाओं का नये क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबन्धी रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां । शीघ्र डाक सेवा और पिन कोड प्रणाली हाल ही में चालू की गई है जबकि उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग और "अविलम्ब" टेलीफोन सेवाएं कई सालों से चल रही हैं;

(ख) और (ग). इन सेवाओं का विस्तार करने की योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(1) पिन कोड और शीघ्र डाक सेवा

शीघ्र डाक सेवा और पिन कोड प्रणाली का विकास निरन्तर होता रहता है । राज्यों और संघीय क्षेत्रों के सभी मुख्यालयों को राष्ट्रीय शीघ्र डाक सेवा जाल में जोड़ दिया गया है । ऐसा प्रस्ताव है कि जब यह सेवा स्थायी हो जाए तो इसका विस्तार जिला मुख्यालयों और राज्यों की राजधानियों के अतिरिक्त दूसरे नगरों तक भी किया जाए ।

(2) अविलम्ब सेवा और उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा

ऐसा प्रस्ताव है कि वर्ष 1976-77 के दौरान और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद के वर्षों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा और 'अविलम्ब' टेलीफोन सेवा का विस्तार नीचे लिखे आधार पर किया जाय :—

(i) राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ना ।

(ii) दिल्ली से 300 किलोमीटर दूरी के अन्तर्गत आने वाले और बम्बाई, कलकत्ता और मद्रास से 200 किलोमीटर दूरी के अन्तर्गत आने वाले सभी जिला मुख्यालयों को उनके सम्बन्धित महानगरों के साथ जोड़ना; और

(iii) जिला मुख्यालयों को राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ना ।

पारेषण के माध्यम या स्विचिंग उपस्कर के उपलब्ध न होने के कारण जहां कहीं उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा देना व्यवहार्य नहीं होगा, अविलम्ब सेवा दे दी जाएगी । वर्ष 1976-77 में असम क्षेत्र के उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर राज्यों की सभी प्रमुख राजधानियों से दिल्ली तक की उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा दे दी जाएगी । राज्यों की बाकी राजधानियों के लिए 'अविलम्ब' सेवा दे दी जाएगी ।

विदेशी सहयोग से उपग्रह छोड़ना

1334. **श्री हरी सिंह** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की दूर संचार व्यवस्था द्वारा उपयोग के लिए विदेशी सहयोग से भारत शीघ्र ही एक उपग्रह छोड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो किस देश से सहयोग करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) उक्त उपग्रह कब छोड़ा जायेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क), (ख) और (ग) देश की संचार और दूसरी सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अन्तर्देशीय उपयोग का उपग्रह उपलब्ध करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

"स्टील आर्डर लौस्ट"

1335. **श्री हरी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 फरवरी, 1976 के 'रूपीज 10.3 करोर्स स्टील आर्डर लौस्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार गलत है।

दिल्ली परिवहन निगम को हो रही हानि

1336. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किराये में वृद्धि किये जाने के बावजूद दिल्ली परिवहन निगम को अपने संचालन पर अभी भी भारी हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। यद्यपि आय और कार्य व्यय के बीच का अन्तर द्वि-स्टेज भाड़ा पद्धति के चालू किये जाने के बाद कुछ हद तक पूरा कर दिया गया है।

(ख) घाटे के मुख्य कारण तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपने कर्मचारियों को दिये बढ़े हुए महंगाई भत्ते के कारण निगम के वेतन बिलों में वृद्धि और डीजल, लुब्रीकेन्ट्स और फालतू पुर्जों की कीमत में वृद्धि है। निगम (1) किलो मीटर दूरी में सुधार में राजस्व बढ़ाकर और चैकिंग कार्य में वृद्धि करके राजस्व की चोरी को रोक कर और (2) अच्छी रख-रखाव सुविधाओं द्वारा परिचालन लागत में कमी करके कार्यकरण के घाटे की राशि को कम करने के लिए प्रयत्न कर रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप, परिचालनात्मक कुशलता और प्रति किलोमीटर कमाई दर में वृद्धि हुई है।

एशिया में सामूहिक सुरक्षा की विचार धारा का विकास

1337. **श्री नरेन्द्र कुमार सांबी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित सोवियत दूतावास द्वारा हाल ही में प्रकाशित (सोवियत रिव्यू) एक प्रकाशन में यह बात कही गई है कि सामूहिक आधार पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के विचार का एशिया में विकास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर भारत और रूस के बीच कोई बातचीत हुई है; और

(ग) इस बारे में अन्य एशियाई देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विष्णपाल दास) (क) : जी हां ।

(ख) नियमित सम्पर्क और परामर्श की परम्परा के अनुसार भारत और सोवियत संघ के बीच समय-समय पर बातचीत होती रहती है । इस बातचीत में आपसी हित के प्रश्नों पर विचार विनिमय होता है जिसमें एशिया में शान्ति और सहयोग बढ़ाने से सम्बद्ध प्रश्न भी शामिल है ।

(ग) सरकार ने सामूहिक आधार पर एशिया की सुरक्षा सुनिश्चय करने के विचार पर अन्य एशियाई देशों के साथ बातचीत नहीं की है ।

पेसमेकरों वाले दिल्ली के अस्पताल

1338. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में उन सरकारी अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां हृदय रोगों से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए पेसमेकर उपलब्ध हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के इन में से प्रत्येक अस्पताल में 40–50 तथा 50–60 और 60 वर्ष से ऊपर के आयु वर्गों के कितने रोगियों की हृदय रोग से मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ।

(ख)

	आयु वर्ग		
	40–50 वर्ष	50–60 वर्ष	60 वर्ष से अधिक
गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल (1973–75) .	88	72	96
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (1973–75) .	92	85	133

कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में सूक्ष्म तरंग माईक्रोवेव सुविधाएं

1339. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में संचार के क्षेत्र में क्या सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) सुविधाएं दी गई हैं या दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) प्रस्तावित सुविधाएं कब तक दी जायेंगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) मंगलूर और उदीसी अक्तूबर, 1974 से यू० एच० एफ० प्रणाली द्वारा पहले ही जुड़े हुए हैं । मंगलूर पुत्तूर यू० एच० एफ० प्रणाली पर काम चल रहा है । मंगलूर को बम्बई, बंगलूर मद्रास और त्रिवेन्द्रम के साथ जोड़ने वाली एक चौड़ी पट्टी माइक्रोवेव योजना की मंजूरी दे दी गई है ।

(ख) आशा है कि वर्ष 1977 तक मंगलूर-पुत्तूर यू० एच० एफ० लिंक चालू हो जाएगा। बम्बई मंगलूर-बंगलूर-मद्रास/त्रिवेन्द्रम चौड़ी पट्टी माईक्रोवेव लिंक पर संस्थापन कार्य चल रहा है। आशा है कि इस मार्ग का काम उत्तरोत्तर दिसम्बर, 1977 तक पूरा हो जायेगा।

फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को प्लूटोनियम संयंत्र का बेचा जाना

1340. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस पाकिस्तान को प्लूटोनियम संयन्त्र बेचेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस सौदे से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शान्ति सन्तुलन के बिगड़ने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख). फ्रांस और पाकिस्तान की सरकारों के बीच 23-1-1976 की एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें पाकिस्तान में किरणित ईंधन संसाधन सन्यन्त्र के निर्माण की व्यवस्था है। पाकिस्तान, फ्रांस और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच बचावों के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय समझौते के प्रारूप को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 24-2-1976 को अनुमोदित कर दिया है। इस सन्यत्र को चालू करने की तारीख 1980 में नियत की गई है।

(ग) और (घ). पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के स्वरूप का अभी कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

Compulsory Family Planning

1341. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri D. D. Desai :
Shri Ranen Sen :
Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have accepted the concept of compulsory family planning ;

(b) if so, whether parents with more than two children will be liable to fine and imprisonment ; and

(c) if so, the justification for making such a law ?

Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a) There is no legal compulsion to accept family planning at present. However, the introduction of incentives and disincentives for adoption of a small family norm is under consideration of the Government of India.

(b) and (c). Does not arise.

Casual Employees of P & T Department

†1342. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Vasant Sathe :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a large number of casual employees are working in the Posts and Telegraphs Department ;

(b) if so, circle-wise number thereof ;

(c) the minimum and the maximum period of their service ; and

(d) the amount of the wages and other facilities given to them ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of Lok Sabha.

(d) (i) *Wages* : The wages for the mazdoors differ from place to place even in the same circle. The wages are fixed after taking into consideration the wages paid to unskilled labour in the area by the various other organisations such as State Government, other Central Government Departments, Local bodies, etc., keeping in view the minimum wages fixed by the Government under the Minimum Wages Act.

(ii) *Other facilities* :

(a) The casual mazdoors are given one paid weekly off provided they work for 6 consecutive days.

(b) They are entitled for paid off on the three National holidays.

(c) They are considered for absorption as regular employees if they complete 240 days of service in a year for two consecutive years.

(d) They are also eligible to be recruited as linemen, subject to other conditions if they have put in a service of 365 days in a Telegraph Construction party.

(e) At the time of absorption as regular employees they are given age concession to the extent of the number of days they have worked as casual mazdoors, provided the service rendered is in a stretch of 6 months or more.

एल्यूमिनियम का निर्यात

1343. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1975-76 और 1976-77 में कितने एल्यूमिनियम का निर्यात किया गया / किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री सुखदेव प्रसाद) : 31-12-76 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए लगभग बीस हजार टन के निर्यात की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और आशा है शीघ्र ही सम्पूर्ण मात्रा के लिए ठेका हो जाएगा।

'टेलीफोन कनेक्शन स्कीम' के अन्तर्गत जमा धनराशि

1344. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन कनेक्शन के आवेदन के लिए धनराशि जमा करने की योजना से मन्त्रालय को 50 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से प्राप्त जमा राशि का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न दूर संचार सर्किलों और टेलीफोन जिलो में जो राशि एकत्र हुई है, उसका ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दे दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०—10539/76]

डिएगो गार्शिया अड्डे के बारे में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच नया समझौता

1345. **श्री रानेन सेन** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिएगो गार्सिया द्वीप में विमान एवं पनडुब्बी अड्डे के विस्तार के बारे में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका ने अभी हाल में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इसके विरुद्ध ब्रिटिश और अमरीकी अधिकारियों से विरोध प्रकट किया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिष्णपाल दास) : (क) जी, हां। डिएगो गार्सिया में वर्तमान सुविधाओं के विस्तार के लिए अमरीकी और ब्रिटेन की सरकारों के बीच 25 फरवरी, 1976 को जो समझौता हुआ है वह सरकार ने देखा है।

(ख) यद्यपि डिएगो गार्सिया के अड्डे के बारे में भारत सरकार का मत अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सुविदित है लेकिन भारत सरकार डिएगो गार्सिया को एक ओर भारत सरकार और दूसरी ओर अमरीका सरकार और/या ब्रिटेन सरकार के बीच कोई द्विपक्षीय समस्या नहीं मानती। इसलिए भारत सरकार ने इन दोनों में से किसी भी सरकार से इसके प्रति विरोध प्रकट नहीं किया है।

विदेशी पत्तनों द्वारा कंटेनर पोतों को प्राथमिकता देना

1346. **श्री रानेन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पत्तन जहाजों में माल चढ़ाने और उतारने के लिए कंटेनर पोतो को प्राथमिकता देते हैं;

(ख) क्या भारतीय जहाजों में कंटेनर पद्धति नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय जहाजो की इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विदित हुआ है कि विदेशी पत्तन, विशेषतया विकसित देशों के पत्तन कन्टेनर जहाजो को तरजीह दे रहे हैं।

(ख) और (ग). भारतीय कम्पनियों ने अभी तक पूर्णतया कोशीय युक्त जहाजों को नहीं खरीदा है परन्तु उन्होंने कुछ आधुनिक जहाजों को खरीदा है जो कि कन्टेनर प्रधान होते हैं और डैक पर और डैक के नीचे सीमित संख्या में कन्टेनरों को ले जा सकते हैं।

सोवियत नेताओं द्वारा भारत सोवियत मैत्री की घोषणा

1347. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-सोवियत मैत्री, सहयोग और एशियाई सुरक्षा के बारे में सी० पी० एस० यू० के 25वें पार्टी कांग्रेस के उद्घाटन दिवस पर इसके महासचिव द्वारा की गईघोषणाओं का पता है; और

(ख) पारस्परिक सद्भाव और भारत-सोवियत सन्धि के आधार पर भारत-सोवियत मैत्री कहां तक सुदृढ़ हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) भारत और सोवियत संघ के सम्बन्ध, हार्दिकता, मैत्री और परस्पर सद्भाव की भावना जिनकी विशेषता है, इन वर्षों में सभी दिशाओं में निरन्तर और सन्तोषजनक ढंग से बढ़ते रहे हैं । भारत और सोवियत संघ के बीच शांन्ति, मैत्री और सहयोग की सन्धि हो जाने से राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों में भारत-सोवियत सहयोग के विकास को और प्रोत्साहन मिला है और दोनों के बीच बहुत से समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं जो इस बढ़ते हुए सहयोग के प्रतीक हैं । भारत सोवियत सयुक्त आयोग का तीसरा अधिवेशन अप्रैल के शुरू में मास्को में होने वाला है । 1976–80 अवधि के लिए एक नये व्यापार करार पर भी शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की आशा है जिसमें दुतरफा व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि की व्यवस्था है ।

बैलाडिला फ्राइंस/ब्ल्यूडस्ट

1348. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री बैलाडिला लौह अयस्क उद्योग समूह में 'ब्ल्यू डस्ट' के जमा होने के बारे में 22 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1039 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'पेल्लीटाइजेशन' के जरिए बैलाडिला फ्राइंस/ब्ल्यू डस्ट का लाभप्रद उपयोग करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है :

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). बेलाडिला की खानों से निकलने वाले लोह अयस्क के चूरे तथा ब्लू डस्ट पर आधारित पैलेट बनाने का एक कारखाना लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । मेंटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि० ने हाल में इस प्रायोजना के मुख्य प्राचलों का अध्ययन किया था और यह सिफारिश की थी कि स्लरी पाइप लाइन द्वारा परिवहन की तकनीकी आर्थिक शक्यता के बारे में और अध्ययन किया जाए तथा अयस्क के विस्तृत परीक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाये । इस समय इस प्रायोजना को कायरूप देने में एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि इस कार्य के लिए अपेक्षित मात्रा में वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हैं ।

दिल्ली में धीमे चलने वाली गाड़ियों को हटाना

1349. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सड़कों से धीमे चलने वाली गाड़ियों को हटाने सम्बन्धी निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जबकि दिल्ली में धीमे चलने वाली गाड़ियों को हटाने के लिये अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है प्रयोगात्मक उपाय के रूप में, शहर के कुछ चुने हुये क्षेत्रों में ऐसी गाड़ियों के चलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

जर्मन जनवादी गणतंत्र (जी० डी० आर०) के उप प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

1350. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतन्त्र (जी० डी० आर०) के उप-प्रधान मन्त्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी और उन्होंने प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री के साथ विचार-विमर्श किया था और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) प्रधान मन्त्री के साथ जर्मन जनवादी गणतन्त्र के उपप्रधान मन्त्री की भेंट सद्भाव के नाते थी। वे विदेश मन्त्री से भी मिले थे जबकि द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को और अधिक विस्तृत तथा व्यापक बनाने के बारे में विचार-विनिमय हुआ था। इस विचार-विनिमय में रसायन, औषधि-निर्माण एवं दवाई, पेट्रोलियम, विवृत्त खनन, जहाज निर्माण, सूती कपड़ा मशीनरी, कृषि आदि के क्षेत्रों में जर्मन जनवादी गणतन्त्र के साथ सहयोग की सम्भावनाओं पर भी बातचीत हुई।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंजों का बन्द होना

1351. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1974 और 1975 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज बन्द किए गए, और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) वर्ष 1974 में कोई एक्सचेंज बन्द नहीं किया गया। वर्ष 1975 के दौरान 25 लाइनों के तीन एक्सचेंजों को लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों में बदला गया था।

(ख) इन एक्सचेंजों से टेलीफोन कनेक्शनों की मांग इतनी कम हो गई थी कि इन एक्सचेंजों का न तो औचित्य ठहरता था और नहीं ये आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य थे। मौजूदा उपभोक्ताओं को सार्वजनिक टेलीफोन घरों में एक्सटेंशन कनेक्शन दे दिए गए हैं।

सभा पटल पर रखे गये गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

व्यास परियोजना के फलस्वरूप जल के बटवारे सम्बन्धी एक विवरण तथा अधिसूचना

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम): मैं व्यास परियोजना के फलस्वरूप जल के बटवारे के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

साथ में मैं पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या 17(7)/73 डी० डब्ल्यू (एम०) जे० आर० सी० खण्ड 2 दिनांक 24 मार्च, 1976 की एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी०-10522/76]

कोचीन शिपयार्ड, लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1974-75 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और नौवहन विकास निधि समिति का वर्ष 1973-74 का प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं श्री एच० एम० त्रिवेदी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1974-75 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-10523/76]

(2) पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन तथा प्रभावित लेखे की एक प्रति और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-10524/76]

औषध तथा प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 1976

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): मैं औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषध तथा प्रसाधन सामग्री

(तीसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 903 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी०—10525/76]

खान तथा खनिज अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओं तथा हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड कलकत्ता की वर्ष, 1974–75 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (1) मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिसभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सां० आ० 981 जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) सां० आ० 982 जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी०–10526/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी०—10527/76]

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम 1976, कोयला खान श्रम कल्याण संगठन का 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, विक्रय संवर्धन कर्मधारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1976 तथा समान पारिश्रमिक नियम, 1976

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 13 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 395 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०–10528/76]

(2) कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के वर्ष 1974–75 के क्रियाकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०–10529/76]

(3) (एक) बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) नियम 1976 की एक प्रति, जो दिनांक 28 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 99(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त (3) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०–10530/76]

(4) (एक) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवाकी शर्तें) नियम, 1976, जो दिनांक 8 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 113(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त (4) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०–10531/76]

(5) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समान पारिश्रमिक नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 119 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल०टी० 10532/76]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति सम्बन्धी समिति ने अपने 25वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है, निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने दिखायी गयी अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये :—

(1) श्री मोहन धारिया — 5 जनवरी से 6 फरवरी, 1976 तक (पन्द्रहवां सत्र) और 8 मार्च से 2 अप्रैल, 1976 तक (सोलहवां सत्र)

(2) श्री हुकम चन्द कछवाय — 5 जनवरी से 6 फरवरी, 1976 तक (पन्द्रहवां सत्र) और 8 मार्च से 2 अप्रैल, 1976 तक (सोलहवां सत्र)

(3)	श्रीमती शकुन्तला नायर	5 जनवरी से 6 फरवरी, 1976 तक (पन्द्रहवां सत्र)
(4)	श्री भागीरथ भंवर	6 फरवरी, 1976 (पन्द्रहवां सत्र) और 8 मार्च से 15 अप्रैल, 1976 तक तथा 26 अप्रैल से 14 मई, 1976 तक (सोलहवां सत्र)
(5)	श्री जनेश्वर मिश्र	21 जुलाई से 7 अगस्त 1976 तक (चौदहवां सत्र) और 5 जनवरी, से 6 फरवरी, 1976 तक (पन्द्रहवां सत्र) तथा 8 मार्च, से 15 मार्च, 1976 तक (सोलहवां सत्र)
(6)	श्री पुरुषोत्तम काकोडकर	6 जनवरी, से 21 जनवरी, 1976 तक (पन्द्रहवां सत्र)
(7)	श्री ज्योतिर्मय बसु	6 फरवरी 1976 (पन्द्रहवां सत्र) और 8 मार्च से 15 अप्रैल, 1976 तक तथा 26 अप्रैल से 14 मई, 1976 तक (सोलहवांसत्र)
(8)	श्री मोरारजी आर० देसाई	6 फरवरी, 1976 (पन्द्रहवां सत्र) और 8 मार्च से 15 अप्रैल तथा 26 अप्रैल से 14 मई, 1976 तक (सोलहवां सत्र)
(9)	श्री राम धन	6 फरवरी, 1976 (पन्द्रहवां सत्र) और 8 मार्च से 15 अप्रैल तक तथा 26 अप्रैल, से 14 मई, 1976 तक (सोलहवां सत्र)
(10)	श्री नूरुल हुडा	5 से 7 अगस्त, 1975 तक (चौदहवां सत्र) और 5 जनवरी, से 6 फरवरी, 1976 तक (पन्द्रहवां सत्र)
(11)	डा० जीवराज मेहता	8 मार्च, से 15 अप्रैल और 26 अप्रैल से 15 मई, 1976 तक (सोलहवां सत्र)
(12)	श्री मुख्तियार सिंह मलिक	6 फरवरी, 1976 (पन्द्रहवां सत्र) और 8 मार्च से 15 अप्रैल तक तथा 26 अप्रैल से 14 मई, 1976 तक (सोलहवां सत्र)
(13)	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	6 फरवरी, 1976 (पन्द्रहवां सत्र) और 8 मार्च से 15 अप्रैल तक तथा 26 अप्रैल से 14 मई, 1976 तक (सोलहवां सत्र)
(14)	श्री फूल चन्द वर्मा	6 फरवरी, 1976 (पन्द्रहवां सत्र) और 8 मार्च से 15 अप्रैल तक तथा 26 अप्रैल से 14 मई, 1976 तक (सोलहवां सत्र)

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यह राय है कि समिति की सिफारिशों के अनुसार अनुमति दी जाये।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा।

लोक लेखा समिति 200 वाँ प्रतिवेदन

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री एच० एन० मुखर्जी : (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): मैं भारत की अनुसन्धान परियोजनाओं में विदेशी साझेदारी अथवा सहयोग-स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 167 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 200 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

1976–77 विपणन मौसम के लिये रबी खाद्यान्नों के मूल्य, वसूली और वितरण सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *Re.* PRICE PROCUREMENT AND DISTRIBUTION POLICY OF RABI CEREALS FOR 1976-77 MARKETING SEASON

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : रबी विपणन मौसम 1976–77 के लिए मूल्य और अभिप्राप्ति नीति के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों/खाद्य मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि कृषि मूल्य आयोग की इस सिफारिश को मान लिया जाए कि गेहूं की सभी किस्मों के लिए 105/- रु० प्रति क्विंटल के अधिप्राप्ति मूल्य को बनाए रखा जाय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से निर्मुक्त किए गए गेहूं के स्टाक के इस समय चल रहे निर्गम मूल्य को भी 125/- रु० प्रति क्विंटल पर बनाए रखा जाएगा।

3. सरकार बफर स्टाक बनाने के प्रयोजन हेतु अधिकतम अधिप्राप्ति करने की अपनी नीति को जारी रखेंगी। गेहूं की आधिप्राप्ति करने के अखिल भारतीय लक्ष्य को 51.98 लाख मीटरी टन पर निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय पूल को गेहूं की सप्लाई करने के लिए प्रोत्साहन बोनस योजना को जारी रखा जाएगा ताकि अधिकतम अधिप्राप्ति की जा सके। राज्य सरकारें बोनस की धनराशि का किसानों का उर्वरक और अन्य आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करेंगी।

4. अधिकतम अधिप्राप्ति करने के हित में गेहूं के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध जारी रहेंगे। पिछले वर्ष की भांति, गेहूं और गेहूं के उत्पादकों के संचलन के प्रयोजन में प्रत्येक राज्य को अलग जोन समझा जाएगा। विनियमित मंडियों और/अथवा रबी के माध्यम से खरीदारी करने जैसे अधिप्राप्ती के तरीके के बारे में राज्य सरकारों द्वारा निर्णय किया जाएगा। राज्य के अन्दर गेहूं का विपणन, राज्य सरकारों द्वारा से प्रशासनिक सांविधिक उपायों, जोकि वे आवश्यक समझती हैं, के माध्यम से विनियमित किया जाएगा।

5. सरकार का ध्यान जो और चने के गिरते हुए मूल्यों की ओर आकर्षित किया गया है और यह आशंका है कि नयी फसल की आमद से इसके मूल्यों में भारी गिरावट आएगी। जब कभी आवश्यक होगा जो और चने की खरीद के लिए मूल्य साहाय्य कार्यचालन की व्यवस्था की जाएगी।

6. सरकार इस बात को सुनिश्चित करने की बहुत इच्छुक है कि किसानों के हितों के पूर्णतया सुरक्षा की जाए और किसी भी उत्पादक को उसके उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों का सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिप्राप्ति मूल्यों से किसी भी हालत में कम मूल्य नहीं मिलना चाहिए। आशा है कि राज्य सरकारों के सहयोग से इस उद्देश्य को प्राप्त करना और विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित किए गए अधिप्राप्ति लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव हो पाएगा तथा कुल मिलाकर खाद्य अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाया जा सकगा।

गुजरात बजट 1976–77 सामान्य चर्चा

Gujarat Budget 1976-77 General Discussion

गुजरात की वर्ष 1976–77 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग की संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
		रुपए	रुपए
2.	मन्त्रिपरिषद् . . .	10,79,000	—
3.	निर्वाचन . . .	1,42,17,000	—
5.	सामान्य प्रशासन विभाग . .	74,47,000	—
6.	आर्थिक सलाह और सांख्यिकी .	58,69,000	—
7.	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय . . .	30,79,000	10,90,000
8.	वित्त विभाग . .	38,22,000	—
9.	कर संग्रह प्रभार (वित्त विभाग) .	3,99,64,000	—
10.	राजकोष और लेखा प्रशासन .	2,27,10,000	—
11.	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ .	7,19,00,000	—
12.	वित्त विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	51,38,000	26,93,000
14.	कानून विभाग . . .	22,81,000	—
15.	न्याय प्रशासन . . .	3,88,30,000	—
16.	कानून विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	24,17,000	18,97,000
17.	खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग .	8,75,000	—
18.	नागरिक पूर्ति . . .	23,76,000	—

1	2	3	
19.	खाद्य . . .	2,28,46,000	60,15,00,000
20.	खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय . .	—	9,74,000
22.	राज्य विधान मण्डल . .	41,22,000	—
23.	गुजरात विधान मण्डल सचिवालय के सरकारी सेवकों को उद्धार और अग्रिम . . .	—	1,72,000
24.	कृषि, वन और सहकारिता विभाग .	23,55,000	—
25.	सहकारिता . . .	4,06,94,000	5,55,12,000
26.	कृषि	15,02,51,000	4,89,33,000
27.	लघु सिंचाई भूमि संरक्षण और क्षेत्र विकास	6,66,80,000	35,19,000
28.	पशुपालन और डेरी विकास .	5,64,18,000	15,75,000
29.	मीन उद्योग . . .	1,70,76,000	6,75,000
30.	वन	2,79,55,000	1,47,14,000
31.	कृषि, वन और सहकारिता विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय . .	—	61,81,000
33.	शिक्षा और श्रम विभाग . .	24,82,000	—
34.	राज्य उत्पादशुल्क . .	34,66,000	—
35.	शिक्षा . . .	1,13,64,53,000	40,00,000
36.	श्रम और रोजगार . .	2,23,40,000	—
37.	समाज सुरक्षा और कल्याण	9,90,89,000	18,26,000
38.	शिक्षा और श्रम विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय . . .	64,00,000	56,67,000
39.	जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना .	12,90,73,000	5,20,57,000
40.	गृह विभाग . . .	19,91,000	—
41.	कर संग्रह प्रभार (गृह विभाग) .	20,56,10,000	—
42.	पुलिस . . .	34,12,58,000	—
43.	जेलें . . .	1,15,90,000	—
44.	सूचना, प्रचार और पर्यटन .	1,14,09,000	—

1	2	3	
45.	गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय .	1,45,05,000	2,06,10,000
46.	उद्योग, खान और विद्युत् विभाग .	15,80,000	—
47.	कर संग्रह प्रभार (उद्योग, खान और विद्युत् विभाग) . .	29,04,000	—
48.	लखन सामग्री और मुद्रण . .	4,58,45,000	—
49.	उद्योग . . .	2,51,45,000	2,36,92,000
50.	खानें और खनिज .	76,61,000	55,00,000
51.	विद्युत् परियोजनाएं . .	75,00,000	32,62,00,000
52.	उद्योग, खान और विद्युत् विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय . .	30,36,000	34,88,000
53.	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग .	30,62,000	—
54.	सामुदायिक विकास . .	10,99,12,000	—
55.	चिकित्सा . . .	24,37,41,000	—
56.	परिवार नियोजन . .	5,74,90,000	—
57.	लोक स्वास्थ्य . . .	14,82,99,000	4,59,17,000
58.	शहरी विकास .	2,61,78,000	50,000
59.	पंचायती राज . . .	3,04,08,000	—
60.	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय . .	5,16,40,000	1,06,22,000
62.	लोक निर्माण विभाग . .	36,56,000	—
63.	गैर-रिहाइशी इमारतें . .	10,15,91,000	1,32,05,000
64.	आवास .	2,20,29,000	1,50,87,000
65.	सिंचाई और भूमि संरक्षण .	35,65,52,000	48,85,62,000
66.	पत्तन . .	5,66,79,000	4,51,76,000
67.	सड़कें और पुल . .	12,69,91,000	2,57,12,000
68.	गुजरात राजधानी निर्माण स्कीम .	—	80,00,000
69.	लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय . . .	27,13,000	79,55,000
71.	राजस्व विभाग . .	60,13,000	—
72.	कर संग्रह प्रभार (राजस्व विभाग) .	3,22,27,000	—

1	2	3	
73.	जिला प्रशासन . . .	4,80,09,000	—
74.	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता .	4,55,00,000	5,00,000
75.	डांग जिला . . .	3,03,17,000	6,74,000
76.	मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां .	89,41,000	20,00,000
77.	राजस्व विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	75,50,000	65,03,000

श्री कृष्णन्नन्द हालदर (औसग्राम) : जनता फ्रंट सरकार ने 13 फरवरी, 1976 को वर्ष 1976-77 के लिये अपना बजट प्रस्तुत कर दिया था लेकिन उस सरकार के गिर जाने के फलस्वरूप बजट पास न हो सका।

बजट से प्रतीत होता है कि वर्ष 1976-77 के दौरान 43.08 करोड़ रुपये का घाटा होगा। इस घाटे के कुछ भाग को पूरा करने के लिये सरकार कुछ साधन जुटायेगी। सरकार द्वारा 17.66 करोड़ रुपये के कर लगाने का प्रस्ताव है। फिर भी 25.42 करोड़ रुपये का घाटा रह जायेगा। सरकार द्वारा प्रस्तावित करों का प्रभाव सर्वसाधारण पर भी पड़ेगा। 1974-75 के दौरान गुजरात राज्य अकाल से पीड़ित रहा। 1975-76 के दौरान कुछ सिंचाई सुविधायें प्रदान की गयी। पेयजल की भी व्यवस्था की गयी। सभा को बताया जाना चाहिये कि किन किन योजनाओं के लिये क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और ये लक्ष्य कितनी सीमा तक पूरे किये गये।

हमें खाद्यान्न की वसुली की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि जब फसल अच्छी न हो तो संरक्षित खाद्यान्न से हम देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। 1975 के दौरान चलायी गयी छोटी सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

बजट में अनुसुचित जाति तथा आदिवासियों के लिये भी उचित व्यवस्था की गयी है।

गुजरात के कपड़ा उद्योग में मंदी आ गयी है जिसके फलस्वरुप हजारों कार्यकर्त्ताओं की जबरन छुट्टी हो गयी है। केन्द्रीय सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे कि कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों को छुट्टी न हो।

गुजरात में दलबदल द्वारा विपक्ष की सरकार का पतन हुआ था लेकिन न तो विधान सभा भंग की गयी और न ही नये चुनावों के लिये आदेश दिये गये हैं। विधान सभा को निलम्बित किया गया है। तमिलनाडु में भी सत्तारुढ दल ने द्रमुक के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया था और जब इसे सफलता नही मिली तो वहां राष्ट्रपति राज लागू किया गया।

*बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

(Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Bengali)

[श्री कृष्ण हालदर]

वहां की विधान सभा को गुजरात की तरह निलम्बित नही बल्कि भंग किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह विचित्र घटना हुई।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार एक ही प्रकार के प्रश्न के बारे में दोहरी नीतियां अपनाती हैं। आज देश में आपात्त स्थिति लागू है और नित्यप्रति अनुशासन का वातावरण पैदा करने के बारे में सलाह दी जा रही है।

उन्होंने लोगों के सभी लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिये हैं और स्वयं भी लोकतांत्रिक ढंग से व्यवहार नही कर रहे हैं। दल-बदल विरोधी विधेयक को विगत तीन वर्ष से रोके रखने के पीछे सरकार का इरादा हमेशा से ही स्पष्ट है। वस्तुतः वह यह विधेयक इस लिये पेश नही करना चाहती क्योंकि उसने हमेशा ही दल बदल की नीति से ही लाभ उठाया है। यह विधेयक तो तो शायद तब पेश किया जायेगा जब सभी राज्यों में उनकी स्पष्ट और सुरक्षित बहुमत होगा। परन्तु मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि ऐसी स्थिति हमेशा ही नही रहेगी। लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिये संघर्ष करेंगे और इस सरकार को निकाल बाहर कर देंगे जिसे लोकतंत्र का कोई ख़याल नही है। इस में कुछ समय तो लग सकता हैं परन्तु यह असम्भव नही है। अन्त में कहूंगा कि जनता मोर्चा सरकार को कांग्रेस ने अपदस्थ किया लोकतंत्र विरोधी तरीकों से किया और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नटवर लाला पटेल (मोहसाना) : अध्यक्ष महोदय गुजरात बजट पर बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपका आभारी हूं।

गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू होने से पूर्व जनता मोर्चा द्वारा गठित लोकप्रिय सरकार थी। हम सब मानते हैं कि वह सरकार कैसे बनी थी। कुमारी मनीबेन पटेल का यह कहना ग़लत है कि उन्होंने किसान मज़दूर लोक पक्ष का समर्थन नही मांगा था। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबू भाई सारा भाई पटेल किम लोप के अध्यक्ष श्री चिमन भाई पटेल से मिले थे, उनसे समर्थन मांगा था और इसीलिये उन्हें समर्थन मिला था।

प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट हो गया था कि यह सरकार कतिपय आदर्शों के लिये नही बल्कि शक्ति का आनन्द उठाने के लिये काम कर रही थी। यही कारण है कि वह अल्पकालीन रही।

श्री हालदर मेरे मित्र हैं मैं उनका आदर करता हूं परन्तु, दूर्भाग्य से वह साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के सदस्य हैं जिसका काम हमेशा ही जलते पर तेल छिड़कने का होता है। इससे अधिक कुछ नही।

जनता मोर्चा इससे अधिक अच्छा काम कर ही नही सकता था क्योंकि स्वयं मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री गण जन संघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रभाव में रहते थे। नाम तो वह गांधी जी का लेते थे परन्तु नीति जन संघ और रा० स्व० सेवक संघ की चलाते थे। उनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर था इस सरकार के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ न ही उसने इसकी परवाह की। सब विकास कार्य रुक गया था। वे तो बस चुनावों की ओर ध्यान रत थे और इसके लिये शक्ति सम्पन्नता का लाभ उठाना चाहते थे।

चुनाव का नतीजा किसी मुख्य मंत्री या मंत्री के हाथ नही होता। वह तो जनता के हाथ में होता है। जिसको जनता चाहेगी वही जीतेगा। यह बात गुजरात के पंचायती चुनावों से सिद्ध हो गई। उसमें हमें बहुमत मिला यद्यपि हमारे दल के पास सत्ता नही थी। अतः अब यह कहना भी ग़लत सिद्ध हो गया है कि गुजरात में कांग्रेस जनता से दूर हो गई है। हमें 40 प्रतिशत वोट मिले। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू होने से पूर्व ऐसी स्थिति ही नही थी जिससे पता चलता कि सारे देश में आपात स्थिति लागू हैं। हां अब इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है।

पहले गुजरात में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। बल्कि मुख्य मंत्री जैसे जिम्मेदार लोग भी इस कार्यक्रम तथा आपात स्थिति की आलोचना करते थे हमने कई बार केन्द्र का ध्यान इस ओर दिलाया था परन्तु न जाने क्यों उसने कोई इनके प्रति नरमी का बर्ताव जारी रखा। जनता मोर्चे के शासन में लोगों ने बड़े दुख उठाये हैं। अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू है तो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी आ गई है। वह उसकी प्रगति की ओर ध्यान देगी तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये वहां के प्राधिकारियों को उचित निदेश देगी।

जहां तक गुजरात के बजट का सम्बन्ध है मेरा अनुरोध है कि उससे गुजरात की प्रगति के लिये और अधिक वित्तीय सहायता दी जाये जैसे तमिलनाडु को दी गई है।

कृषि की दृष्टि से आज गुजरात की दशा बेहद ख़राब है। इस वर्ष तो फ़सल अच्छी है और कृषि उत्पादों के मूल्य नीचे आते जा रहे हैं। सरकार की ओर से कोई समर्थन मूल्य नहीं दिया गया है। मूंगफली और मूंगफली के तेल के मूल्य बहुत नीचे गिर गये हैं और यह किसानों का दूर्भाग्य है। सरकार कुछ मूंगफली के निर्यात की व्यवस्था करे। राज्य व्यापार निगम ने भी मूंगफली का तेल 50,000 टन की बजाय केवल 5000 टन ही खरीदा है। अतः मेरा अनुरोध है कि अतिरिक्त मूंगफली के तेल के निर्यात की व्यवस्था अवश्य ही की जानी चाहिये अन्यथा किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और अगले वर्ष से वे इसका अधिक उत्पादन नहीं करेंगे। उन्हें उचित मूल्य तो मिलना ही चाहिये उन्हें घाटा तो नहीं होना चाहिये। फिर यह समस्या केवल गुजरात की नहीं बल्कि देश भर की है। अतः केन्द्र सरकार गुजरात सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे ताकि वह गुजरात में मूंगफली तथा अन्य उत्पादों को खरीद सके या भारतीय खाद्य निगम को खरीदने के लिये कह सके।

तेल के स्वामित्व (रॉयल्टी) का मामला बहुत दिनों से अनिर्णीत पड़ा हुआ है। हमें अपनी मांग के अनुसार रॉयल्टी मिलनी चाहिये। विश्व भर में तेल के मूल्य बहुत ऊंचे चढ गये हैं, अतः हमारी मांगें भी न्यायोचित हैं और उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिये।

गुजरात गांधी जी का जन्म स्थान है परन्तु वहां बड़ौदा में डायनामाइट षडयंत्र किया गया। यह षडयंत्र जनता मोर्चा सरकार के शासन काल में हुआ कुमारी मणिबेन पटेल ने बताया कि गुजरात पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा और जांच की। वस्तुतः यह काम बड़ी देर से हुआ और बहुत पहले किया जाना चाहिये था। गुजरात सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। वास्तव में जनता मोर्चा के शासन काल में सभी राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण प्राप्त हुआ। राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे मामलों पर नजर रखे।

गुजरात एक कमी वाला राज्य है वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता दें ताकि वह 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सके।

Kumari Maniben Patel (Sabarkantha) :Since my name has been quoted by the Hon: Member. let me make it clear that I was present there when the Government was formed. The Government did not allow us to form the Government and for three days we never approached the KMLP. A truth can never become lie.

श्री सो० के चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : गुजरात राज्य की कई बड़ी समस्यायें हैं जिन्हें अब केन्द्र सरकार ने हल करना है क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। वहां पानी और बिजली की कमी है। जिसके कारण वहां सुखा पड़ता है और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में वह राज्य कमी वाला राज्य है। मंत्री महोदय बतायें कि वह इस दिशा में क्या कदम उठाने का इरादा रखते हैं। इसके बजट में भी अधिक धन नहीं रखा गया है ।

नर्मदा परियोजना तथा नवगांव बांध सम्बन्धी विवाद का हल हुए बिना गुजरात की जल सम्बन्धी समस्या हल हो ही नहीं सकती है। शायद सरकार इस विवाद को हल करने के लिये गम्भीरता से कार्यवाही नहीं कर रही है। यह बड़ी पेचीदा समस्या है। बांध की ऊंचाई पर अन्य राज्यों की आपत्ति होगी। अब गुजरात में राष्ट्रपति शासन है और उसके पड़ौसी राज्यों में कांग्रेस का शासन है अतः इस समय इस समस्या को हल करने में आसानी रहेगी। यदि इस बांध सम्बन्धी समस्या और अन्तर्राज्यीय जल विवाद हल हो गये तो केन्द्र सरकार के लिये भी यह एक महान उपलब्धि की बात होगी। परन्तु मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है।

दूसरे, तेल की रॉयल्टी के प्रश्न पर फिर से विचार किया जाना चाहिये और इस राज्य में उत्पन्न कच्चे तेल की अधिक रॉयल्टी दी जानी चाहिये। कच्चे तेल के उत्पादन का अर्थ है अर्थ-व्यवस्था में मदद और विदेशी मुद्रा की बचत। अनेक वर्षों पहले 18 रुपये प्रति टन रॉयल्टी निश्चित की गई थी परन्तु अब तेल सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था बहुत बदल चुकी है। इसलिये मैं इस मांग का पुरजोर समर्थन करूंगा कि गुजरात को तेल की अधिक रॉयल्टी मिलनी चाहिये।

इस राज्य में सड़क व्यवस्था की दशा बहुत ख़राब है। गांव मुख्य सड़कों से बहुत दुर हैं। अतः गांवों और कस्बों को परस्पर जोड़ने के लिए एक अच्छी सड़क व्यवस्था होनी चाहिये। आपने इसके लिये बजट में बहुत कम धनराशि रखी है ।

गुजरात में कृषि उत्पादों के मूल्यों के प्रति भी सरकार चुप है। सरकार दावा तो बहुत बड़ा करती है कि इस वर्ष भरपूर फ़सल हुई है, परन्तु इससे भी तो अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी समस्यायें पैदा हो जाती हैं। जनता मोर्चा सरकार इन समस्याओं को हल करने में सर्वथा असफल रही थी हालांकि अपने चुनाव अभियान में इसका वायदा किया था। उसने मूंगफली के शायद 150 रुपये प्रति क्विंटल वसुली मूल्य करने का वायदा किया था परन्तु उसे पूरा नहीं किया। भारी फसल होने पर बेचारे किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसका लाभ केवल अमीर लोग उठा जाते हैं जो फसल को जमा कर लेते हैं। गरीब किसान तो बेचारा रोता ही रह जाता है। बजट में इसके लिये क्या गारंटी दी गई है? इस समस्या का क्या हल निकाला गया है? बजट में तो इस आशय का कोई सूझाव नहीं दिखाई देता है।

मुझे डर है कि इस बजट से राज्य की अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। 26 करोड़ के घाटे की पूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस स्थिति का सामना कैसे किया जायेगा। इसे ऐसे ही छोड़ने से मुद्रास्फीति बढेगी।

गुजरात में राष्ट्रपति शासन पर कल सभा में चर्चा के समय मैंने कुछ टिप्पणियां की थीं जिन पर कई माननीय सदस्यों विशेषकर श्री स्टीफन ने आपत्ति की थी। मैंने कहा था कि गुजरात में कांग्रेस दल ने शक्ति प्राप्त करने के लिए कतिपय निकृष्ट तरीके अपनाये और कांग्रेस के इन्हीं सिद्धान्तहीन और अवसरवादी हथकण्डों की वजह से ही गुजरात में ये घटनाएं घटीं। श्री स्टीफन के मतानुसार मैंने कांग्रेस में प्रगतिवादी और प्रतिक्रियावादी तत्वों की उपस्थिति बताई। वह चाहे जो निष्कर्ष निकालें .....(व्यवधान) किमलोप गुजरात राज्य की राजनीति के लिये एक मुसीबत है। इस दल को ग्रामीण धनिकों का समर्थन प्राप्त है। इसका अध्यक्ष भी भूतपूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री ही है--(व्यवधान) अतः कांग्रेस को उससे सतर्क रहना चाहिये। इस प्रकार की अवसरवादिता की नीति न तो उनके लिये ही हितकर होगी और न ही देश के लिये। इसमें केवल एक दल का प्रश्न नहीं बल्कि पूरे देश का हित शामिल है। वहां राजनैतिक अस्थिरता के कारण ही तो आज वहां का बजट इस सभा में पेश हुआ है। इस अस्थिरता के लिये वहां के लोगों को भारी मूल्य चुकाना पड़ रहा है।

गुजरात में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये केवल नौकरशाही पर ही निर्भर न करके वहां निम्नतर स्तर पर क्रियान्वयन समितियां गठित की जानी चाहिये ताकि इसमें सभी लोगों का अंशदान व सहयोग प्राप्त हो सके। साथ ही इन समितियों को पर्याप्त शक्तियां भी दी जायें ताकि वे नौकरशाही से भी इस संदर्भ में काम ले सकें। तमिलनाडु में तो ऐसा हुआ ही नहीं था परन्तु गुजरात में भी इसकी व्यवस्था नहीं हुई है। यह एक गम्भीर बात है। एक विचारधारा वाले दलों की बात श्री स्टीफन को अच्छी नहीं लगी थी। यह कहना सही है कि देश में कोई वामपंथ और दक्षिणपंथ नहीं है देश में निश्चय ही कुछ ऐसे राजनैतिक दल हैं जो आतंकपूर्ण परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं उन्हें प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। ऐसे दलों का राजनीतिक मंच पर विरोध किया जाना चाहिये ऐसे दलों को देश में एकाधिकारियों तथा बड़े बड़े भू-स्वामियों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। साम्राज्यवादी लोग उनका समर्थन करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि वामपंथ और दक्षिण पंथ देश में नहीं हैं।

मेरा अभिप्राय यह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए इन लोगों की मदद ली जानी चाहिए जो इसका समर्थन करते हैं न कि उनसे जो इसे असफल बनाना चाहते हैं। अतः अवसरवादी नीति अपनाने से लाभ नहीं होगा।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : संसद में प्रस्तुत गुजरात का बजट एक वास्तविक बजट है और गुजरात के लोगों को उन करों में काफी राहत मिली है जिनका प्रस्ताव पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने पहले किया था। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि गुजरात में सभी प्रकार के मत्स्य उत्पादों तथा समुद्री उत्पादों पर बिक्री-कर कैसे लगा दिया गया। मुझे इस के लिये कोई औचित्य नजर नहीं आता। गुजरात का तटीय क्षेत्र देश में सब से बड़ा है और यहां के समुद्रीय संसाधनों का भी अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया गया है। केरल जैसे अन्य राज्यों में तो मछली उद्योग का काफी विकास हो चुका है और अब तो वहां तट पर मछली पकड़ने के इलावा तट पर मछली पकड़ने का काम भी होने लगा है। जिन राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक समुद्रीय उत्पादों का निर्यात किया जाता है वहां भी मत्स्य उत्पादों तथा समुद्रीय उत्पादों पर बिक्री कर लागू नहीं है। वहां केवल श्रिम्पों पर क्रय-कर है। श्रिम्प एक ऐसी चीज है जिसको हम खा नहीं सकते और इसका निर्यात किया जाता है क्योंकि हमें इससे

[श्री डी० वी० जदेजा]

काफ़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यदि आप उस पर बिक्री-कर लगाते तो शायद मैं आपत्ति न करता हालांकि इससे इस उद्योग में संवर्धन में काफ़ी बाधा पड़ती।

अतः ये कर मछुओं तथा मत्स्य उद्योग पर न लगाकर केवल व्यापारियों पर लगाये जाने चाहियें। परन्तु होता हमेशा यही है कि जब भी ऐसा कोई कर लगता है तो उसका प्रभाव गुजरात के गरीब मछुओं पर ही पड़ता है। उदाहरणार्थ वहां इन पर निर्यात शुल्क लगाते समय यह कहा गया था कि इसका प्रभाव केवल निर्यातकों पर पड़ेगा गडरियों पर नहीं। परन्तु एक वर्ष बाद पता लगा कि व्यापारी ने अपने लाभ को नहीं घटाया और इस शुल्क का भार अन्ततः गडरियों पर ही पड़ा। यही बात मत्स्य उद्योग पर लागू होती है। उपभोक्ता अधिक मूल्य नहीं देगा और व्यापारी अपने लाभ में कमी नहीं करेगा और अन्ततः इस बिक्री कर का भार बेचारे मछुओं पर ही आकर पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि इस विकासशील उद्योग को करों के भार से मुक्त रखा जाये तथा उसे और भी प्रोत्साहन दिये जायें। गुजरात में केवल समुद्र से ही मछली नहीं पकड़ी जाती बल्कि बनसकन्ठा, साबरकन्डा पंचमहल आदि पिछड़े जिलों में समुद्र से अन्य स्थानों पर मछली पकड़ने का काम होता है। इन क्षेत्रों से मछलियां हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा आसाम में भी भेजी जाती हैं और हम अन्य राज्यों से कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ती है जिसके फलस्वरूप लाभ का अन्तर बहुत कम रह जाता है। व्यापारी लोग अपने लाभ की राशि में कमी नही करते और यह भार केवल मछुओं पर आता है जिनमें अधिकांश लोग गरीब आदिवासी हैं। फिर भी न जाने क्यों यह कर लगाया गया है अतः मत्स्य उत्पादों और समुद्रीय उत्पादों पर से इस राज्य में यह कर हटाया जाना चाहिये। यहां पर उद्योग तो अभी अविकसित ही है।

कच्छ की खाड़ी में अद्वितीय स्वरूप के प्रवाल -द्वीप हैं जिन्हें समुद्र से रेत निकालने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले अपने उद्योगों की स्थापना के लिये नष्ट करते जा रहे हैं। वे लोग वहां रेत की बजाय चूना और मूंगा चट्टानें निकाल रहे हैं तथा इस प्रकार इन द्वीपों को नष्ट करते जा रहे हैं। वे लोग कहीं और से भी तो रेत निकाल सकते हैं परन्तु यहां उनको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है और वे राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट कर रहेहैं। क्या उनके पास इसके लिये अनुमति है। कच्छ की खाड़ी में एक द्वीप है जिसका नाम पारोटन है वहां समुद्री जीवों की कतिपय नस्लें पाई जाती हैं। विदेशी अनुसंधान-कर्ता इन मछलियों और कोटों के बारे में अनुसंधान करने यहां आते हैं। अतः सरकार इस राष्ट्रीय सम्पदा को नष्ट होने से बचाए और इस सम्बन्ध में समुचित जांच करे।

गुजरात में मत्स्य उद्योग की भांति ही पर्यटन उद्योग की भी सर्वथा उपेक्षा की गई है। हमारे यहां गत एक वर्ष से कोई पर्यटन-निदेशक ही नही है। बजट में पर्यटन और प्रभार एक सूचना विषयों को मिलाकर रखा गया है और उसके लिये बहुत ही कम राशि रखी गई है। गुजरात पर्यटन की दृष्टि से एक अत्यन्त आकर्षक केन्द्र बन सकता है। यदि सरकार समुद्रीय संसाधनों वन्य जीव केन्द्रों तथा ऐतिहासिक स्थलों का विकास करे तो गुजरात में अन्य स्थानों की अपेक्षा कहीं अधिक पर्यटक आयेंगे।

सौराष्ट्र में, जामनगर में सैनिक हवाई अड्डा और असैनिक हवाई अड्डा दोनों ही एक ही स्थान पर हैं और नागरिकों के लिये वहां तक पहुंचने हेतु कोई सड़क नहीं है। इस सम्बंध में राज्य सरकार रक्षा मंत्रालय तथा पर्यटन और नागर विमानन् मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ

था। इसके लिये 60,000 रुपये की छोटी सी राशि रखी गई थी जिसकी इस बजट में भी व्यवस्था नही है। शायद वे किसी अन्य स्रोत से यह धनराशि जुटायेंगे और इस सड़क का निर्माण करेंगे।

इस जिले में बहुत कड़ा सूखा पड़ता है और निरन्तर पड़ता है। सरकार को हर वर्ष लाखों रुपये राहत कार्यों पर खर्च करने पड़ते है। मैं गत ग्यारह वर्षों से यह मांग करता आ रहा हूं कि इसके लिये कोई स्थायी उपाय किये जाएं। वहां कुछ छोटी-छोटी सिंचाई योजनायें चलाई जायें।

इससे न केवल आप सूखाग्रस्त क्षेत्र को ही राहत देंगे, अपितु इससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और कृषि उद्योग भी उन्नति करेगा। गुजरात में 1600 किलोमीटर लम्बी तटवर्ती सीमा है लेकिन केन्द्र द्वारा अनुमोदित वहां केवल मछली पकड़ने की दो बन्दरगाहें हैं। तटवर्ती सीमा की लम्बाई और आकार को ध्यान में रखे बिना इस प्रकार की बन्दरगाहों को अनुमोदित किया जाता है। हमारे पास 1600 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है। अतः सरकार जामनगर या कच्छ में एक दूसरा पत्तन बनाने पर विचार क्यों नही करती। इस समय कच्छ में उस प्रकार की सुविधा न होने से मछेरों को वेरावल या पोरबन्दर और वहां से कच्छ जाना पड़ता है।

परिणाम यह होता है कि भारतीय मछेरे वहां पर मछली नहीं पकड़ सकते जबकि पाकिस्तानी नौकाएं हमारी समुद्री सीमा में आकर मछली पकड़ती हैं। मेरे विचार में हमारे पास उन्हें पकड़ने या इस समुद्री सीमा पर नियंत्रण रखने के लिए साधन नहीं है। इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये। विक्रय कर के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये। यह कर छोटे व्यक्ति को प्रभावित करता है। छोटे मछेरे इस कर को बरदाश्त नही कर पायेंगे क्योंकि वे इससे अधिक प्रभावित हैं न कि व्यापारी लोग।

श्री एच० एम० पटेल (ढ़ढ़ूका) : यह बजट अत्यन्त सन्तोष जनक है। इसे जनता मोर्चे की सरकार ने बनाया था। बजट को बिना रूप भेद के पेश करने के लिए मैं राज्यपाल तथा भारत सरकार को बधाई देता हूं।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मामले में जनता मोर्चे की सरकार उतनी लापरवाह नहीं रही जितनी कही गई है। यह इस बात से स्पष्ट नहीं रही जितनी कही गई है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के लिए उन्होंने 129.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी और सरकार ने भी यही राशि रखी है।

इसी प्रकार वर्ष 1976-77 के दौरान बिजली उत्पादन के लिए किया गया प्रावधान भी सन्तोषजनक रहा। सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि उनको भेजी गई परियोजनाओं पर समय पर अनुमति दी जाये तथा राशि आवंटित की जाये। यदि उन्हें समय पर स्वीकृति न दी गई तो राज्य में बिजली की सप्लाई के मामले में आने वाले वर्षों में कठिनाई उत्पन्न हो जावेगी।

यद्यपि ऐसी योजनाएं बनाई गई थी जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली की आवश्यकता पर्याप्त रूप में पूरी हो जायेगी। जहां

[श्री एच० एम० पटेल]

तक छठी योजना में बिजली की मांग का सम्बन्ध है, वस्तुतः ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसपर विचार किया गया हो अथवा स्वीकृति दी गई हो। सरकार के लिए यह अच्छी बात होगी यदि वह छठी योजना के दौरान बिजली उत्पादन के लिए योजनाओं की स्वीकृति को सम्भव बनाने के लिये कार्यवाही करें।

राज्य में आण्विक बिजली घर स्थापित करने पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिये। चूंकि इसके पूरा होने में 10 वर्ष लगेंगे फिर भी जितनी जल्दी निर्णय लिया जायेगा उतना अच्छा होगा। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, गुजरात के लिए नर्मदा परियोजना का बहुत महत्व है। इस राज्य में काफी हद तक सूखा पड़ता है। जब तक नर्मदा परियोजना के बारे में शीघ्र निर्णय नहीं लिया जाता तब तक राज्य के अधिकांश भाग में प्रगति करना सम्भव नहीं होगा।

मैं महसूस करता हूं कि इस परियोजना के बारे में तब तक कुछ नहीं किया जा सकता जब तक न्यायाधिकरण अपना निर्णय नहीं देता। परन्तु निर्णय आने पर सरकार को उसे शीघ्र लागू करना होगा। बजाज सागर परियोजना के बारे में अधिक राशि आवंटित की जानी चाहिये कडाना परियोजना को निर्धारित अवधि से पूर्व पूरा किया जाना चाहिये। जहां तक राजस्थान राज्य में भूमि के अधिग्रहण का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार को भूमि के अधिग्रहण के मामले में गुजरात सरकार को सहायता देनी चाहिये और यह कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे दोनों राज्य को सन्तोष हो।

जहां तक कच्चे तेल पर रायल्टी का सम्बन्ध है, राज्य को अधिक रायल्टी देने का मामला काफी मजबूत है। केन्द्रीय सरकार इस मामले में विलम्ब कर रही है। सरकार शीघ्र ही निर्णय करे और यह सुनिश्चित करे कि रायल्टी में पर्याप्त वृद्धि की जाये। जहां तक मूंगफली उत्पादकों के मामले के बारे में जनता मोर्चे की सरकार द्वारा शुरु की गई समर्थन मूल्य नीति का सम्बन्ध है, आशा है कि केन्द्रीय सरकार भी उसी उत्साह से नीति का अनुकरण करेगी।

गांवो में पीने के पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए भूतपूर्व राज्य सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई थी। भारत सरकार को उत्साहपूर्वक इस योजना का अनुकरण करना चाहिये और यदि सम्भव हो तो इस कार्यक्रम के लिये अधिक राशि का आवंटन किया जाना चाहिये ताकि अधिक से अधिक गांव पानी की कमी की समस्या से छुटकारा पा सकें।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, गुजरात को 10+2+3 योजना के लिए धनराशि की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को विशेष आवंटन करना चाहिये ताकि यह योजना असफल न हो। योजना की सफलता न केवल राज्य के लिए बल्कि समूचे देश के लिये महत्व रखती है।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : वर्ष 1975–76 के लिए योजना व्यय 218.66 करोड़ रुपये था। वर्ष 1976–77 के लिये योजना व्यय 196.25 करोड़ रुपये है। दूसरे शब्दों में जहां समूचे देश में योजना व्यय में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहां हमारे राज्य में कमी की गई है। यह दुर्भाग्य की बात है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग के हाल के प्रतिवेदन से पता चलता है कि अड़चनों तथा रुकावटों के बावजूद गुजरात अधिकांश कृषि वस्तुओं की विकास दर के मामले में सबसे आगे रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी हम पर है और यदि हम इस राज्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो यह अन्याय होगा।

देश का ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां सरकारी पूंजी विनियोजन से इतने अच्छे परिणाम निकले हों जितने की गुजरात में निकले है। उपलब्ध पूंजी निवेश का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है। योजना में दी गई 196 करोड़ रुपये की राशि बिल्कुल अपर्याप्त है। इसे बढ़ाया जाना चाहिये।

गुजरात में कई बार सूखा पड़ा है तथा बाढें आई हैं। राज्य में सिंचाई की काफी अच्छी सम्भावनाएं हैं। जितनी भी सिंचाई की गई उसके काफी अच्छे परिणाम निकले हैं। अतः हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सिंचाई परियोजनाओं को परा किया जाये तथा राज्य को शीघ्र ही राशि प्रदान की जाये तथा इन योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट में जितनी राशि रखी गई है, उसमें वृद्धि की जानी चाहिये।

हमारे राज्य में मूंगफली तथा अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों में काफी कमी हुई है। कृषि मंत्री खुले बाजार में खरीद शुरु करें। यदि मंत्री महोदय ने अब ऐसा नहीं किया तो किसानों को वर्तमान दरों पर माल बेचना पड़ेगा, जो उनकी उत्पादन लागत से भी कम है और अगले वर्ष उनके पास खाद्यान्न या अन्य फसल बोने के लिए पैसा नहीं रहेगा और इसके परिणाम स्वरुप हमारे आर्थिक विकास में अव्यवस्था आ जायेगी। मैं बजट का समर्थन करता हूं। जो कुछ मैंने कहा है वे केवल सुझाव हैं। आलोचना नहीं। अब यह वित्त मंत्री पर निर्भर करता है कि गुजरात को उसका देय मिले क्योंकि यह राज्य अब केन्द्र के चार्ज में है।

श्री भालजी भाई परमार (दौहद) : वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि "चालू" वर्ष के समाप्त होने तक राज्य में घाटे का बजट पेश होने का मुख्य कारण वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान सूखे के लिए राहत पर व्यय करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य घाटे में चल रहा था। इसलिए केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह राज्य को और सहायता दे। अब वहां पर राष्ट्रपति शासन है और इसलिए केन्द्रीय सरकार पर इसकी सीधे जिम्मेदारी है। वित्त मंत्री इस घाटे को पूरा करने के लिए कार्यवाही करें।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के कारण तथा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किए गए उपायों के कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों में काफी कमी हुई है जिससे निर्धन तथा मध्य आय वर्ग के लोगों को राहत मिली है। इस मामले में यह सुझाव दिया जा सकता है कि किसानों को सहायता देने के लिए समर्थन मूल्य निश्चित किया जाना चाहिए।

इस बजट पर सदन में इसलिए चर्चा की जा रही है क्यों कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन है। गुजरात सरकार ने प्रशासनिक व्ययों में किफायत करने के लिए तथा सरकार को देय बकाया राशि की वसूल करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र को सक्रिय बनाने के लिए कई उपाय किए हैं।

[श्री भालजी भाई परमार]

हालांकि इन उपायों के परिणामस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति में सन्तोषजनक सुधार हुआ है, लेकिन गत बोझ के कारण वित्तीय संकट जारी है ।

राज्य में पंचायती चुनाव शांतिपूर्ण तथा सही ढंग से हुए हैं तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक है । गुजरात सरकार ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वियन के लिए शीघ्र तथा प्रभावशाली कदम उठाए हैं । ऐसी परिस्थितियों में विधान सभा को भंग करना तथा फिर से चुनाव कराना बेहतर होगा ताकि सरकार बनाई जा सके । गुजरात सरकार ने खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिए कई उपाय किए हैं । चालू वर्ष में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया गया है ।

भूमि सुधारों के मामले में, गुजरात सरकार ने सराहनीय कार्य किया है । तीस भूमि सुधार कानूनों को क्रियान्वित किया गया है । अन्तर्वर्ती काश्तकारी को समाप्त कर दिया गया है तथा जमींदारी प्रथा बीते कल की बात हो गई है ।

तत्कालीन सरकार ने ऋणग्रस्त ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए उचित कार्यवाही की है । खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजूरी 5.50 रुपये प्रति दिन नियत की गई है ।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने राज्यों में नौकरी के मामले में तथा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण का निर्णय किया है अनुसूचित जातियों की प्रभावशाली प्रतिनिधित्व देने के लिए वर्ष 1975 में हरिजन विकास निगम बनाया गया था ।

राज्य में आदिवासियों की संख्या लगभग 37 लाख है । पता चला है कि योजना के दो दशकों से आदिवासियों को बहुत कम लाभ हुआ है । अब आदिवासी जनसंख्या विकास योजन के अन्तर्गत 32 तालुक तथा 15 सहवर्ती क्षेत्र शामिल है । सौराष्ट्र के भीलों को वे सभी विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए जो अनुसूचित जाति को प्राप्त हैं ।

राज्य सभा में अनुसूचित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए । कम से कम दो आदिवासी सदस्य होने चाहिएं ।

योजना परिव्यय में रखी गई 15 करोड़ रुपये की राशि को विधिपूर्ण ढंग से खर्च किया जाना चाहिए यह राशि पर्याप्त नहीं है । अनुसूचित जातियों की स्थिति को सुधारने के लिए और अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

डा० महिपत राय मेहता (कच्छ) : यह कहना सही है कि योजना परिव्यय में हर वर्ष वृद्धि होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसका वितरण है । यह पता नहीं चल पाया है कि गुजरात को 31 प्रतिशत की वृद्धि क्यों नहीं दी गई ।

यह सही कहा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है । गुजरात की कुल जनसंख्या 3 करोड़ है जिसमें से 25 लाख भूमिहीन श्रमिक हैं । मोर्चे सरकार ने न्यूनतम मजूरी, जो 5 रुपये नियत की थी, के उपबन्धों को लागू नहीं किया । सरकार ने गुजरात और विशेषकर दक्षिण गुजरात, जो एक विकसित क्षेत्र है, में कानून तोड़ने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । कानून की अवहेलना करने वाले अमीर लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

गुजरात में अस्थिरता समाप्त की जानी चाहिये। गुजरात सरकार को इस समय स्थिरता की आवश्यकता है। दल-बदलुओं का सहयोग लेकर सरकार नहीं बनाई जानी चाहिए। वहां सारा वातावरण हिंसात्मक है। अतः राजनीतिक स्थिरता की अत्यन्त आवश्यकता है।

गुजरात राज्य अकाल तथा बाढ़ से पीड़ित है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में अकाल तथा बाढ़-पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये कुछ नहीं किया। यदि केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी होती तो स्थिति बेहतर हो सकती थी। प्रगतिशील कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है बल्कि इसके विपरीत सरकार की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है।

जिस जिले से मैं आया हूं वह एक पिछड़ा हुआ जिला है तथा समिवर्ती जिला है। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के लिए एक बृहत योजना बनाने के लिए एक समिति गठित की थी। गुजरात सरकार ने लिखा है कि गुजरात के अन्य पिछड़े जिलों में कच्छ जिला तो आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से इतना अधिक पिछड़ा हुआ है कि उस का स्थान सबसे कम विकसित, 9 जिलों में भी सबसे नीचे है। अतः इस जिले को इन 9 पिछड़े जिलों के न्यूनतम स्तर तक भी लाने के लिये काफी प्रयास तथा पूंजी निवेश करना होगा।

मैंने भी सदा इस बात पर जोर दिया है कि अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को कम किया जाना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि तत्संबंधी प्रयास तथा निर्णय वहां उपलब्ध राजनैतिक शक्ति के आधार पर किये जाते हैं। कच्छ जब 'सी' वर्ग का राज्य था तब पण्डित जवाहरलाल नेहरु तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी भी सीमित भाषायी दृष्टिकोण नहीं अपनाया और केवल उसको विकसित करने के दृष्टि से इसे केन्द्र के अधीन रखा। उनका कहना था कि कच्छ एक सीमान्त जिला है इस लिये इसका विकास किया जाना चाहिए।

परन्तु हमारे दुर्भाग्य से यह जिला हमारे निरन्तर विरोध के बावजूद एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच गेंद की तरह से ठोकरे खाता रहा। इस समय यह गुजरात का एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ जिला है। जिस प्रकार आन्ध्र में रायलसीमा तेलन्गान तथा शेष आन्ध्र क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र में मराडवाडा, विदर्भ और शेष महाराष्ट्र क्षेत्र हैं, ठीक इसी प्रकार गुजरात में भी कच्छ सौराष्ट्र तथा शेष गुजरात में तीन क्षेत्र हैं, यही कारण है कि संविधान में इसकी व्यवस्था है और दोनों सभाओं की संयुक्त समिति और सीमा आयोग ने यह चाहा है कि यदि इस क्षेत्र का विकास किय जाना अपेक्षित है तो वहां विकास बोर्ड गठित किये जाने चाहियें। आन्ध्र में तो प्रत्येक इकाई को एक एक विकास बोर्ड प्राप्त हो गया है। महाराष्ट्र ने अपने तीनो भागों के बीच स्वयं परस्पर समझौता कर रखा है और वहां बारी बारी में प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्ति मुख्य मंत्री बताता है। परन्तु हमारे गुजरात राज्य में क्योंकि कच्छ जनसंख्या की दृष्टि से अत्यन्त छोटा क्षेत्र है भले ही क्षेत्रफल में यह समूचे गुजरात का एक चौथाई भाग हो, हमारी बात कोई नहीं सुनता है। हमें विकास बोर्ड देने तथा हमारे क्षेत्र की योजना बनाने से इन्कार कर दिया गया है। हमारी तीसरी योजना की राशी केवल 4 करोड़ रुपये की रखी गई थी परन्तु वह भी केवल प्रशासनिक कार्यों पर खर्च कर दी गई।

इस क्षेत्र में सिंचाई, बांधों, सड़कों आदि की निकास-योजनाओं में भी धीरे धीरे कमी कर दी गई है यह तो पाकिस्तानी आक्रमण की ही बदौलत था कि वहां कुछ सड़कों का निर्माण कर दिया गया।

[श्री सी० के चन्द्रप्पन]

यहां दिल्ली के लोग तो कच्छ को बस दलदल वाला कच्छ समझते है परन्तु यह एक सुन्दर क्षेत्र और एक डेल्टा क्षेत्र है। परन्तु इस बार लगातार चार बार हमारे यहां सूखा पड़ा है।

राष्ट्रीय संपदा में अपने योगदान के लिये यह क्षेत्र अन्य किसी भी क्षेत्र से आगे रहा है। जीवन बीमा लघु बचतों, सावधिक जमा योजना के मामले में यह क्षेत्र सारे भारत में प्रथम रहा है। परन्तु हम इन योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशि नहीं मांगते, हमें आप केवल इन्फ्रा स्ट्रक्चर दे दीजिये हमारे बार बार अनुरोध पर भी हमें यह नहीं दिया गया। कच्छ के विकास से केवल कच्छ का ही नहीं समूचे देश का विकास होता है। हम लोग सारे विश्व में घूमे हैं हमें मालूम है कि क्या कर और कैसे किया जाना चाहिए।

हम तो केवल पानी और बिजली मांगते हैं। परन्तु हमें ये दोनों ही चीजें नहीं दी गई। इस समस्या का मूल नर्मदा परियोजना है इसके अतिरिक्त कोई विकास नहीं है। यदि नर्मदा परियोजना क्रियान्वित नहीं होता है तो समझ लीजिए कि सारा कच्छ क्षेत्र खाली होजायेगा और वह क्षेत्र केवल परमाणु बमों संबंधी प्रयोग करने लायक ही रह जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी अपनी बात इतने जोरदार ढंग से कही है कि मुझे विश्वास है कि उप मंत्री का दिल अवश्य पिघल गया है।

डा० महीपत राय मेहता : हमारे पड़ौसी राज्यों तथा राजस्थान, मध्यप्रदेश, तथा महाराष्ट्र में वनरोपण का प्रश्न है। उन्हें इंधन चाहिए गुजरात के केवल कच्छ भाग में ही लिग्नाइट मिलता है जो कि अन्य प्रकार के सभी इंधनों का बढ़िया विकल्प वनरोपण तो वर्षा पर निर्भर है। इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार एक योजना में यह स्वीकार किया गया था कि यदि लिग्नाइट की ईंटें भी बनाई जाये तो भी वे नैवेली के लिग्नाईट से अच्छी रहेगी। धनबाद स्थित ईंधन अनुसन्धान संस्थान के प्रतिवेदन के अनुसार आप वहां एक तापीय केन्द्र भी स्थापित कर सकते हैं। हमारे यहां लिग्नाईट और बॉक्साईत दोनों ही एक साथ उपलब्ध हैं परन्तु इस विषय में गुजरात और केन्द्र सरकारों के बीच कोई मतभेद है। इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं करना चाहता और न ही वहां उपलब्ध संसाधनो का ही उपयोग करना चाहता है।

इसलिये मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि योजना परिव्यय के अन्तर्गत वह इन क्षमताओ का ध्यान रखें।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : मैं गुजरात बजट का समर्थन करता हूं और साथ ही वहां लागू किये गये राष्ट्रपति शासन का भी स्वागत करता हूं जोकि भारत में लोक तंत्र की रक्षा तथा गुजरात में जनता की रक्षा के लिये लागू किया ग जाना बेहद जरूरी था।

गुजरात एक सूखाग्रस्त होने वाला राज्य है। यद्यपि मैंने तमिलनाडु के लिये अधिक अनुदान देने का अनुरोध किया तथापि मेरे विचार से गुजरात को उससे भी कहीं अधिक सहायता की जरुरत है। तमिलनाडु की अपेक्षा गुजरात के अधिक क्षेत्र ज्यादह सूखाग्रस्त हैं (**व्यवधान**) हमें अच्छी बातों का समर्थन और बुरी बातो का विरोध करना चाहिये। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करना भारत के 55 करोड़ लोगों के हित की बात है न कि अमरीका, चीन या अन्य किसी देश के हित की बात है। हमें अपने राष्ट्रीय हित को पहले देखना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार, शासक दल इस राज्य के प्रत्येक भाग में 20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये सार्वजनिक समितियों, क्षेत्रीय दलों, राजनैतिक दलो, सार्वजनिक दलों की समितियों को ग्रहण करे। इसकी कारगर ढंग से क्रियान्विति के लिये गुजरात सरकार जन-समितियां

बनाये । तमिलनाडु में हमने जिला तालुक समिति तथा ग्राम्य स्तरीय समितियां बनाई हैं जिनका नेतृत्व कांग्रेस और भारतीय साम्यवादी दल के सहयोग से अना डी० एम० के० के पास है । गुजरात में ऐसा ही किया जाये । कुछ लोग गुजरात, तमिलनाडु तथा केरल के मामलों को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं । तमिलनाडु सरकार को भ्रष्टता के कारण अपदस्थ किया गया था परन्तु गुजरात में तो वह स्वयम ही अल्पसंख्यक हो कर बहुमत से हार गई । कतिपय राष्ट्र विरोधी दलो का कहना है कि केन्द्र सरकार राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों का तख्ता उलट रही है। परन्तु यह सत्य नहीं है। अभी एक या दो घन्टे में हम एक ऐसा विधेयक पास करने वाले हैं जिसमें केरल सरकार के कार्यकाल को बढाया जायेगा इसका क्या अर्थ है । केन्द्र सरकार राज्यों में विपक्षी सरकारों के विरुद्ध नहीं है । केरल सरकार की नीति कतिपय सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने की है । इसीलिए इसका कार्यकाल बढाया जा रहा है । तमिलनाडु और गुजरात में यह बात नहीं थी ।

मुझे बताया गया है कि गुजरात में मूंगफ़ली तथा खाद्यान्न पैदा होते हैं । वहां सीमान्त किसानों की दशा बड़ी ख़राब है । आप उनके उत्पादन की लागत को ध्यान में रखकर उनके उत्पादों के लागत मूल्य निश्चित करें । आप गेहूं के मूल्य निश्चित करने जा रहे हैं तो फ़िर मूंगफ़ली और अन्य खाद्यान्नों के क्यो नहीं मूल्य निर्धारित करते । तमिलनाडु में भी धान के मूल्य निश्चित किये जाने चाहियें । किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ की हड्डी हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिये ।

गुजरात में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । पशुओं तक के लिये पानी नहीं मिलता । अतः ग्रामीण जनता को पेय जल उपलब्ध कराने के कार्यों के लिये अधिक धनराशि आवंटित की जाये । किसानों का कल्याण तो सर्वाधिक महत्व की वस्तु है ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अत्यन्त ऊंचे स्तर की चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का मैं धन्यवाद करती हूं । भारतीय साम्यवादी दल (मार्कसवादी) के एक सदस्य तथा कांग्रेस (संगठन) के एक सदस्य को छोड़कर प्रत्येक सदस्य ने इस बजट का समर्थन किया है और अपने मूल्यवान सुझाव भी दिये हैं ।

यह एक सादा और सरल बजट है अतः मैं निवेदन करूंगी कि इसे पूर्वग्रहण-पूर्ण दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये . . . (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : क्या कोई आदमी संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन इन शक्तियों के उपयोग का युक्तिसंगत स्पष्टीकरण दे सकता है । आप देख सकती हैं । आपने संविधान के इस अनुच्छेद का उपयोग अपने दलगत हितों के लिये किया आप स्वीकार करती हैं कि आप एक बड़ी जंजीर की एक छोटी सी कड़ी हैं । . . . (**व्यवधान**)

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैंने आपकी ओर नहीं बल्कि आपके वरिष्ठ साथी की ओर संकेत किया था आपके भाषण के संदर्भ में मैंने उपरोक्त शब्द नहीं कहे हैं । . . . (**व्यवधान**)

अब मैं केवल बजट के विषय पर ही बोलूंगी । माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उससे मैं सहमत हूं । आरंभ में बोलने वाले एक सदस्य ने कहा था कि केन्द्र सरकार ने बजट रूप यह शिशु मोर्चा सरकार से झपट कर पेश किया है । परन्तु एसी बात नहीं है । मैं तो यह कहूंगी कि क्योंकि वह शिशु उन परिस्थितियों में भली प्रकार परवरिश नहीं पा सकता था. इस लिये कुछ

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

समय के लिये केन्द्र सरकार ने उसे गोद ले लिया है। इस प्रकार हम शिशु की अच्छी और स्वस्थ परिस्थितियों में देखभाल हो सकेगी और फ़िर उसे उसके वैध अभिभावको को सौंप दिया जायेगा।

परिव्यय के बारे में हमारे अपने दल के तथा निपक्षी दल के दोनों ही ओर के सदस्यों ने कुछ बातें उठाई हैं। उन्होंने इस परिव्यय को अपर्याप्त बताते हुए उसमें वृद्धि की मांग की है। वस्तुतः इस संबंध में राज्य के राज्यपाल से भी हाल ही में एक पत्र हमें मिला है। परन्तु इस समय तो हम इस पर विचार नहीं कर सकेंगे परन्तु बाद में विनिश्चय यह मामला हमारे सम्मुख पेश होगा और हम इस पर विचार करेंगे साथ ही मैं यह भी यहां कहूंगी कि चालू परिव्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्री पटेल तो इसी बात से खुश थे कि यह बजट मोर्चा सरकार ने तैयार किया था। मेरे विचार से मोर्चा सरकार ने इस योजना आयोग की सलाह से तैयार किया था और योजना आयोग ने ही इसे अन्तिम रूप दिया था और इसमें यथायोग्य प्राथमिकतायें दी थीं। यह वही बजट है जिसे योजना आयोग ने 9 जनवरी को तैयार किया और 13 फ़रवरी को राज्य विधान सभा में पेश किया गया। अब इसका कितना श्रेय किस को जाना है इसका निर्णय स्वयं कोई करे। इसके कुल परिव्यय का दो-तिहाई भाग 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये है। सिचाई और विद्युत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिसपर शायद किसी को भी आपत्ति नहीं होगी।

इस मत से हम सहमत हैं कि खाद्य-उत्पादन के साथ साथ उसके वितरण की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। इस हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिये उचित कदम उठाये जायेंगे ताकि लोगों को तकलीफ न हो।

कुछ सदस्यों ने समर्थन मूल्यों पर अपना सन्देह व्यक्त किया। चालू वर्ष में 18 लाख टन मूंगफ़ली के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने मूंगफ़ली की गिरी की 150 रुपये प्रति क्विंटल क्रय दर निश्चित की है। गेहूं को सरकार 105 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेगी यदि मूल्य इसके नीचे जायें।

भूमि सुधार, विद्युत, हथकरघा आदि मूल भूत तथा महत्वपूर्ण मदों के लिए इस वर्ष अधिक राशि की व्यवस्था है।

प्रत्येक सदस्य ने नर्मदा परियोजना का उल्लेख किया है। निश्चय ही इसका बड़ा महत्व है और साथ ही इसमें समय का भी बहुत महत्व है। ज्योंही ट्रिब्युनल अपना निर्णय देगा हम तत्संबंधी कार्यवाही करने में कोई समय नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि यह केवल गुजरात के लिये ही नहीं वरन् समूचे देश के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।

आदिवासी उप-योजनाओं के लिये स्वकृति परिव्यय में 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। हमें आशा है कि इससे आदिवासियों की कुछ परेशानियां दूर होंगी।

कुछ सदस्यों ने पानी की कमी का ज़िक्र किया है। ग्रामीण जल सप्लाई योजना को प्राथमिकता दी गई है। पांचवीं योजना में 2000 गावों में यह योजना लागू करने का लक्ष्य है। इस बात के लिये हर संभव प्रयास किया जायेगा कि पांचवीं योजना की अवधि के अन्त तक गुजरात के हर गांव में पेय जल उपलब्ध हो।

गुजरात सरकार ने जून, 76 से नई शिक्षा प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है। अब देखना है कि इसमें कहां तक सफलता मिलती है।

तेल की रॉयल्टी का कुछ सदस्यों ने जिक्र किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय इस संबंध में गुजरात और आसाम सरकारों से बात-चीत कर रहा है।

समुद्री सम्पदा के बारे में संबंधित मंत्रालय सभी पहलुओं पर विचार करेगा जिसमें बिक्री-कर तथा उन सुन्दर द्वीपों में पर्यटन उद्योग को समृद्ध करना भी शामिल है।

डा० मेहता ने अधिक परिव्यय के लिये अपील की है। हम इसका संभावना पर विचार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने हमें अपना सुदृढ समर्थन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1976-77 के अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (गुजरात) रखी गई तथा स्वीकृत हुईं:

The following Demands for Grants 1976-77 (Gujarat) were put and adopted--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
2.	मंत्रिपरिषद	10,79,000	
3.	निर्वाचन . . .	1,42,17.000	..
5.	सामान्य प्रशासन विभाग . .	74,47,000	..
6.	आर्थिक सलाह और सांख्यिकी .	58,69,000	..
7.	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	30,79,000	10,90,000
8.	वित्त विभाग .	38,22,000	
9.	कर संग्रह प्रभार (वित्त विभाग)	3,99,64,000	
10.	राजकोष और लेखा प्रशासन	2,27,10,000	..
11.	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	7,19.00,000	..
12.	वित्त विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	51,38,000	26,93,000
14.	कानून विभाग .	22,81,000	..
15.	न्याय प्रशासन . . .	3,88,30,000	..

1	2	3	
16.	कानून विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	24,17,000	18,97,000
17.	खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग	8,75,000	..
18.	नागरिक पूर्ति	23,76,000	..
19.	खाद्य . .	2,28 46,000	60,15,00,000
20.	खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय .	..	9,74,000
22.	राज्य विधान मंडल . . .	41,22,000	..
23.	गुजरात विधान मंडल सचिवालय के सरकारी सेवकों को उधार और अग्रिम	..	1,72,000
24.	कृषि, वन और सहकारिता विभाग	23,55,000	..
25.	सहकारिता .	4,06,94,000	5,55,12,000
26.	कृषि . . .	15.02,51,000	4,89,33,000
27.	लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण और क्षत्र विकास .	6,66,80,000	35,19,000
28.	पशुपालन और डरी विकास .	5,64,18,000	15,75,000
29.	मीन उद्योग	1,70,76,000	6,75,000
30.	वन . . .	2,79,55,000	1,47,14,000
31.	कृषि, वन और सहकारिता विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय .	..	61,81,000
33.	शिक्षा और श्रम विभाग	24,82,000	
34.	राज्य उत्पाद शुल्क . .	34,66,000	..
35.	शिक्षा . .	1.13,64,53,000	40,00,000
36.	श्रम और रोजगार . . .	2,23,40,000	..
37.	समाज सुरक्षा और कल्याण .	9,90,89,000	18,26,000
38.	शिक्षा और श्रम विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	64,00,000	56,67,000
39.	जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना .	12,90,73,000	5,20,57,000
40.	गृह विभाग . . .	19,91,000	..
41.	कर संग्रह प्रभार (गृह विभाग).	20,56,10,000	..
42.	पुलिस . . .	34,12,58,000	..
43.	जेल . . .	1,15,90,000	..

44.	सूचना, प्रचार और पर्यटन	1,14,09,000	..
45.	गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	1,45,05,000	2,06,10,000
46.	उद्योग, खान और विद्युत विभाग .	15,80,000	..
47.	कर संग्रह प्रभार (उद्योग, खान और विद्युत विभाग) .	29,04,000	..
48.	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	4,58,45,000	..
49.	उद्योग	2,51,45,000	2,36,92,000
50.	खानें और खनिज .	76,61,000	55,00,000
51.	विद्युत परियोजनाएं . .	75,00,000	32,62,00,000
52.	उद्योग, खान और विद्युत विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	30,36,000	34,88,000
53.	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग .	30,62,000	..
54.	सामुदायिक विकास	10,99,12,000	
55.	चिकित्सा	24,37,41,000	
56.	परिवार नियोजन	5,74,90,000	..
57.	लोक स्वास्थय . .	14,82,99,000	4,59,17,000
58.	शहरी विकास .	2,61,78,000	50,000
59.	पंचायती राज .	3,04,08,000	..
60.	पंचायत और स्वास्थय विभाग से संबिन्धत व्यय	5,16,40,000	1,06,22,000
62.	लोक निर्माण विभाग . .	36,56,000	..
63.	गैर-रिहाइशी इमारतें .	10,15,91,000	1,32,05,000
64.	आवास . .	2,20,29,000	1,50,87,000
65.	सिचाई और भूमि संरक्षण .	35,65,52,000	48,85,62,000
66.	पत्तन . . .	5,66,79,000	4,51,76,000
67.	सड़कें और पुल . .	12,69,91,000	2,57,12,000
68.	गुजरात राजधानी निर्माण स्कीम	.	80,00,000
69.	लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	27,13,000	79,55,000
71.	राजस्व विभाग .	60,13,000	..
72.	कर संग्रह प्रभार (राजस्व विभाग)	3,22,27,000	..
73.	जिला प्रशासन . . .	4,80,09,000	..

1	2	3	
74.	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता .	4,55,00,000	5,00,000
75.	डांग जिला .	3,03,17,000	6,74,000
76.	मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां . .	89,41,000	20,00,000
77.	राजस्व विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय . .	75,50,000	65,03,000

नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1976

और

निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प)।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ, तथा सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक :

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री दीनेन भट्टाचार्य के सांविधिक संकल्प पर चर्चा करेंगे जिसका आशय राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 1976 को जारी किये गये नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश 1976 (1976 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करना है और श्रीमती सुशीला रोहतगी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। प्रो० हीरेन मुकर्जी अपना भाषण जारी रखेंगे । मैं उन्हें याद दिला दू कि वह 23 मिनट ले चुके हैं। इस बात को वह ध्यान में रखें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : श्रीमन मुझे याद है कि मैं सामान्य से अधिक समय ले चुका हूं परन्तु यह एक ऐसा विषय है जिस के बारे में सभा प्रायः अनभिज्ञ है और यह सारा मामला इस ढंग से आया है कि इस के लिये समय में कुछ छूट देने की आवश्यकता है। अन्य मदों से बचे समय को इस विषय पर लगाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सभा की इच्छा पर है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : कल मैंने कहा था कि इस विषय में बहुत से क्लिष्ट प्रश्न अन्तर्निहित है। वित्तीय ज्ञापन में सारी बात नहीं कही गई है क्योंकि इस के अनुसार इस में कोई खच अन्तर्गस्त नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। पहली अप्रेल से हजारों लेखाकार नियंत्रक महालेखापरीक्षक के नियंत्रण से हटकर सरकार के विभिन्न विभागों में चले जायेंगे। इमका अभिप्राय केवल उन की वर्दियां ही बदलने का ही नहीं है। बात इस के विपरीत है। मैं विशिष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस में होने वाले खर्च से बचेगी कैसे ? सरकार दोनों पक्षों को सुदृढ़ करती है और यदि यह विभाजन होता है, तो यह कोई सरल बात नहीं है। इस संबंध में यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि यह कुर्सी तो हिसाब किताब लगाने वाले की है वह दिल्ली में दो अथवा डिब्रूगढ़ में क्या फर्क पडता है। अतः मैं वित्तीय ज्ञापन के इस कथन के प्रति अपना सन्देह करता हूं कि इस में कोई खर्च अन्तर्ग्रस्त नहीं है। मैं सभा को याद दिला दू कि यह विषय स्वाधीनता प्राप्ति के पहले से ही लटका हुआ है और अनेक बार इस को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किये जाने के बाद भी इसे क्रियान्वित नही किया जा सका क्यों कि इस के बीच में अनेक विकट कठिनाईयों रही है साथ ही यह कार्य खर्चीला भी बहुत पाया गया।

स्वतंत्रता से पूर्व महालेखाकार परीक्षक सर अर्नेस्ट बाहडविन ने भी यह कहा था कि उनके अनुभव के अनुसार संयुक्त प्रांतों (आज के उत्तर प्रदेश का पूर्व वर्ती रूप) में लेखापरीक्षक तथा लेखा कार्यों को प्रथक करने से कोई सुधार नहीं हुआ कोई कुलशता नहीं बढ़ी बल्कि उससे कहीं अधिक खर्च बढ़ गया तथा काम भी बहुत करना पड़ा। लाभ कुछ भी नहीं हुआ। स्वाधीनता के बाद भी इस संबंध में जोश उठा ताकि लेखा परीक्षण का कार्य अधिक स्वतंत्रता के साथ किया जा सके परन्तु यह काम बड़ा मुश्किल था। लोक सेवा समिति ने भी हमें सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया था परन्तु फिर उसने पाया कि इसमें तो बड़ी भारी कठिनाइयां है जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता। अतः 1951–52 में अपने प्रथम प्रतिवेदन में उस ने सिफारिश की थी कि ये परिवर्तन धीरे-धीरे परन्तु प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किये जाये तथा इस संबंध में राज्यों तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक से मंत्रणा करते हुए किया जाये। उसके बाद अप्रैल, 1953 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री देशमुख ने भी संसद में कहा था कि सरकार अपनी ओर सिद्धान्त तया इसे करना चाहती है परन्तु एक अत्यन्त जटिल कार्य है और इसमें आड़े आने वाली प्रशासनिक तथा अन्य कठिनाइयों के कारण हम रुके हुए हैं।

सामान्य लोगों को लेखापरीक्षण तया लेखे तैयार करने के कार्य की जानकारी नहीं है और इस अत्यन्त जटिल कार्य को सरकार संसद में विधेयक बनाकर तुरन्त कर डालना चाहती है और 1 अप्रैल को कर देना चाहती है।

इस प्रकार सरकार बहुत हड़बड़ाहट में और अपनी बहुमत संख्या के बल पर ही तुरन्त कुछ कर डालना चाहती है।

प्रशासनिक दृष्टि से यह एक अत्यन्त महत्व का कार्य है और इस समय प्रधान मंत्री को भी यहां मौजूद होना चाहिये था। हम विषय की महत्ता को देखते हुए ही मैंने इस चर्चा के समय में कुछ वृद्धि का अनुरोध किया था।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : वित्त मंत्री स्वयं यहां आने वाले हैं। वह इस समय राज्य सभा में अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मुझे यह जानकर खुशी हुई है। परन्तु यहां बात केवल वित्त मंत्री के स्तर तक नहीं बल्कि प्रशासन के सर्वोच्च प्रतिनिधि से संबंधित बात है और हम में से अब भी कुछ लोग ऐसे बचे है जो संसद के प्रति इस व्यवहार को सहन नहीं कर पाते।

मैंने कल भी यह स्पष्ट किया था कि हमारे देश के महालेखापरीक्षकों का एक विशिष्ट रवैया रहा है। सर्वप्रथम महालेखापरीक्षक श्री नरहरिराव ब्रिटिश प्रणाली को प्राथमिकता देते थे क्योंकि इसके लिये कुछ कारण भी थे। फिर भी ब्रिटेन हमारे देश के समान एक विशाल तथा संघीय देश नही है और इसलिये हमारी कठिनाइयां भी उसी अनुपात से व्यापक हैं। अतः यदि हम ब्रिट्रेन की प्रणाली अपनाये जहां कि महालेखापरीक्षक मौखिक रूप से सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र है, वस्तुतः वह नहीं है क्योंकि कुछ मामलों में उसे वित्त मंत्री पर निर्भर रहना पड़ता है, तो मैं नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पूरी स्वतंत्रता की हिमायत करूंगा बशर्ते कि सही रूप में ऐसा किया जा सके। परन्तु जरा देखिये कि यह होता कैसे है? श्री देशमुख

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

ने इसे असंभव पाया। उनके उत्तराधिकारी श्री ए० के० चन्दा ने भी कारण देते हुए यह बताया था कि ऐसा क्यों नही हो सकता। इससे अधिक गहराई में मैं नहीं जा सकता क्योंकि आप मुझे समय नही देंगे।

इसके बाद श्री रंगानाथन, जो कि इस समय राज्य सभा के सदस्य भी हैं—ने भी यह कहा था कि मौखिक रूप से भले कुछ कहें परन्तु क्रियान्वित रूप से लेखा परीक्षा तथा लेखा विभागों को पृथक करने की जरूरत नही है।

वर्तमान महालेखापरीक्षक के विचार क्या हैं यह हमें मालूम नहीं है। संभव है सरकार ने उनके विचार पूछे हों। हमें भी उन विचारों से अवगत कराया जाये।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस मामले पर विचार किया था। उन्होंने भी यह कहा था कि बेशक लेखापरीक्षण कार्य को नया रुप दिया जाना चाहिये परन्तु इसका कार्य सरकार की देख रेख में नहीं होना चाहिये। लेखा परीक्षण तथा लेखा कार्य में घनिष्ट ताल मेल होना चाहिये और लेखा परीक्षा के कार्य के अन्तर्गत लेखों की जांच के अतिरिक्त अन्य बातें, यथा, बुद्धिमानी, वफादारी और खर्च में किफायत की बातों पर भी जांच होनी चाहिये प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने अध्ययन दल के निष्कर्षों के आधार पर सिफारिश संख्या 17 में यह सिफारिश की कि आय नीति के अनुसार केन्द्रीय लेखे तेयार करने का काम महालेखापरीक्षक के अधीन जारी रहे सिवाय उन विभागों के कार्यों के जिनके लिये लेखा कार्यालय अलग से स्थापित किये जा चुके हैं। यह प्रतिवेदन 1968 में दिया गया था। रक्षा और रेलवे विभागों में अलग अलग लेखा कार्यालय है। बहुत से सदस्य मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि इन दोनों विभागों की लेखा प्रक्रिया में कोई सुधार नही हुआ है और इसी लिये मैं इस दलील के प्रति जोकि अभी पेश की गई है, सन्देह रखता हूं कि व्यवस्था मानण्डों के अनुसार लेखापरीक्षा कार्य तथा लेखा कार्य को पृथक पृथक कर दिया जाना चाहिये।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने अध्ययन दल के विश्लेषण से सहमत होते हुए यह भी कहा था कि लेखा तैयार करने के दायित्व को लेखापरीक्षा विभाग से मंत्रालयों व विभागों को हस्तान्तारित करना आम नीति की दृष्टि से संभाव्य नहीं है। लेखा कार्यों तथा लेखा परीक्षण कार्य एक साथ रहने से कोई हानि नहीं है। फिर इसके तुरन्त बाद ही यह भी कहा गया है कि वर्तमान प्रणाली इतनी लचकदार है कि यदि यह सिद्ध हो जाये कि इस में हेर-फेर अधिक लाभप्रद हो सकता है तो उसमें परिवर्तन भी किये जा सकते हैं।

इस प्रकार वे अधिक लागत आने की कल्पना कर रहे हैं परन्तु उन्होंने इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया है और इसीलिये वित्तीय ज्ञापन में यह कथन सर्वथा झूठा है कि कोई खर्च नहीं आयेगा। मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। प्रशासनिक सुधार आयोग कहता है कि सप्लाई खाद्य तथा पुनर्वास विभागों और लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों में पृथक पृथक लेखा कार्यालय स्थापित हो चुके हैं। इस प्रकार यह प्रयोग जारी है: फिर अन्य विभागों में विभागीकरण किया गया। परन्तु हम इस प्रक्रिया का मूल्याकन नहीं कर सके हैं।

यह एक ऐसा मामला है जिसमें लोक लेखा समिति का विशिष्ट संबंध है और इस समिति

ने वर्ष 1951–52 में ही इस विभाजन के प्रति अपना समर्थन किया था। परन्तु इस समिति को इस संबंध में विश्वास में नहीं लिया गया। लोक लेखा समिति ने इस विभाजन की बात का समर्थन तो किया था परन्तु यह भी कहा था कि इस मार्ग में ठोस कठिनाइयां हैं। जिन्हें दूर किया जाना चाहिये। परन्तु सरकार ने किसी भी संसदीय समिति को इस संबंध में अपने विश्वास में नही लिया। और आज सरकार हमें यहां कहती है कि इसे स्वीकार करो या अस्वीकार करो यह चुनौती है।

हम इस प्रस्ताव को नहीं मान सकते क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लेखा परीक्षण, लेखा कार्य आदि विभिन्न कोणों से तथा उस के प्राधिकार को ध्यान में रख कर सही सही रूप में आंकने की जरुरत है। वैधता के अलावा वह किये गये खर्च की औचित्य पर अपनी टिप्पणी भी कर सकता है। राज्यों के लेखे भी उसी के अधीन होते हैं जिन पर विचार यह संसद नहीं वरन राज्यों की विधान सभाएं करती हैं। अतः मैं यह तो मानता हूं कि उनके कार्यालय के कार्य करण को बेहतर तो अवश्य ही बनाया जा सकता है परन्तु मैं यह नहीं जानता कि ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जबकि लेखा कार्य और लेखा परीक्षण को पृथक पृथक कर दिया जाये। यह मामला इतनी लम्बी अवधि से रुका हुआ था। अतः मुझे तो यही विश्वास है कि सरकार ने व्यवस्था संबंधी जो मानदण्ड रखे हैं वे थोथे हैं।

क्या सरकार यह समझती है कि लेखा प्रक्रिया पर मंत्रालय का पूरा नियंत्रण होने के बाद वे लेखा नीति निदेशकों को निर्धारित कर सकेंगे ताकि वे इस विभाग के अनुभव से लाभ उठा कर एक नई नीति बना सकें। क्या उनके पास पर्याप्त साधन और विशेषज्ञ है ?

दूसरा विधेयक विभागीकारण से संबंधित है लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं होंगी क्योंकि किसी के पास इतना धैर्य ही नहीं है। लेखा और लेखा परीक्षा विभागों के हजारों कर्मचारी परेशान हैं कि क्या पता वे कहां जाये। अपनी पदोन्नति के बारे में भी उन्हें चिंता है। मैं फिर कहता हूं कि वित्तीय ज्ञापन बेकार है क्योंकि सब से पहले तो कर्मचारियों की यह परेशानी दूर की जानी है। लेखा परीक्षा को और भी कठोर बनाया जाना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक के इस सम्बन्ध में जो विचार हो उन्हें संसद को बताया जाये। सौभाग्य से अगले विधेयक के संबंध में, मैं एक संशोधी प्रस्ताव स्वीकृत करा पाया हूं। मैं चाहता हूं कि यह मामला एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जो पन्द्रह दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। सरकार जल्दबाजी में कोई काम न करें सरकार के पास 1 सितम्बर तक का समय है। यदि थोड़ी देर भी हो जाये तो कोई कयामत आने वाली नहीं है। आपके पास छः मास का समय होता है। संसद के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहियें। संसद् मात्र दिखावे के लिये नहीं है।

केवल कुछ अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिये इतनी शीघ्रता की जा रही है। वास्तव में ये अधिकारी नियंत्रक महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति द्वारा जांच किये जाने से डरते है इस लिये वे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधिकार सीमित करना चाहते है। सरकार को एक वक्तव्य देकर संसद् को संतुष्ट करना चाहिये ताकि पता चल सके कि इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है।

श्री ओ० वी० अलगेशन (तिरुत्तनी) : जैसा कि स्वंय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है इस विधेयक का ढांचा उतना जटिल नहीं जितनी कि इसकी विचारधारा है। जैसा कि प्रो० मुकर्जी बता रहे थे इस विषय का इतिहास बडा पुराना है और अंग्रेजों से पूर्व समय से इस पर विचार किया जाता रहा है। कुछ लोगों ने लेखा परीक्षा को लेखाओं से पृथक करने की बात स्वीकार की परन्तु कुछ ने उसे अस्वीकार कर दिया। उदाहरण के लिये दो नियंत्रक महा-लेखापरीक्षकों ने पृथक करने की प्रणाली को सैधान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया था लेकिन पुनर्विचार के बाद वे इसे स्वीकार करने के पक्ष में न थे। इसके बाद 1949 में आर्थिक समिति ने इसे स्वीकार कर लिया और बाद में लोक लेखा समिनि ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किये। प्राक्कलन समिति ने इसे सैधान्तिक रूप में स्वीकार किया।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश संख्या 17 में तथा अन्य स्थानों पर सफारिश की थी कि सरकार विभागों में प्रबन्ध और लागत लेखाओं के लिये आधुनिक तकनीकियां लागू करने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने के लिये प्रयास किये जायें। प्रशासनिक सुधार समिति ने श्री रतनम की अध्यक्षता वाले अध्ययन दल की सिफारिशों को आधार बनाते हुए ही अपनी सिफारिशें दी।

कार्यन्वयन क्षेत्र के लिये भी यह कोई नई बात न थी। रेल तथा रक्षा मंत्रालयों में भी यह प्रणाली प्रचलित है। 1926 में इस प्रणाली का प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी किया गया। लेखा परीक्षा तथा लेखाओं के पृथक करने का परिणाम यह रहा कि कर्मचारियों की संख्या 553 से बढ़कर 749 हो गई। इस तरह से लागत तथा खर्च और बढ़ गये। यह व्यय 9.60 लाख रु० से बढ़ कर 12.76 लाख रुपये हो गया अर्थात 3.16 लाख रुपये अधिक हुआ।

एक राज्य में बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग किये जाने से ऐसा हुआ। मैं वित्तीय ज्ञापन को एकदम बेकार नहीं कहता लेकिन इतना अवश्य कहुंगा कि इस की तैयारी पर अधिक मेहनत नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त यह बात कही गई है कि इस विधेयक को पास करने में थोड़ा और समय क्यों नहीं दिया जाता हमने 1971 में अधिनियम पास किया था। इस अधिनियम से राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लेखाओं को बनाने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। रेल तथा रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर अन्य किसी विभाग में इसका परीक्षण नहीं किया गया। मैं यह अनुभव करता हूं कि यदि कई मंत्रालयों या राज्यों में ऐसा कर दिया जाता है तो हम इस योजना के लाभ और लागत सम्बन्धी आकड़ों से परिचित हो जाते।

हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह नया प्रयोग कितना सफल होगा और शासन के लिये लाभदायक सिद्ध होगा या नहीं। यद्यपि इससे सम्बन्धित निर्णय सरकार ने

1971 में लिया था, फिर भी इसका प्रयोग किसी सरकारी विभाग में नहीं किया गया। इसे 1 अप्रैल से तीन मंत्रालयो में लागू करने का विचार है। सरकार को इस प्रणाली के परिणाम देख लेने चाहिये। परिणामों के अध्ययन के बाद यदि यह प्रतीत हो कि इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी सरकारी राशि के दुरुपयोग में अंतर आयेगा तथा सरकारी राशि के उचित उपयोग में वृद्धि होगी तो इसे निश्चय ही अन्य विभागों में लागू किया जाना चाहिये। लेकिन प्रतीत होता है कि सरकार इस योजना को एक साल के अन्दर केन्द्रीय सरकार के सारे विभागों में लागू करेगी। इन सारे मंत्रालयों में एक साथ लागू करने के बजाये अच्छा रहता कि उठाये गये इस कदम को बारीकियों की पहले गहन अध्ययन किया जाता।

विधेयक का मूल उद्देश्य लेखों का प्रबन्ध है। विभाग के सचिवों को जानना चाहिये कि विभिन कार्यक्रमों, योजनाओं आदि पर कितनी राशि व्यय हुई। राशि के व्यय तथा प्राप्त परिणामों सम्बन्धी सूचना हर समय उपलब्ध होनी चाहिये। वित्त मंत्रालय को सभा को बताना चाहिये कि जिन मंत्रालयों में इस योजना के लागू किया गया वहां के लिये नियुक्त कार्यदल इस संबंध में किस निष्कर्ष पर पहुंचे।

कहा गया है कि एक सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि समिति में क्या नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रतिनिधित्व भी होगा ताकि उन सहस्त्रों कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके जिनका तबादला विभिन्न मंत्रालयों को हो जायेगा ?

अब तक नियंत्रक तथा महमलेखा परीक्षक द्वारा मंत्रालय के लेखों को संग्रहीत तथा पेश किया जाता रहा है। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को इन कार्यों से मुक्त करने के बाद लेखों के संग्रहीत करने के कार्य को कौन करेगा ?

इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि लेखा परीक्षा कार्य को कोई क्षति न पहुंचे और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पद को भी किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह जानना कठिन है कि इस विधेयक का असली उद्देश्य क्या है। यह एक विकट मामला है जिसके बारे में संसद सदस्यों को कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं किया गया। सरकार ने अनेक वर्षों के बाद अनुभव किया कि लेखा परीक्षा को लेखों से पृथक किया जाये। इस महत्व-पूर्ण कानून को सभा के सामने एक सम्पन्न कार्य के रूप में पेश किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर उचित रूप से तथा गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये था। इसके परिणामों के बारे में संसद् को विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिये थी। यह एक तकनीकी मामला है जिस पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की श्रेणी के सक्षम व्यक्ति भी एकमत नहीं तो सके। लेकिन सरकार ने 29 फरवरी को अचानक ही एक अध्यादेश जारी कर दिया। वह सात दिन तक भी प्रतीक्षा न कर सकी जबकि संसद का सत्र शुरु होना था। उसने समझा कि संसद तो इसके लिये स्वीकृति दे ही देगी। विधेयक के उद्देश्य

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

और कारणों के कथन में कहा गया है कि सरकार के विभिन्न बढ़ते परिव्ययों के लिये वर्तमान प्रणाली अपर्याप्त सिद्ध हुई है और इसलिये लेखों को लेखा परीक्षा से पृथक करना जरूरी समझा गया।

इस संबंध में पहली बार कब विचार किया गया ? क्या आजादी के तुरंत बाद से ही इस परविचार होता रहा अथवा नयी संकटकालीन स्थिति के बाद ही इस पर विचार किया गया है ? नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक इस देश में संवैधानिक प्राधिकारी है। वह संसद् के प्रति उत्तरदायी है और उसके कार्यकाल की रक्षा संविधान के अंतर्गत होती है। यदि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के लेखानियंत्रण कार्य के कठिन बनाना ही लक्ष्य है तो इसके लिये अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक सरकार तथ्यों तथा आंकडों द्वारा सिद्ध नहीं कर देती कि जिन मंत्रालयों में इसे लागू किया गया वहां प्राप्त परिणाम प्रबन्ध नियंत्रण तथा लेखा परीक्षा नियंत्रण की दृष्टि से लाभदायक रहे हैं, उस ससय तक यह विधेयक श्रेयस्कर नहीं हो सकता।

इस बारे में जल्दबाज़ी से काम नहीं लिया जाना चाहिये। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए ताकि इसमें किये गये सुधार के बारे में विचार हो सके। मंत्री महोदय को अध्यादेश जारी करके एक गलती करने के बाद इस गलती को इस प्रकार का कानून लाकर दोबारा नहीं करना चाहिये।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : आरोप लगाया गया है कि सरकार इस विधेयक को लाने में जल्दबाज़ी से काम ले रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। विधेयक को ध्यान से देखने से प्रतीत होता है कि सरकार इस बारे में जल्दबाज़ी से काम नहीं ले रही।

सरकार को काल और वातावरण को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। आज की स्थिति 45 वर्ष पहले से भिन्न है। उस समय केवल 500 लोग काम करते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी ने यही मुख्य बात कही थी कि जिस समय यह प्रयोग ब्रिटेन में हो रहा था उस समय कर्मचारियों की संख्या तथा व्यय में वृद्धि हो रही थी। उन्होंने कहा कि विधेयक में इससे सम्बन्धित सही स्थिति नहीं रखी गयी है।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं यह कह रहा हूं कि 45 वर्ष पहले की स्थिति की तुलना आज की स्थिति से नहीं की जा सकती।

यह शंका भी व्यक्त की गयी है कि महालेखापरीक्षक की शक्तियां वापिस ली जायेंगी। मैं इस बात को नहीं मानता। नई प्रणाली के अनुसार लेखों को पृथक कर दिया जायेगा।

विधेयक का उद्देश्य अधिक कार्यकुशलता लाना है। इससे हमारी परियोजनायें भी तीव्रगति से कार्यान्वित होंगी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की परीक्षा महालेखापरीक्षक करता है और लेखा परीक्षित पत्र संसद् के सामने रखे जाते हैं। इस विधेयक में कोई भी बात नई नहीं है। हमें अपने आप को नई परिस्थितियों में डालना चाहिये। यह विधेयक बहुत ज़रूरी है और मैं इसका समर्थन करता हूं। मेरे विचार में इस विधेयक से कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

श्री जी० विश्वनायन (वांडीवाश) : मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस बारे में अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी। सरकार को यह बताना चाहिये कि वर्तमान प्रणाली क्यों बुरी है और इस विधेयक द्वारा कार्यकुशलता में किस प्रकार से वृद्धि होगी।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुये]
Shri C. M. Stephen in the Chair.

कहा गया है कि यह मामला अनेक वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है और ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने भी अपने विचार समय-समय पर प्रकट किये हैं। श्री रंगानाथन, जो इससे पूर्व नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक थे, ने कहा है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी अफ़सरों द्वारा की गई गलतियां बताना असंभव हो जायेगा।

सरकार को हमें यह बताना चाहिये कि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की शक्तियों को समाप्त करने के बाद इस प्रणाली में किस प्रकार का सुधार होगा ? इस विधेयक के क्या परिणाम निकलेंगे ? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के सभी कर्मचारियों की बदली केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कर दी जायेगी। राज्यों के महालेखाकारों के दफ्तर भी लगभग खाली ही हो जायेंगे। महालेखाकारों के कार्यालयों में बहुत कम कर्मचारी रहेंगे। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार इस विधेयक के पास करने में जल्दबाजी क्यों कर रही है।

इस प्रणाली द्वारा व्यय में वृद्धि की सम्भावना है। श्री रंगानाथन् का भी यही विचार है।

इस योजना के व्यय सम्बन्धी पहलू पर डाक तथा तार बोर्ड ने विचार करने के लिए एक कार्यदल की नियुक्ति की थी। कार्यदल के अनुसार लेखा और लेखा-परीक्षण के पृथक् करने के लिये एक वर्ष (1972-73) की अवधि में 99.00 लाख रुपये लागत आयी।

हमें भय है कि इस नयी प्रणाली के लागू करने के फ़लस्वरूप व्यय में वृद्धि होगी तथा कार्यकुशलता में कमी होगी। इससे नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की शक्तियां भी समाप्त हो जायेंगी।

सरकार को चाहिये कि इस विधेयक को जल्दबाज़ी से पास न करे तथा इस पर और अधिक विचार किये जानेहेतु इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : हमें इस विधेयक पर इसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये विचार करना चाहिये। लेखा-परीक्षा बहुत ही पेचीदा विषय है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक देश का एक उच्च नौकरशाह है। उसे संविधान के अन्तर्गत ही हटाया जा सकता है। श्री मुकर्जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि हमें इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिये और इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये। किन्तु जैसे कि उन्होंने तथा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, इस मामले पर विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, लेखापाल तथा सरकारी अधिकारी 45 वर्षों से विचार करते आ रहे हैं। तो फिर 2 अथवा 3 सप्ताह की छोटी-सी अवधि के अन्दर क्या हम किसी ठीक निर्णय पर पहुंच सकते हैं ?

यह भी कहा गया है कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर सहानुभूति रखती है। लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य की नीति निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना है। यह जिम्मेवारी हम सब की है। श्री हनुमन्तैया, जो एक समिति के अध्यक्ष थे, के प्रतिवेदन का सारांश यही है कि

[श्री बी० वी० नायक]

लेखों और लेखापरीक्षा की प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे लोगों को पता चल सके कि इतनी राशि द्वारा इतनी सड़कें बनीं, इतने बच्चों को शिक्षा दी गई, इतने लोगों के लिये चिकित्सा सहायता प्रदान की गयी आदि आदि। नई प्रणाली के अन्तर्गत लेखा-परीक्षक, महालेखाकार अथवा नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्यालय में न बैठकर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के कमरे के साथ ही बैठेगा और व्यय की जाने वाली राशि अथवा व्यय की गयी राशि के बारे में अधिक नज़दीकी से निगरानी रख सकगा। मेरे विचार में यह प्रणाली प्रशासनिक कार्यों के लिये अधिक सहायक सिद्ध होगी। वैसे इस प्रणाली में सुधार की काफ़ी गुंजाइश है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri M. C. Daga (Pali: The system we are going to introduce is not a new one. It aims at providing financial auotonomy to the concerned department. Auditors and Accountant will be taken from the offices of C & A.G. or A.G. by the concerned departments. When we are going to Deparement wise Audit and Accounts and have also accepted it principally. then what comes in the way of appointing a Committee which will consider the matter in detail ? It will save many problems which may come at the time of implementation. I request that this matter should be referred to the Committee.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : प्रसन्नता की बात है कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में अपनी रुचि दिखाई है। इस विधेयक का विरोध करने वाले माननीय सदस्यों के मन में संभवत: यह बात है कि इसमें कुछ ऐसी बात है, जिसे वे समझ नहीं पाए हैं और इसको समझने के लिए समय चाहते हैं।

मैं माननीय सदस्य का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 149 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

"नियन्त्रक महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के, लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे कि संसद-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विहित किए जाएं ....."

हम ब्रिटिश प्रणाली का अनुकरण कर रहे थे। परन्तु वर्ष 1971 में हमने नियंत्रक महालेखा-परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम पास किया और उस की धारा 10(1) में यह व्यवस्था की कि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक, संघ तथा प्रत्येक राज्यों के लेखे के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 10 में एक अपवाद भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की सलाह से उसे संघ या राज्य के विशिष्ट विभाग के लेखे के संकलन के उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है।

इस परिवर्तन के लिए सरकार ने यह बेहतर समझा कि यह परिवर्तन संसद् के ध्यान में लाया जाए। संसद् ने लेखा और लेखा-परीक्षण को अलग करने के बारे में स्वयं यह आवश्यक समझा है कि दोनों को अलग-अलग कर दिया जाए। इसलिए यह कोई नई चीज़ नहीं है।

माननीय सदस्यों ने पूछा है कि क्या महालेखा-परीक्षक को लेखों के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 150 में यह व्यवस्था की गई है कि संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे रूप में रखा जाएगा जैसा कि भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे। अत : जहां तक लेखा तथा लेखा-परीक्षण को अलग करने का प्रश्न है, हमारी कार्यवाही व्यर्थ नहीं कही जा सकती।

इस समय सरकार की आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक गतिविधियां कानून और व्यवस्था की स्थिति से ऊपर हो गई हैं। सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह आर्थिक क्षेत्र में सुधार और परिवर्तन लाए। यह तभी हो सकते हैं जब हम लेखों तथा लेखा-परीक्षणों के प्रबन्ध को प्रभावशाली बनाएं और यह दोनों को अलग-अलग करके ही सम्भव हो सकता है।

बजट तैयार करते समय जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं, वे बजट पेश करते समय 6 महीने पुराने हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि पुनरीक्षित आंकड़े, अनुमानित आंकड़ों से कहीं भिन्न होते हैं। इससे आगामी वर्ष में व्यय किए जाने वाले धन का आवंटन करने में भी कठिनाई होती थी। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि लेखा और लेखा-परीक्षण को अलग अलग कर दिया जाए।

इन दोनों को अलग करने का एक दूसरा पहलू भी है। लेखा कार्य हमारे आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है। यदि लेखा-कार्य को प्रभावशाली ढ़ंग से करना है तो यह कार्य पुराने आंकड़ों के आधार पर नहीं हो सकता।

एक महीने में किया गया व्यय अगले महीने पता चलना चाहिए। यदि व्यय का पता अगले वर्ष ही लगना है तो फिर एक साल पूर्व किए गए व्यय की जांच करने का क्या लाभ है? इस प्रकार लोक लेखा समिति जो कार्य करती है. वह सब बेकार है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि वित्तीय प्रबन्ध को प्रभावशाली ढ़ंग से चलाया जाए तो लेखा और लेखा-परीक्षण को अलग-अलग करना बहुत अनिवार्य है।

अब हमने मंत्रालय में 'समेकित वित्तीय सलाहकार प्रणाली' शुरू की है। अब वित्त मंत्रालय का कार्य केवल बजट बनाना और संसद से उसे पास करवाना है। इसके बाद प्रत्येक मंत्रालय अपने सलाहकार की मदद से बजट राशि का उपयोग करेगा। इस प्रकार हम वित्तीय प्रबन्ध में सुधार लाना चाहते हैं। इसलिए विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं है जो गुप्त रखी गई हो या माननीय सदस्य जिसे समझ न सके हों।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाए। यह एक साधारण विधेयक है। वर्ष 1971 के अधिनियम में पहले से ही यह व्यवस्था है कि लेखा और लेखा-परीक्षा को अलग-अलग किया जा सकता है। संयुक्त प्रवर समिति ने मूल विधेयक में इसे सिद्धान्ततः स्वीकार किया था।

हम केवल एक ही परिवर्तन कर रहे हैं और वह यह है कि लेखा और लेखा-परीक्षण अलग करने से पूर्व राज्यों को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी होगी। अब चूंकि हम स्वयं इसे अलग कर रहे हैं, इसलिये राज्य सरकारों को तब तक अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. जब तक हम स्वयं इस बारे में अनुभव प्राप्त नहीं कर लेते।

वित्तीय ज्ञापन के बारे में भी काफ़ी आलोचना की गई है क्योंकि हमने कहा था कि अतिरिक्त व्यय अधिक नहीं होगा? हमें यह समझना चाहिए कि यह कार्य वर्तमान संगठन द्वारा पहले से किया जा रहा है। लेखों का संकलन महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। लेखों का संकलन करने वाले विशेष दल हैं और ये दल संकलन के लिए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में स्थानान्तरित किए जाएंगे। लेखों को लेखा-परीक्षण से अलग करने पर व्यय में सीमान्त वृद्धि होने की सम्भावना है। इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

एक आम आपत्ति यह भी उठाई गई है कि ऐसा अध्यादेश द्वारा क्यों किया गया ? वास्तव में हम इस संशोधन के बिना भी ऐसा कर सकते थे परन्तु हम इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि हमें कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में विधेयक लाना था ।

सरकार ने कोई भी बात गुप्त नहीं रखी है । सरकार अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करना चाहती है । हम लम्बे अरसे से उपनिवेशवादी प्रशासन व्यवस्था अपना रहे थे । अब हम इसकी बजाय अपने कार्यकरण को अधिक कुशल, कारगर तथा आधुनिक बनाना चाहते हैं । यह सही दिशा में एक कदम है और संसद द्वारा इसे पहले ही स्वीकार किया जा चुका है । इस मामले में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है । इसे प्रवर समिति को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं । तीन मंत्रालयो में इस प्रणाली के लागू होने के बाद सरकार के पास इस प्रणाली की समीक्षा करने के लिए समय होगा और यह पता लग सकेगा कि इस कार्य में कितना अतिरिक्त व्यय होगा और यह व्यय प्राप्त लाभों के समनुरूप होगा अथवा नहीं । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इस मामले में संदेह का कोई कारण नहीं है और विपक्षी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपनी आपत्तियां वापिस ले लें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह बात समझ में नहीं आई है कि मंत्री महोदय ने यह क्यों कहा कि इस विधेयक को पेश करने या अध्यादेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । यदि ऐसा ही था तो 1 मार्च को अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी । मंत्री महोदय ने यह बात स्पष्ट नहीं की, यह एक आम अध्यादेश नहीं है । यह अध्यादेश संसद् के सत्र के शुरू होने से 7 दिन पूर्व जारी किया गया था । इसलिए संदेह की काफ़ी गुंजाइश है; यदि ऐसा नहीं है तो सरकार को रक्षा, रेलवे तथा डाक और तार विभाग सम्बन्धी लेखों के हस्तान्तरण के बारे में वास्तविक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था । यह किस प्रकार पता लगाया जा सकता है कि यह विधेयक इतना जरूरी था कि सरकार 7 दिन भी प्रतीक्षा न कर सकी और उसे अध्यादेश जारी करना पड़ा ।

मुझे इस बात में भी संदेह है कि इस प्रणाली से कार्य-कुशलता आएगी । क्या वर्तमान प्रणाली में चालू काल का लेखा-परीक्षण सम्भव नहीं था ? हम विस्तृत जानकारी प्राप्त किए बिना इस विधेयक को अपनी स्वीकृति कैसे दे सकते हैं । यदि इसके बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया होता तो कोई संदेह की बात नहीं थी । तार संचार विभाग के लिए कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था । उस दल के प्रतिवेदन से पता चलता है कि एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय की गई है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ग़लत कह रहे हैं । प्रतिवेदन में कहा गया है कि अतिरिक्त राशि व्यय नहीं की गई ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यदि ऐसा नहीं है, तो प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए था ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यह सही नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अगर ऐसा है, तो मैं मंत्री महोदय की बात मान लेता हूं । फिर भी मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये परिवर्तन क्यों किए जा रहे हैं और वर्तमान स्थिति क्या है ? विधेयक पेश करने से पूर्व सारे तथ्य सभा-पटल पर क्यों नहीं रखे गए ? सरकार इतनी जल्दी क्यों मचा रही है ? क्या वह समझती है कि कोई भी विधेयक हो, वह बहुमत के कारण पास हो ही जाएगा ?

इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरा निरनुमोदन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 1976 को प्रख्यापित नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1976 (1976 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है" ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्तवा स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 4 तथा 5 विधेयक में जोड़ दिये गए ।

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

खंड, 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 1, Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adoped.

संघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण) विधेयक के सम्बन्ध में नियम 66 के परन्तुक के निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव

MOTION *RE.* SUSPENSION OF PROVISO TO RULE 66 IN RELATION TO THE DEPARTMENTALISATION OF UNION ACCOUNTS (TRANSFER OF PERSONNEL) BILL

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक वह संघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण) विधेयक, 1976, जहां तक यह नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976 पर निर्भर है, पर विचार करने तथा उसे पास करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर, लागू होता है, निलम्बित करे ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक वह संघ लेखाओ का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण) विधेयक, 1976, जहां तक यह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1976 पर निर्भर है, पर विचार करने तथा उसे पास करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर, लागू होता है, निलम्बित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण) अध्यादेश, 1976 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा संघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION *RE.* DISAPPROVAL OF DEPARTMENTALISATION OF UNION ACCOUNTS (TRANSFER OF PERSONNEL) ORDINANCE, 1976 AND DEPARTMENTALISATION OF UNION ACCOUNTS (TRANSFER OF PERSONNEL) BILL

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 1976 को प्रख्यापित संघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण) अध्यादेश, 1976 (1976 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है ।"

इस मामले पर काफ़ी सोच विचार करना होगा । हमें इसके गुण-दोषों पर विचार करना होगा क्योंकि ऐसा न हो कि संसद को दूसरा विधेयक पेश किये जाने की जरूरत पड़े । सदन में यह नहीं बताया गया कि जिस विभाग में लेखे अलग किए गए हैं, वहां कितनी कार्य कुशलता आई है ।

लेखा को लेखा-परीक्षण से अलग करने से व्यय में वृद्धि होगी । उद्योग तथा नागरिक पूर्ति विभाग के कर्मचारियों की संख्या 40 से बढकर 120 हो गई है ।

विधेयक का क्रियान्वयन 1–4–76 से होना है परन्तु अभी तक कोई रूपरेखा प्रकाशित नहीं की गई है । अभी तक मंत्रालयों ने विभागीकरण के बारे में योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी स्वाभाविक रूप से आशंकित है क्योंकि उनका भविष्य अब अनिश्चित है । भरतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग संयुक्त परामर्श-दात्री व्यवस्था) की विभागीय परषिद् की दिनांक 13 जनवरी, 1976 और 11 मार्च, 1976 की बैठकों में हुई बातचीत का भी कोई परिणाम नहीं निकला । यह सब इसलिए हुआ क्योंकि संचार मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालय अपनी योजना को अन्तिम रूप देने में ठीक समय पर कार्यवाही नहीं कर सके ।

इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप विभिन्न लेखा-परीक्षण कार्यालयों में कर रहे 80 प्रतिशत कर्मचारी विभिन्न मंत्रालयों को भेज दिए जाएंगे । इस समय उनको कार्यालयवार वरिष्ठता प्राप्त है, वे विशिष्ट संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं और उनकी पदोन्नति के अवसर भी अच्छे हैं ।

क्योंकि अभी योजनाओं का ब्यौरा ज्ञात नहीं है इसलिये कहा नहीं जा सकता कि पदोन्नति के अवसरों, परीक्षाओं आदि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । मुझे पता चला है कि विभागों में सक्षम कर्मचारी हैं तथा 6 वर्ष में ये लोग अनुभाग अधिकारी बन जायेंगे । अब सब कर्मचारियों को भविष्य के बारे में सन्देह पैदा हो गया है ।

अध्यादेश की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

लेखा परीक्षा कार्यालयों से कर्माचारियों के बदले जाने के लिये परामर्शदात्री समितियों की नियुक्ति की जायेगी । कर्मचारियों के चयन के मामले में अन्याय होने की सम्भावना है ।

कर्मचारियों के अनिवार्य स्थानान्तरण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनके वेतन में कमी न की जाये परन्तु बदले गये कर्मचारियों को बराबर के अवसर मिलते रहें । धारा 2 की उप धारा 4 द्वारा वेतनों को संरक्षण दिया गया है । परन्तु पदोन्नति के अवसरों, परीक्षाओं प्रोत्सहानों आदि के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का भी पालन नहीं किया गया ।

लेखा अधिकारियों में बड़ी मात्रा में कमी से शेष कर्मचारियों तथा अधिकारियों को काफ़ी हानि उठानी पड़ेगी। उनके पदोन्नति के अवसरों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह लिखित भाषण है। इसे सभा पटल पर रखा जाये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह लिखित भाषण नहीं है। यह मामला आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देना ही होगा। मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए था। कर्मचारियों को अपनी कठिनाइयां बताने तथा उनको दूर करने के लिये कोई माध्यम नहीं है।

सभापति महोदय : आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कहें। पढे नहीं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं केवल अपनी टिप्पणियो से सहायता ले रहा हूं।

विभागीयकरण की यह पूरी योजना क्रियान्विति के लिये अधिकारियों पर छोड़ी जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सभी बातों पर प्रकाश डाला जाये। यह व्यवस्था लाते हुए इस बात पर ध्यान नहीं रखा गया कि 40,000 कर्मचारी इससे प्रभावित होते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये कहता हूं।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय को, उसके लेखाओं का संकलन करने से सम्बन्धित जिम्मेदारी का उसके द्वारा दक्षतापूर्वक निर्वहन सुकर बनाने के लिए, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सेवारत अधिकारियों का ऐसे किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय को स्थानान्तरण करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय सदस्य जानते हैं कि मंत्रालयों तथा विभागों से बाह्य एजेंसी द्वारा लेखाओं के रखने की वर्तमान प्रणाली कारगर वित्तीय प्रबन्ध के लिये समूचित नहीं है। लेखा कार्य को प्रशासन के साथ मिलाने के लिये लेखा को लेखा परीक्षा कार्य से पृथक करने का प्रस्ताव है। यह प्रक्रिया 1 अक्तूबर, 1976 तक पूरी की जानी है।

महालेखा परीक्षक के लगभग 10,000 कर्मचारियों को भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों में भेजा जायेगा। यह विधेयक अध्यादेश का स्थान ले रहा है।

इस विधेयक द्वारा सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समितियो को लेखपरीक्षा विभागों के कर्मचारियों को मंत्रालयो/विभागों में स्थानान्तरण करने का अधिकार दिया गया है। बदले जाने वाले कर्मचारियों के उनके वेतन वर्तमान वेतनों से कम नहीं किये जायेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि कर्मचारियों को कम से कम कठिनाई हो।

यह विधेयक इस प्रस्ताव को सही रूप से क्रियान्विति के लिए लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है आयोजना, प्रक्रिया आदि में निरन्तर गति लाना ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय को, उसके लेखाओं का संकलन करने से सम्बन्धित जिम्मेदारी का उसके द्वारा दक्षतापूर्वक निर्वहन सुकर बनाने के लिए, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सेवारत अधिकारियों का ऐसे किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय को स्थानान्तरण करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि विधेयक में कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करने वाले उपबन्ध हैं। कुछ उपबन्ध तो विधेयक में हैं। कुछ आशंकाओं के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ।

कठिनाई यह है कि महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। 1968 की हड़ताल से सम्बद्ध कुछ कर्मचारी अभी तक भी बहाल नहीं किये गये हैं। मैं चाहता हूं कि क्रियान्विति से पूर्व मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखें कि निलम्बित किये गये कर्मचारियों के मामले निपटाये जायें क्योंकि रेलवे आदि अन्य विभागों में अधिकांश कर्मचारी बहाल किये जा चुके हैं ।

विभिन्न खण्डों के सम्बन्ध में कर्मचारियों की आशंका है कि उनकी पदोन्नति के अवसरों का क्या बनेगा? क्या परामर्शदातृ समिति इस बात पर ध्यान देगी ? उन कर्मचारियों का क्या बनेगा जिन्हें राज्य में भेजा जायेगा ? क्या उन्हें सेवा की वही शर्तें उपलब्ध हो सकेंगी ? कर्मचारियों के साथ भेद भाव नहीं बरता जाना चाहिए चाहे उनकी सेवाओं को राज्य सरकारों को अथवा केन्द्रीय मंत्रालयों को स्थानान्तरित किया जाये। सभी दशाओं में उन्हें एक से संरक्षण प्राप्त होने चाहिएं। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह व्यवस्था ब्रिटेन सरकार की विरासतों में से एक है तथा इसे समाप्त किया जाना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा स्थापित की जाने वाली परामर्शदातृ समिति क्या कर्मचारियों के संगठनों से विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी ? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पद की संवैधानिकता की चर्चा की गई है। कोई अन्य व्यक्ति क्यों उनके विचारों की अभिव्यक्ति करता है। वह स्वयं आकर सभा को क्यों नहीं स्थिति स्पष्ट करते ?

विभागीयकरण से चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति तथा वरीयता के मामले में कठिनाइयां पैदा होंगी। यदि त्रिवेन्द्रम में कार्य करने वाले एक व्यक्ति को दिल्ली में स्थानान्तरित किया जाता है तो उसकी क्या दशा होगी ? राज्यों में स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मचारियों का क्या बनेगा ? मैं नहीं कह सकता कि उनकी कार्य की शर्तें वही रहेंगी ? इन कर्मचारियों की वरीयता सूचियों तथा उन पर नयी व्यवस्था से पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह उल्लेख किया गया है कि यह मामले राज्यपाल को सौंपे जायेंगे। यदि ऐसी बात है तो सेवा की शर्तों पर भी राज्यपाल विचार करें। मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन मामलों में और स्पष्टीकरण अपेक्षित है उन पर कर्मचारियों से खुलकर बातचीत की जाये ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : जब तक इसे मामले पर समुचित संरक्षणों की व्यवस्था नहीं की जाती तबतक विधेयक के दुरुपयोग की सम्भावना है। कर्मचारियों के दिल में उनकी पदोन्नति आदि के मामले में सन्देह का बना रहने गम्भीर मामला है। यदि लेखा परीक्षा विभाग के 10,000 कर्मचारी विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्यों में फैल जाते हैं तो उन मंत्रालयों / राज्यों में पहले से विद्यमान कर्मचारयों में तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मचारियों में संघर्ष पैदा होगा। इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। आपको दोनों वर्गों से बातचीत करनी चाहिए। संचार मंत्रालय अपने कर्मचारियो की उपेक्षा कर रहा है।

डाक तथा तार विभाग के लेखों का संग्रह उस विभाग के लेखाकार ही करते आ रहे हैं और महालेखाकार का कार्यालय केवल डाक तार विभाग द्वारा संग्रहित लेखो का ही संग्रह करता है। दुर्भाग्यवश डाक तथा विभाग के लेखाकारों की ओर वेतन आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया।

डाक-तार विभाग के कर्मचारियों ने जब वेतन आयोग को ज्ञापन प्रस्तुत किया तो संचार मंत्रालय ने कहा था कि हम लेखा परीक्षा का काम महालेखाकार के कार्यालय से ले रहे हैं और हम विभाग के लेखाकारों को विभाग में ही खपाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें विशेष वेतन देने के लिये भी कहा गया था लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। अब आप अन्य विभागों से लोगों को लगा रहे हैं। इस स्थिति में विभाग के लेखाकारों का आप क्या करेंगे मेरा प्रश्न यही है।

केरल के महालेखाकार के कार्यालय में दो ग्रुप हैं। महालेखाकार एक ग्रुप के प्रति हमदर्दी रखते हैं और दूसरे के प्रति नाराज रहते हैं। वे भेदभाव से काम ले रहे हैं, केन्द्रीय सरकार ने केरल में आवास हेतु 4.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। महालेखाकार ने इस मामले के राजनैतिक दृष्टि से लिया जिसके फलस्वरूप योजना के कार्यान्वित करने में विलम्ब हुआ है। लेखाकार के कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में भेदभाव तथा पक्षपात होता है। महालेखाकार अपने कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान नहीं हैं ?

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने शंकायें व्यक्त की हैं। इस नई योजना का प्रयोग कुछ मंत्रालयो में शुरू किया गया है। नयी योजना के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि नहीं होगी। इसके साथ ही हमें लेखा परीक्ष कार्यालय के कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिये। इसके द्वारा कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और एक नया वातारण तैयार होगा।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : विधेयक के अन्तर्गत हजारों कर्मचारियो का तबादला होगा और इस प्रकार उनका भयभीत हो जाना स्वभाविक ही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बदले जाने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये कोई सेवा शर्तें बनायी हैं--मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कर्मचारियों को कोई नुकसान न हो। मैं चाहूंगा कि सरकार सारे देश भर में लेखा परीक्षक तथा महालेखाकारों के कार्यालयों से बदले जाने वाले कर्मचारियों के लिये समान सेवा शर्तें सम्बन्धी विधेयक का प्रारूप बनाये। मंत्री महोदय को इन समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : माननीय सदस्यों ने कुछ शंकायें प्रकट की हैं। विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि तबादला हुये कर्मचारी को वही वेतन और सुविधायें मिलेंगी जो उसे पहले वाले विभाग में मिलती थीं। कर्मचारी स्थायी हो अथवा अस्थायी उसे पहले से कम वेतन नहीं मिलेगा। सेवा के मामले में उस पर पहले ही वाले नियम लागू होंगे। हमें आशा है कि इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सरकार की ओर से अब तक इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि बदले जाने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी। कहा जाता है कि 10,000 कर्मचारियों का तबादला होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि पदोन्नति तथा अन्य मामलों के लिये उनकी वरीयता कायम रखी जायेगी। यद्यपि यह संख्या अभी 10,000 है, फिर भी यह दुगनी हो सकती है।

कुछ वर्ष पहले हड़तालों में भाग लेने के लिये कुछ कर्मचारियों को निलम्बित किया गया तथा कुछ को नौकरी से हटाया गया। सरकार उन्हें सेवा में वापिस क्यों नहीं लेती ?

बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के लेखा परीक्षा कार्यालयों में 60 प्रतिशत कर्मचारी महिलायें हैं। तबादला होने पर उनकी क्या स्थिति होगी ? सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि किस-किस की बदली कहां हो रही है ?

सभापति महोदय : आप चाहते हैं कि इसके लिये भी विधेयक में व्यवस्था की जाये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कम से कम मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ सदन में कहना चाहिये ताकि कर्मचारी संतुष्ट हो जायें कि उन्हें आश्वासन दिया गया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :—

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 1976 को प्रख्यापित संघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण), अध्यादेश, 1976 (1976 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 2 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

> कि केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय को, उसके लेखाओं का संकलन करने से सम्बन्धित जिम्मेदारी का उसके द्वारा दक्षतापूर्वक निर्वहन सुकर बनाने के लिए, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सेवारत अधिकारियों का ऐसे किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय को स्थानान्तरण करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 1 तथा 2 पंक्ति 17 तथा 1

'prospective' (लक्षी) के पश्चात "prospective not extending beyond 28th day of Februarv. 1978" (जो 1978 की फरवरी के 28वें दिन तक के पश्चात न हो)

अन्तःस्थापित किया जाये ।

(संख्या 1)

राज्यों के पुनर्गठन के समय प्राप्त अनुभवों के आधार पर मैं इस संशोधन को पेश कर रहा हूं । यदि विधेयक में समयबद्धता का उल्लेख न हो तो विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा । इस संशोधन के स्वीकार करने से सरकार अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करेगी और मामलों को इस अवधि के अन्दर निपटाने की कोशिश करेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई कठिनाई हुई है अथवा नहीं । महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारी कठिन कार्य कर रहे हैं । अब वित्त मंत्रालय को भी कठिन कार्य करना होगा ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हमें आशा है कि विभागीकरण एक वर्ष के भीतर पूरा हो जाएगा । इसलिए संशोधन स्वीकार करने से कोई लाभ नहीं ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 1 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

खंड 1, अधिनियमन, सूत्र तथा विधेयक, का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

नियम, 66 के परन्तुक को निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

MOTION *RE.* SUSPENSION OF PROVISO TO RULE 66

लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम मंत्रालय कल्याण उपकर विधेयक तथा लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक वह लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक, 1976 तथा लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक, 1976 पर विचार करने और उन्हें पास करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बित करें ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक वह लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक, 1976 तथा लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक, 1976 पर विचार करने और उन्हें पास करने संबंधी प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

लौह अयस्यक खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक तथा लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक

IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE CESS BILL AND IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE FUND BILL

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेडडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लौह अयस्क खानों और मैंगनीज अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण करने के लिए लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क पर उपकर का उपग्रहण और संग्रहण करने और उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

[श्री रघुनाथ रेड्डी]

"कि लौह अयस्क खानों और मैंगनीज अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रिया कलापों के वित्तपोषण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

किसी भी कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तियों का कल्याण करना है। किसी भी विकासशील देश में राष्ट्र को श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना बड़ा आवश्यक है क्योंकि श्रमिक मालिकों से सीधे बातचीत नहीं कर सकते। संविधान के राज्य के मार्गनिर्देशी सिद्धान्तो में 'जनकल्याण' तथा 'कार्य की मानवीय तथा न्यायोजित स्थितियों' को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इस संदर्भ में मजदूरों के रहन सहन की स्थिति में सुधार करने का मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम में भी इसी बात पर जोर दिया गया है।

खान श्रमिकों को दूरवर्ती क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है और उन्हें आधुनिक आवासीय समस्याएं नहीं मिल पाती। खान कर्मचारियों के रहन सहन की स्थिति में सुधार करने हेतु सबसे पहले वर्ष 1944 में एक अध्यादेश जारी करके कोयला खान संगठन स्थापित किया गया। यह संस्था सफल रही और इसकी सफलता से प्रोत्साहन पाकर अभ्रक, लौह अयस्क, चूना पत्थर तथा डोलोमाईट खनन उद्योगों के कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रकार की कल्याण निधियां बनाई गई। इन कल्याणकारी संस्थाओं का काम राज्य सरकारों तथा मालिकों के कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के जीवन स्तर को उठाने सम्बन्धी प्रयासों के लिए सहायता प्रदान करना है न कि इन प्रयासों को निष्फल बनाना है।

इन संस्थाओं के कल्याणकारी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता सम्बन्धित खनिजों पर लगाए गए उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से की जाती है। मैंगनीज प्रायः वहीं पाया जाता है जहां लौह अयस्क पाया जाता है। इसलिए जो सुविधाएं लौह अयस्क श्रमिकों को प्राप्त हैं, वे सुविधाएं मैंगनीज श्रमिकों को भी मिलनी चाहिए। जो संस्था लौह अयस्क श्रमिकों के कल्याण का कार्य करती है, उसी संस्था को मैंगनीज श्रमिकों के कल्याण का कार्य भी करना चाहिए। लौह अयस्क खनन उद्योग में 52,000 कर्मचारी तथा मैंगनीज अयस्क उद्योग में 28,000 कर्मचारी काम करते हैं। एक कर्मचारी के अगर तीन आश्रित भी हों तो भी इस संयुक्त निधि से 3,20,000 लोगों को फायदा होगा।

लौह अयस्क उत्पादन के उपकर की वर्तमान दर 25 पैसे प्रति टन है और इस दर से लगभग 10 लाख रुपये की कुल राशि एकत्र की गई। मैंगनीज पर एक रुपया प्रति टन की दर से उपकर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसे 6 रुपये प्रति टन तक बढ़ाए जाने की व्यवस्था भी की गई है। इससे लगभग 17 लाख रुपये की आय होगी : यदि दोनों खानों पर समान रूप से कर लगाया जाए तो या तो लौह अयस्क उपकर की कर को बढ़ाना पड़ेगा अथवा मैंगनीज अयस्क पर प्रस्तावित उपकर की दर में कमी करनी पड़ेगी

इस समय लौह अयस्क के उपकर की दर में वृद्धि करना आवश्यक नहीं क्योंकि इसी दर से 3.30 करोड़ रुपये अब तक जमा हो चुके हैं। दूसरी ओर यदि मैंगनीज की प्रस्तावित लेवी में कमी की जाए तो इस से बहुत कम राशि एकत्र होगी। अतः दोनों खानों के लिए सांझी कल्याण निधि बनाने हेतु पृथक दर निर्धारण की व्यवस्था प्रस्तावित विधेयक में की जा रही है। दोनों खानों से एकत्र उपकर ही सांझी निधि होगी जिसका उपयोग लौह अयस्क और मैंगनीज खानों के कर्मचारियों की समान कल्याण सुविधाओं हेतु किया जाएगा।"

मैंगनीज पर प्रस्तावित उपकर उसी आधार पर लगाया जाएगा जिस प्रकार लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1970 में व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वदेशी खपत तथा निर्यात दोनों पर उपकर लगाया जाता है। सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी कारखाने या कारखाना वर्ग को उपकर से छूट दे सकती है और यह छूट तभी दी जा सकती है जब सरकार की राय में इन संस्थापनों से एकत्र की जाने वाली प्रशासनिक लागत उपकर की तुलना में अननुपातिक हो।

जब ये विधेयक कानून बन जायेंगे तो लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1961 का निरसन हो जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों की गतिविधियों के समन्वय के लिए केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति गठित की जाएगी। प्रस्तावित अधिनियमों में चिकित्सा, आवास जल, शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं का प्रावधान होगा।

लौह अयस्क श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 का निरसन करने से इस अधिनियम की कमियां पूरा करने का अवसर मिलेगा और ऐसे संशोधन हो सकेंगे जैसे चूना पत्थर तथा डोलोमाईट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 में किए गए हैं।"

ये अधिनियम कल्याण सम्बन्धी है और कल्याणकारी राज्यों को ऐसे अधिनियम बनाने चाहिए। ये विवादस्पद विधेयक नहीं हैं। इसलिए मुझे आशा है कि सदन इस पर अधिक चर्चा किए बिना स्वीकार कर लेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि लौह अयस्क खानों और मैंगनीज अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण करने के लिए लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[सभापति महोदय]

"कि लौह अयस्क खानों और मैंगनीज अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मंत्री महोदय का यह कहना उचित है कि हमें अधिक चर्चा किए बिना इन कल्याणकारी विधानों को स्वीकार कर लेना चाहिए । लेकिन हमें इन निधियों पर नियन्त्रण रखने की भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ताकि निधि का प्रयोग श्रम कल्याण के लिए किया जाए । परामर्शदात्री समितियों पर भी नियन्त्रण रखा जाना चाहिए । वस्तुतः ये समितियां मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं । मजदूरों के लिए निधि का प्रयोग नहीं किया जाता । मनोरंजन के लिए बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं परन्तु मजदूर उसमें प्रवेश नहीं पा सकते । इस विधेयक में कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि परामर्शदात्री समिति के सदस्य मजदूरों के चुने प्रतिनिधि तथा यूनियन के प्रतिनिधि हो । परामर्शदात्री समिति का कार्यालय खान-क्षेत्र के निकट ही होना चाहिए । जब भी राशि व्यय की जानी हो तो आम बैठक बुलाई जानी चाहिए । उसमें ये सुझाव दिये जाने चाहिए कि कल्याण कारी कार्य किस ढंग से हो । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो समिति बनाने का कोई लाभ नहीं ।

मजदूरों को सस्ते दर पर राशन नहीं मिलता । इसके लिए वे महाजन की दया पर निर्भर करते हैं । यदि राशि का प्रयोग मजदूरों के लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने में किया जाए तो बहुत अच्छा होगा । विधेयक में इसके बारे में प्रावधान किया जाना चाहिए अन्यथा ऐसे विधेयक का कोई लाभ नहीं ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसे पेश करने में कई वर्षों का विलम्ब किया गया । यह काफी पहले पेश किया जाना चाहिए था । यदि परामर्शदात्री समितियों में मजदूरों को सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो ऐसे विधेय लाने का कोई लाभ नहीं । मजदूरों को यह पता चलना चाहिए कि राशि का प्रयोग उनकी भलाई के लिए किया जा रहा है और उन्हें राशि के प्रयोग के बारे में सुझाव देने का अधिकार होना चाहिए । बजट बनाने और राशि व्यय करने के लिए किसी तंत्र का गठन किया जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) Iron ore Mines and Manganese Ore Mines. Labour: Welfare Cess Bill and Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund. Bill are welcome measures. The Bills have been brought for the Welfare of workers National Commission on Labour has also recommended for bringing such type of measure It will help in anciloirating the condition of the workers in Iron ore and manganese ore mines would have appreciated ifother small mines which have been left out should also have been brought within the purview of this Bill.

It is a matter of gratification that Bill provides representation of workers, employees and also of the Government in the regional Committees and in the Central Adivsory Committee

The Bill provides that the cess that would be collected would be credited to the consolidated Fund of India It has been the experience in regard to similar other welfare funds that when money is required for implemnting welfare activities, funds are usually not available For instance Rs. 7 crores have been credited with the Government by Coal Mines Organisation. But when the money was reuquired for housing for the Coal Mines. that money could not be made available We should see that such things do not happen and the money that is deposited with the Government should be made available when required for the Welfare of Workers.

Legislation was made for Lime Stone and Dolomite Workers. in 1977 and under this legislation cess is being recovered. This amount is being credited with the Consolidated Fund of India. But not a single penny has been spent on the Welfare of the Workers.

Governments should also see that administrative expenditure is kept to the barest minimum. Government should ensure that the funds collected under this Bill are spent for the purpose for which they have been collected.

It usually happens that mine owners shirk from their responsibilities regarding welfare of labour as soon as some welfare organisatin is set up by the Government. On the othet hand they derive rebate and other concessions in the name of welfare of workers. This should be looked into.

It is a non-controversial Bill and I support it whole heartedly, but it is high time that we should watch the working of these organisations and whatever lacune is there should be removed.

With this words. I support the Bill.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : It is a known fact that the condition of the workers in our country as well as in other countries is the worst. Efforts have been made to ameliorate the conditions of these worker and they have played an important role in this matter.

I support the Bill. So far as the condition of workers is concerned, the condition of mine workers is the worst among all the workers in organised sector. They are in wretched condition in the remote part of the country. In many places there are no means of communications. and even requirements of the workers are not mat. This should be looked into.

This is not a perfect Bill. A comprehensive Bill should be brought for mine workers so that uniform facilities are made available to every mine worker in all parts of the country.

It should be admitted that the working conditions of a mine workers are far from satisfactory and their jobs involve risks of life. Government should see that their working conditions are imporced and their wages increased.

So far as the question of utilisation of funds is concerned, my predecessors speakers have stated that the fund should be credited with the consolidated Fund of India. It is not proper.

इसके बाद लोक सभा शुक्रवार, 26 मार्च, 1976 / 6 चैत्र, 1898 (शक) 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday March 26, 1976/ Chaitra 6, 1898 (Saka)

GMGIPND M.R.-LS III- 992 (ai) LS—24-7-76—200

म० प्र० भा० सं० मु० मि० रो० न० दि०–ए० न० एस० III–992 एल० एस० 24-7-76–200